लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

18-6-92
26-12-83
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 48 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLVIII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 12—शुक्रवार, 19 नवम्बर, 1965/28 कार्तिक, 1887 (शक)

No. 12—*Friday, November* 19, 1965/*Kartika* 28, 1887 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
328	टिकटों का बेचा जाना	Selling of Tickets	1016–18
329	भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार	Expansion of Bhilai Steel Plant	1018–20
330	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड को विदेशी मुद्रा	Foreign Exhange to Hindustan Machine Tools, Ltd.	1020–22
331	खली का निर्यात	Exports of Oil Cake	1022–25
332	रूस से व्यापार करार	Trade Agreement with USSR	1025–26
333	छोटी कारों का निर्माण	Manufacture of Small Cards	1027–29
334	निर्यात नीति	Export Policy	1029–31
335	कोरबा में अल्युमीनियम संयंत्र	Aluminium Plant at Korba	1031–34
336	मांस, पनीर, फल तथा सब्जियों का निर्यात	Export of Meat, Cheese, Fruit and Vegetables	1034–35

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
337	चलती गाड़ियों से सन्देश भेजना	Sending of Messages from Running Trains	1035
338	वाणिज्यिक प्रचार	Commercial Publicity	1035
339	अग्रिम क्षेत्रों में रेलवे कर्मचारियों के लिये सुविधायें	Facilities to Railway Employees in Forward Areas	1035–36
340	दिल्ली में औद्योगिक प्लाटों के मूल्य	Price of Industrial Plots in Delhi	1036
342	बिजली और भाप के इंजिन	Electric and Steam Locomotives	1036–38
343	यूगोस्लाविया के साथ व्यापार करना	Trade Agreement with Yugoslavia	1038–39
344	फालतू रेल माल-डिब्बों का निर्यात	Export of Surplus Railway Wagons	1039
345	थाईलैंड से कच्चे पटसन का आयात	Import of Raw Jute from Thailand	1039
346	कच्चे पटसन का आयात	Import of Raw Jute	1040
347	सूती कपड़े का निर्यात	Export of Cotton Textiles	1040–41
348	दस्तूर एण्ड कम्पनी	Dastur and Co.	1041

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
349	कलकत्ता में चाय बोर्ड का कार्यालय	Office of Tea Board in Calcutta	1042
350	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Undertakings	1042
351	ब्रिटेन द्वारा लगाये गये सार्वभौमिक प्रतिबन्ध	Global limit Imposed by U.K.	1042
352	जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र पर पुल	Bridge over Brahmaputra at Jogighopa	1043
353	कोयना और कोरबा एल्युमीनियम परियोजनाओं के लिए कम्पनी	Company for Koyna and Korba Aluminium Projects	1043–44
354	सरकारी क्षेत्र में स्कूटर तथा आटो-साइकिल कारखाना	Scooter and Auto-Cycle Factory in the Public Sector	1044
355	अमृतसर का कपड़ा उद्योग	Textile Industry of Amritsar	1044–45
356	कलकत्ता में सर्कुलर रेलवे	Circular Railway around Calcutta	1045

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
899	कोयले का उत्पादन	Coa Production	1045–46
900	कसारा स्टेशन के रेलवे कर्मचारी	Railway Workers of Kasara Station	1046
901	उत्तर रेलवे के डिवीजनल सुप्रिन्टेंडेंट के कार्यालय फीरोजपूर	Offices of Divisional Superintendent, Northern Railway, Ferozepore	1046–47
902	मोकामा के निकट दुर्घटना	Collision near Mokameh	1047
904	गोदावरी नदी पर रेलवे पुल	Railway Bridge on Godavri	1047
905	केरल उद्योग विकास निगम	Kerala Industries Development Corporation	1047–48
906	केरल में ब्रांडी का कारखाना	Brandy Factory in Kerala	1048
907	टिटैनियम आक्साइड का उत्पादन	Production of Titanium Oxide	1048
908	सिविल रक्षा (डिफेन्स) संगठन	Civil Defence Organisation	1048–49
909	कृषिउत्पाद के निर्यात में विविधता लाना	Diversification of Agricultural Exports	1049
910	दिल्ली में कोयले की कमी	Shortage of Coal in Delhi	1049
911	औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates	1050
912	एयर राइफलों का निर्माण	Manufacture of Air Rifles	1050
913	बिजली के सामान का निर्माण	Manufacture of Electrical Goods	1050
914	कानपुर में उपरि पुल	Over-bridges in Kanpur	1051
915	पूर्वोत्तर रेलवे में महिला चल-टिकट परीक्षक	Lady Travelling Ticket Examiners on N. E. Railway	1051
916	सहजनवा स्टेशन के निकट दुर्घटना	Collision near Sahjanwa Station	1051
917	भटनी जंक्शन के निकट गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment near Bhatni Junction	1051–52

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
918	बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travel	1052–53
919	कानपुर की एक फर्म से रेल पटरियों का बरामद होना	Recovery of Rails from a Kanpur Firm	1053
920	दक्षिण-पूर्व रेलवे के पादरीगंज स्टेशन पर अग्निकाण्ड	Fire at Padreganj Station (S. E. Rly.)	1053
921	केरल में सूक्ष्म माप यंत्रों का कारखाना	Precision Tool Factory, Kerala .	1053–54
922	बोकारो के कोयला क्षेत्र	Bokaro Coalfields . .	1054
923	मैसूर लोहा तथा इस्पात कारखाना	Mysore Iron and Steel Works .	1054
924	रेलवे कर्मचारियों को मकान किराया-भत्ता	House Rent Allowance to Railway Employees	1055
925	काली मिर्च का निर्यात	Export of Pepper . .	1055
926	फलों का निर्यात	Export of Fruits	1055
927	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल	H. E. L., Bhopal	1056
928	बिहार के लिये रेलवे सेवा आयोग	Railway Service Commission for Bihar	1056
929	दिल्ली में रेलवे पुलों को चौडा करना	Widening of bailway Bridges' in Delhi	1056–57
930	दिल्ली और फीरोज़पुर के बीच अतिरिक्त गाड़ी	Additional Train between Delhi and Ferozepur	1057
931	झांसी-मानिकपुर लाइन पर गाड़ियों को रोकना	Stopping of Trains on Jhansi-Manikpur Line	1057
932	औद्योगिक सहकारी समितियां	Industrial Co-operatives . .	1058
933	मध्य प्रदेश में कोयले के खनन के लिए पट्टे	Mining Lease for Coal in M. P.	1058
934	मध्य प्रदेश में खनिज-सर्वेक्षण	Mineral Surveys in M. P. . .	1059
935	सेलम-बंगलौर रेलवे लाइन	Salem-Bangalore Rail Line . .	1059
936	रेलवे के परिचालक वर्ग को समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance to Running Staff on Railways . . .	1059–60
937	जापान से ट्रकों का आयात	Import of Trucks from Japan .	1060
938	पार्सल क्लर्क	Parcel Clerks .	1060–61
939	निर्यात संस्थायें	Export Houses . .	1061
940	चादर कांच का निर्यात	Export of Sheet Glass . .	1061
941	इस्पाती प्लेटें	Steel Plates	1062
942	घाना के लिए कपड़ा मिल	Textile Mill for Ghana. . .	1062–63
943	कांगड़ा में सीमेंट कारखाना	Cement Factory in Kangra . .	1063
944	चाय बागानों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Tea Plantations	1063
945	बोनस योजना में रेलवे कर्मचारियों को शामिल करना	Inclusion of Railway Employees in Bonus Scheme	1063

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
946	सहरसा रेलवे स्टेशन के पास उपरि पुल	Over-bridge near Saharsa Rly. Station	1063–64
947	मुँगफली के तेल का वायदा व्यापार	Forward Dealings in Groundnut Oil	1064
948	भारी इंजीनियरी निगम, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi	1064
949	भारी इंजीनियरी निगम, रांची	Heavy Engineering Coporation, Ranchi	1065
950	वाराणसी में ट्रैक्टरों का कारखाना	Tractor Factory at Varanasi	1065
951	इस्पात संयंत्र के पुर्जों का देश में निर्माण	Indigenous Manufacture of Steel Plant Components	1065–66
952	कपास का मूल्य	Price of Cotton	1066
953	बम्बई-हावड़ा जनता एक्सप्रेस	Bombay-Howrah Janta Express	1066
954	इटारसी स्टेशन पर पुल	Over-bridge at Itarsi Station	1066–67
955	पिन तथा क्लिप के कारखाने	Pin and Clip Factories	1067
957	भारतीय माल का पाकिस्तान द्वारा जब्त किया जाना	Seizure of Indian Goods by Pakistan	1067–67
958	उद्योगों को लाइसेंस देना	Issue of Licences to Industries	1068
959	पन्ना हीरा खानें	Panna Diamond Mines	1068
960	हथकरघों के कपड़े का निर्यात	Export of Handloom Cloth	1069
961	उड़ीसा सरकार द्वारा मांगा गया कोयला	Coal Demanded by Orissa Government	1069
962	बिजली से चलने वाले हलों का निर्माण	Manufacture of Power Tillers	1069–70
963	तालचेर कोयला खानें	Talcher Coal Mines	1070
964	उड़ीसा को लोहे और इस्पात का आवंटन	Allotment of Iron and Steel to Orissa	1070–71
965	काटपाडी-विल्लुपुरम् रेलवे लाइन	Katpadi-Villupuram Railway Line	1071
966	पटसन का उत्पादन तथा निर्यात	Production and Export of Jute	1071
967	काटपाड़ी और विल्लुपुरम के बीच चलने वाली रेलें	Trains Running between Katpadi and Villupuram	1072
968	ऊनी माल के भाव	Prices of Woollens	1072–73
969	राजपुरा स्टेशन पर चाय की दुकानें	Tea Stalls at Rajpura Station	1073
970	रतलाम में रेलवे अस्पताल	Railway Hospital in Ratlam	1073–74
971	धर्मनगर और सिलचर के बीच रेलगाड़ी	Trains between Dharamnagar and Silchar	1074
972	यूरोपीय साझा बाज़ार	European Common Market	1074
973	सुमल इस्पात (मैचिंग स्टील) की कमी	Shortage of Matching Steel	1074–75
974	मछरेला सीमेंट कारखाना	Macherla Cement Factory	1075

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
975	दिल्ली-फरीदाबाद जी० टी० रोड पर निचला पुल (अंडर ब्रिज)	Under-bridge on the Delhi-Faridabad G. T. Road . . .	1075–76
976	कपड़ा उत्पादन का लागत अध्ययन	Cost Study of Textile Production	1076
978	राजस्थान में उद्योग	Industries in Rajasthan .	1076
980	निर्यात निरीक्षण परिषद्	Export Inspection Council . .	1077
981	खेतरी तांबा खान परियोजना	Khetri Copper Mines Project .	1077–78
982	स्कूटर खरीदने के लिए पंजीकरण	Registration for allotment of Scooters	1078
	वित्त मंत्री के वक्तव्य के बारे में	Re : Statement of Finance Minister	1079
	विलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
	आसाम के शिवसागर जिले में नागा विद्रोहियों द्वारा सात व्यक्तियों का अपहरण—	Kidnapping of 7 persons by hostile Nagas from Sibsagar district of Assam—	
	श्री पें० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbiah	1079
	श्री हाथी	Shri Hathi .	1079
	सभा पटल पर रखा गया पत्र	Paper Laid on the Table	1080
	विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to Bill . .	1080
	सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	Committee on Absence of Members from the sittings of the House—	
	पन्द्रहवां प्रतिवेदन	Fifteenth Report	1080
	याचिका के उपस्थापन के बारे में	Re : Presentation of Petition .	1080
	सभा का कार्य	Business of the House . . .	1081–83
	विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1965—	Appropriation (No. 5) Bill, 1965—	
	विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
	श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath .	1084
	श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee . .	1084–85
	श्री रंगा	Shri Ranga . . .	1085–86
	श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	1086
	श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	1087
	श्री नि० चं० चटर्जी	Shri N. C. Chatterjee	1087
	श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat	1088
	खण्ड 1 से 3	Clauses 1 to 3 .	1088
	पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
	श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat	1088

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
भारतीय नारियल समिति तथा भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति के बारे में संकल्प--	Resolutions re : Indian Coconut Committee and the Indian Central Oilseeds Committees—	
श्री चि० सुब्रह्मण्यम्	Shri C. Subramaniam . .	1089–91
श्री रंगा	Shri Ranga	1091–93
श्री स० चं० सामन्त	Shri S. C. Samanta . .	1093
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair . .	1093–94
श्री अ० शं० आल्वा	Shri A. S. Alva . .	1094
श्री इकबाल सिंह	Shri Iqbal Singh .	1094
श्री बड़े	Shri Bade .	1095
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
तिहत्तरवां प्रतिवदन	Seventy-Third Report	1096
विधेयक--पुरःस्थापित--	Bills Introduced—	
(1) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 35 क का हटाया जाना) [डा० सरोजिनी महिषी का]	(1) Constitution (Amendment) Bill (*Omission of article 35A*) ; by Dr. Sarojini Mahishi . .	1096
(2) संविधान (संशोधन) विधेयक (पहली अनुसूची का संशोधन) [श्री हरि विष्णु कामत का]	(2) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of First Schedule) ; by Shri Hari Vishnu Kamath	1096–97
(3) संविधान (संशोधन) विधेयक (प्रस्तावना का संशोधन) [श्री कृष्ण देव त्रिपाठी का]	(3) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Preamble) by Shri Krishna Deo Tripathy .	1097
आय-कर संशोधन विधेयक (धारा 36 का संशोधन)	Income-Tax (Amendment) Bill	
[डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी का] वापिस लिया गया—	*Withdrawn* (*Amendment of section* 36) by Dr. L. M. Singhvi	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi .	1097–98, 1100
श्री नारायण दाण्डेकर	Shri N. Dandekar . .	1098–99
श्री काशीराम गुप्त	Shri Kashi Ram Gupta .	1099
श्री श्यामलाल सर्राफ	Shri Sham Lal Saraf . .	1099
श्री नि० चं० चटर्जी	Shri N. C. Chatterjee. .	1099–1100
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat .	1100

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक (धारा 24 और 55 का संशोधन) [श्री पाराशर का]	Advocates (Amendment) Bill (*Amendment of sections* 24 *and* 55) by Shri **Parashar**	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री पाराशर	Shri Parashar . .	.1100–01, 1102
श्री राम सेवक यादव	Shri Ram Sewak Yadav	1101
श्री अ० त्रि० शर्मा	Shri A. T. Sarma .	1101
श्री हेमराज	Shri Hem Raj . .	1101
श्री ह० बी० कौजलगी	Shri H. V. Koujalgi	1101
श्री हजरनवीस	Shri Hajarnavis . . .	1101–02

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 19 नवम्बर, 1965/28 कार्तिक, 1887 (शक)
Friday, November 19, 1965/Kartika 28, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि श्री खुशवक्त राय का 17 नवम्बर 1965 को लखीमपुर खेरी के स्थान पर 63 वर्ष की आयु में देहान्त हो गया है । वह 1957-1962 तक दूसरी लोक सभा के सदस्य थे ।

हमें इस मित्र के निधन से बड़ा दुख हुआ है और मुझे विश्वास है कि संतप्त परिवार को समवेदना संदेश भेजने में सभा मेरे साथ सहमत होगी ।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : श्री खुशवक्त राय का, जो संसद में 5 वर्षों तक हमारे अच्छे साथी रहे हैं, देहान्त हो गया है । श्री खुशवक्त राय जो अपनी सज्जनता और सद् व्यवहार के कारण मित्रों में बहुत प्रिय थे, के निधन का समाचार सुन कर हमें बड़ा दुख हुआ है । एक बार न्यूयार्क में श्री नार्मन थामस ने मुझे लार्ड एटली के बारे में बताया था । उन्होंने कहा था कि लार्ड एटली में भारतीय नेताओं की सी विनम्रता है । श्री खुशवक्त राय में विनम्रता प्रकृति से ही भरी थी और यही कारण है कि लोग उन से प्रभावित हो जाते थे । श्री खुशवक्त राय समाजवाद और लोकतंत्र में विश्वास रखते थे । वह यह भी जानते थे कि यदि लोकतन्त्र को सफल होना है तो इस के लिये विरोधी दलों को शक्तिशाली होना चाहिए । इसी के लिये उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है । जब कि कुछ चांदी के टुकड़ों के लिये प्रतिपक्ष के सदस्यों का शासक दल में सम्मिलित होना एक आम बात हो चुकी थी, उन में से कुछ भारतीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । श्री खुशवक्त राय अपने उद्देश्य, जो कि उन को बहुत प्रिय था, के लिये दृढता से कार्य करते हैं ।

ईश्वर श्री खुशवक्त राय की आत्मा को शान्ति प्रदान करे । श्री खुशवक्त राय दृढ़ और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे । मुझे आशा है कि आप संतप्त परिवार के सदस्यों को हमारी ओर से हार्दिक समवेदना संदेश भेजेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने जो अपने भाव प्रकट किए हैं मेरे भी यही विचार हैं । अब सभा के सदस्य कुछ समय के लिये अपना दुख प्रकट करने के लिये खड़े हों ।

इसके पश्चात सदस्य कुछ समय के लिए खड़े हुए ।
The Members then stood in silence for a short while.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों की ओर से संतप्त परिवार को समवेदना संदेश भेज दिया जायेगा ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Selling of Tickets

+
*328. **Shri S. C. Samanta :**
Shri M L. Dwivedi :

Will the Minster of **Railways** be pleased to state :

(a) the reasons for not selling as many tickets for the IIIrd class passengers at various stations of rail routes as there are number of seats available in a particular train, while this facility is available to the 1st class passengers ;

(b) the progress made in providing more seating accommodation to the IIIrd class passengers by making available more IIIrd class coaches; and

(c) the difficulties experienced by Government in running more trains on the routes on which there is usually a great rush of IIIrd class passengers and the manner in which they are sought to be removed ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Dr. Ram Subhag Singh) : (a), (b) & (c). A statement is placed on the table of the Sabha.

Statement

In respect of reserved accommodation provided in third class coaches, tickets to third class passengers are issued to the extent seats or berths are available or are likely to become available in a particular train at various stations. It has not been found practicable to extend this procedure to unreserved third class accommodation as it is not possible for every station to be advised in advance of the extent of unreserved accommodation that may be available on a train on its arrival at the station.

Consistent with the availability of resources for expansion of line capacity and increase in the number of coaching stock, locomotives, etc. and with due regard to the movement of essential goods traffic, steps are being taken to create more capacity on sections where it is being utilised to the full extent and to procure more rolling stock with a view to introduce more and more new trains and to extend the runs of existing trains so to meet the growing requiremnets of passenger traffic on different sections. Loads of normal train services are also augmented to the maximum extent feasible.

The steps taken by the Railway administrations have already brought about some relief in overcrowding. The percentage of overcrowding in 1964 was 12·9 on the broad gauge and 13·4 on the metre gauge as against 16 per cent and 30 per cent respectively in 1955 despite increasing volume of passenger traffic.

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि किन क्षेत्रों में लाइन-क्षमता को बढ़ाया जा रहा है ताकि दूरस्थ जाने वाली तेज गाड़ियों में अधिक डिब्बे लगाये जा सकें ?

डा० राम सुभग सिंह : सभी क्षेत्रों में लाइन क्षमता को एक साथ बढ़ाया जा रहा है और दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में विशेषकर जहां के माननीय सदस्य रहने वाले हैं। वहां हम ने माल गाड़ी को रोक कर उस के स्थान पर यात्री गाड़ी चलाने का नया तरीका निकाला है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या संचालक और पथ-प्रदर्शक आगे आने वाले स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों को तीसरे दर्जे के रक्षित स्थानों में रिक्त स्थानों के बारे में सूचना देते हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : तीसरे दर्जे के डिब्बों में रिक्त स्थानों के बारे में आगे आने वाले स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों को स्थिति बताना सम्भव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह सूचना विवरण में दी गई है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या सरकार जहां कहीं अधिक भीड़ हो उस को कम करने के लिये पहले से चल रही गाड़ियों के अतिरिक्त कुछ और तीसरे दर्जे की यात्री गाड़ियां चलाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : हां, श्रीमान्। हमारा ऐसा विचार है। जब लाइन क्षमता बढ़ जायेगी तो केवल तीसरे दर्जे के डिब्बों वाली एक जनता गाड़ी चलाई जायेगी।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या सरकार इस बात को जानती है कि टिकट बेचने वाले बाबुओं की कमी के कारण अपेक्षित संख्या में तीसरे दर्जे के टिकट उपलब्ध नहीं होते हैं विशेषकर हावड़ा, दिल्ली और बम्बई और अन्य स्टेशनों पर और यदि हां, तो इस के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि यह टिकट उपलब्ध हो सकें ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न स्थानों के उपलब्ध न होने तथा टिकटों के अधिक दिये जाने के बारे में है।

श्री श्यामलाल सर्राफ : मेरे सामने हावड़ा में यह कठिनाई आई थी। वहां पर बहुत अधिक भीड़ थी।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि वहां भीड़ अधिक हो, परन्तु यहां पर प्रश्न भिन्न है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मन्त्री महोदय को मालूम है कि भीड़ होने के बहुत से कारण हैं और एक कारण यह है कि लोक अपना सामान साथ ले जाते हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार सामान को दूसरे माल डिब्बों में रखने के लिये कोई योजना बना रही है जैसा दूसरे देशों में किया जाता है ?

डा० राम सुभग सिंह : माननीय सदस्य यात्रियों तथा रेलवे कर्मचारियों की कठिनाइयों को समझ सकते हैं। क्या ऐसी सर्दी के मौसम में तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिये बिना सामान यात्रा करना सम्भव होगा ?

एक माननीय सदस्य : गर्मी की ऋतु के बारे में क्या है ?

डा० राम सुभग सिंह : गर्मी में बहुत कम लोग अधिक सामान साथ ले जाते हैं। हमें इन मामलों में व्यावहारिक होना चाहिए।

Shri Vishram Prasad : The hon. minister told us few days back that it was impossible to run more trains but trains with more compartments would be run. May I know whether the Government have considered this and by what time the number of compartments will be increased?

Dr. Ram Subhag Singh : Whatever we had said, we had implemented. 364 new trains have been introduced during 1964-65. Either these trains are absolutely new or some additional compartments have been added. 72 new trains have been introduced since 1st April, 1965 and 52 new trains from 1st October, 1965 have also being introduced. Their daily run is 11,782 kilometres.

श्री वारियर : क्या सरकार का विचार 24 घण्टे से अधिक चलने वाले सीधे जाने वाले डिब्बों को केवल बैठने वाले डिब्बे न बना कर शयन वाले डिब्बे बनाने का भी विचार है ?

डा० राम सुभग सिंह : इस सुझाव पर विचार किया जायेगा ।

Shri Yashpal Singh : May I know whether the Government is contemplating to keep in mind the availability of seats while selling third class tickets as they kept in mind while selling the first class or air condition tickets so that blackmarketing and commission of the agents may be put an end to.

Dr. Ram Subhag Singh : The main question is related to this that tickets may be sold at the stations according to the availability of seats. Efforts will be made to provide a seat to each ticket holder. It will be possible to solve this problem only when seats are provided at each station according to the third class tickets sold at that paticular station and the seats are not available in good number so the difficulty is there. But we are trying to provide the maximum seats.

श्री श्रीनारायण दास : यदि किसी डिब्बे में उतने ही व्यक्तियों को प्रवेश करने की आज्ञा दी जायेगी जितने व्यक्तियों को उस डिब्बे विशेष में स्थान दिया जा सकता है और स्थानों की संख्या के अनुसार टिकट जारी किये जायेंगे तो क्या इस का अनुमान लगाया गया है कि तीसरे दर्जे के कितने कोचिज की आवश्यकता होगी ?

डा० राम सुभग सिंह : जैसा मैंने बताया है कि शत प्रतिशत ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रत्येक स्टेशन पर गाड़ी से उतरने वाले और गाड़ी में चढ़ने वाले लोगों की संख्या जानना सम्भव नहीं होता । हम उन सब यात्रियों को जो कि रेलवे स्टेशन पर आते हैं टिकट बेचने से इन्कार नहीं कर सकेंगे क्योंकि वे 3 या 4 मील से आते हैं और कभी कभी तो वे 10 और 15 मील से भी आते हैं । यदि हम उन से यह कहते हैं कि आज उन को टिकट जारी नहीं किये जायेंगे तो वे क्या समझेंगे ? हम उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे । वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम प्रयत्न करेंगे कि सभी प्रकार की सुविधायें बढ़ा दी जायें ।

भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार

+

*329. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री बागड़ी : **श्री बी० चं० शर्मा :**
श्री मधु लिमये :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार करने का विचार है और क्या उसके लिए आवश्यक मशीन तथा उपकरण परियोजना के स्थान पर पहुंच गये हैं ;

(ख) बढ़ाये गये भाग में उत्पादन कितने समय में आरम्भ हो जायेगा और इस विस्तार पर कुल क्या लागत आयेगी तथा इसका उत्पादन लक्ष्य क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने परिवहन तथा अन्य व्यवस्था पूरी कर ली है जिससे कि अनावश्यक तथा अप्रत्याशित रूप से काम बन्द न हो और उत्पादन जारी रहे ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : जी, हां । ख्याल है कि प्रश्न का सम्बन्ध भिलाई इस्पात कारखाने का 1 मिलियन टन अवस्था से 2.5 मिलियन टन अवस्था तक विस्तार से है । यदि यह ठीक है तो अधिकांश मशीने और उपकरण स्थल पर पहुंच

चुके हैं और विस्तार कार्य के 1966 के मध्य तक पूर्ण होने की संभावना है। अनुमान है कि विस्तार की कुल लागत (बस्ती को निकालकर) 1381.40 मिलियन रुपये होगी आशा है कि विस्तारित कारखाने का पूर्ण उत्पादन अर्थात् 2.5 मिलियन टन 1967-68 में होने लगेगा।

चौथी योजना अवधि में कारखाने का 2.5 मिलियन टन से 3.5 मिलियन टन प्रति वर्ष तक विस्तार करने के प्रस्ताव पर आजकल विचार किया जा रहा है।

(ग) विस्तार कार्यक्रम को पुरा करने के लिए सभी आवश्यक प्रकल्पों को हाथ में ले लिया गया है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस कारखाने का विस्तार हमारा देश स्वयं कर रहा है या इस कार्य को किसी दूसरे देश के सहयोग से किया जा रहा है और यदि ऐसा किसी दूसरे देश के सहयोग से किया जा रहा है तो इस विस्तार के कार्य में सहयोग देने वाले देश और हमारे देश का भाग क्या होगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : हम रूस से तकनीकी सहायता प्राप्त कर रहे हैं परन्तु इन्जीनियरिंग तथा निर्माण कार्य हमारे दश के कर्मचारियों द्वारा ही किया जा रहा है।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक हमारे देश में इस्पात की खपत कितनी होगी इस का अनुमान लगाया गया है और क्या हम भिलाई तथा दूसरे इस्पात कारखानों का जो विस्तार कर रहे हैं इस से इस्पात की मांग को पूरा किया जा सकेगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस बारे में दो बार अध्ययन किया गया है। एक अध्ययन व्यावहारिक आर्थिक गवेषणा की राष्ट्रीय परिषद ने किया था और दूसरा इस्पात अध्ययन ग्रुप ने किया था जिस को इस्पात मन्त्रालय ने नियुक्त किया था। उन का अनुमान है कि तीसरी योजना के अन्त तक लगभग 90 लाख से 1 करोड़ टन के इस्पात की आवश्यकता होगी। इस में से हम शायद 10 लाख टन की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकेंगे।

श्री अ० प्र० शर्मा : भिलाई के कारखाने की रूरकेला और दुर्गापुर के कारखानों से माल के उत्पादन के बारे में किस प्रकार तुलना की जा सकती है अर्थात् कितना लाभ या हानि हुई है ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे सूचना चाहिये परन्तु मैं इतना बताना चाहता हूं कि जहां तक हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का सम्बन्ध है इस वर्ष ब्याज तथा अवक्षयण को निकाल कर हमें लाभ ही हुआ है।

श्री० हेम बरुआ : क्या सरकार ने स्वदेशी उपकरणों और तकनीकी जानकारी से इस्पात कारखानों के निर्माण तथा वर्तमान इस्पात कारखानों के विस्तार की सम्भावना पर विचार किया है यदि हां, तो वह कारखाना कौनसा है ?

अध्यक्ष महोदय : भिलाई का इस्पात कारखाना।

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : यह बहुत ही उचित और महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी भिलाई कारखाने के विस्तार के लिये हमने सोवियत संघ से सहयोग लिया है परन्तु इस में 35 से 40 प्रतिशत तक स्वदेशी उपकरणों का प्रयोग किया जायेगा। यदि कारखाने को भारतीयों ने ने लगाया हो तो हमें उपकरणों की बहुत कम प्रतिशतता खुले बाजार से क्रय करने की आवश्यकता होगी। यदि हम किसी विशेष देश पर इस कार्य के लिये निर्भर हों तो स्वाभाविक है कि हमें अधिकतर उपकरणों को उस देश विशेष से क्रय करना होगा चाहे जो भी मूल्य हो। इस लिये भविष्य में लगाये जाने वाले कारखानों में हमारा विचार अधिकतर स्वदेशी उपकरण लगाने का है और हमारा विचार बहुत कम विदेशी उपकरणों को इन कारखानों के लिये खुले बाजार से क्रय करने का है। हम ब्यौरा तैयार कर रहे हैं और मुझे आशा है कि अगले तीन या चार महीनों में स्पष्ट चित्र हमारे सामने आ जायेगा।

Shri Madhu Limaye : May I know whether the scheme to which the hon. minister has just now referred will be fully implemented while establishing the Fifth Steel Plant?

श्री संजीव रेड्डी : मेरा विचार ऐसा ही है। भविष्य में लगाये जाने वाले सभी कारखानों के बारे में ऐसा ही समझना चाहिए। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं।

Shri Gulshan : May I know by what time the expansion for increasing the production of the Bhillai Steel Plant will be completed and what will be increased quantum of production?

Shri P. C. Sethi : I have already told that the target of 25 lakh tons will be met. This work will be completed in 1966 and full production of 25 lakh tonnes will be available by 1967-68.

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड को विदेशी मुद्रा

+

*330. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के लिये नियत विदेशी मुद्रा कम कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि कम की गई है ;

(ग) इस कमी के परिणामस्वरूप अनुमानित कितना उत्पादन कम हो गया है ; और

(घ) इस कमी के कारण हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में बनी वस्तुओं के बारे में संयुक्त राज्य अमरीका के बाजारों में क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (घ) : सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(1) **मशीनी औजार एकक**

कम्पनी के मशीनी औजार एकक को 1965-66 में अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन के आवंटन में से मांगी गई विदेशी मुद्रा की सम्पूर्ण राशि, अन्य उपलब्ध ऋण तथा व्यापार योजना के उपबन्धों के अधीन आवंटित पूरी राशि दी गई है। फिर भी कुछ ऋणों को वसूल करने के संबंध में आने वाली कुछ कठिनाइयों के कारण कम्पनी को आवंटित सम्पूर्ण राशि जारी कर सकना सम्भव नहीं हुआ है। यह कमी जो वास्तविक आवश्यकता की लगभग एक तिहाई है उससे कम्पनी के अगल वर्ष के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(2) **घड़ी कारखाना**

विदेशी मुद्रा संबंधी कठिन स्थिति को देखते हुए घड़ी कारखाने को 1965-66 में उसे विदेशी मुद्रा की जितनी कुल आवश्यकता होगी उसे आवंटित कर सकना सम्भव नहीं हुआ है। उसकी 45 लाख रु० की मांग में से उसे 17 लाख रु० की राशि आवंटित की गई है। चूंकि ऋण का उपयोग करने के बारे में ब्यौरा अभी तय नहीं हुआ है इसलिए पुर्जों का आयात करने के लिये इस आवंटन में से कुछ भी विदेशी मुद्रा जारी कर सकना सम्भव नहीं हो सका है। पुर्जों तथा आवश्यक कच्चे माल की कमी के कारण घड़ी कारखाने में उत्पादन क्षमता का केवल 50 प्रतिशत ही उत्पादन हो रहा है।

(घ) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने अमरीका से मशीनी औजार अथवा घड़ियां मंगाने के लिये अभी तक कोई भी आर्डर बुक नहीं कराया है।

श्री कर्णी सिंहजी : हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा अब तक आयात किये जाने वाले उपकरणों को स्वदेश में बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और जापान के सहयोग द्वारा येन के ऋण को प्राप्त करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं और क्या उन से कुछ लाभ हुआ है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : जहां तक आयात किये जाने वाले उपकरणों को भारत में बनाने का सम्बन्ध है अभी अधिकतर मिश्रित इस्पात तथा टूल्स के लिये इस्पात को आयात करना पड़ता है परन्तु अब इस किस्म के इस्पात को देश में बनाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। फिर भी कुछ निश्चित वस्तुएं हैं जिन को अभी भी आयात किया जा रहा है परन्तु बंगलौर में गवेषण के लिये एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है और इन चीजों के देश में उत्पादन के लिये सभी कदम उठाये जा रहे हैं। जहां तक हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का सम्बन्ध है--मैं घड़ी के कारखाने की बात न करके मशीन टूल्स फैक्टरी के बारे में कह रहा हूं कि उन को जापान का कोई ऋण नहीं दिया गया है। जहां तक घड़ी के कारखाने का सम्बन्ध है जापान के येन ऋण में से 15 लाख रुपये उन को दिये गये थे वे अब भी जापान से बातचीत कर रहे है क्योंकि वे नहीं चाहते कि जापानी ऋण में कारखाने को भी शामिल किया जाये।

श्री कर्णी सिंहजी : क्या (precision instrument) जैसे कि कैमरे, दुरबीन (microscope) और बिजली के दूसरे सामान के निर्माण के लिये, जिन में जापान बहुत प्रगति कर चुका है, हिंदुस्थान मशीन टूल्स के विस्तार के लिये जापान से सहयोग करने का कोई प्रस्ताव है ?

उद्योग तथा संभरण मन्त्रालय में भारी इंजीनियरिंग और उद्योगमन्त्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : मैं सभा को सूचित कर दूं कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कैमरे और दूसरे उपकरणों को नहीं बनाने वाली है। वे अपने आप को केवल विभिन्न प्रकार के ग्राइंडिंग, मिल और लेथ के औजार बनाने के कार्य तक सीमित रखेंगे। जहां तक उपकरणों आदि तथा दूसरी ऐसी चीजों के निर्माण का सम्बन्ध है यह कार्य एक दूसरे संगठन जिस को इन्स्टरूमैंटेशन लिमिटेड कहते हैं के दो एककों जिन में एक एकक कोटा और दूसरा एकक केरल में है, द्वारा हाथ में लिया जा रहा है।

श्री वासुदेवन नायर : विवरण में यह बताया गया है कि 1965-66 में एक कारखाने को 17 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा दी गई थी परन्तु फिर यह बताया गया है कि इस निर्धारित राशि में से कुछ विदेशी मुद्रा पुर्जों के आयात के लिये देना सम्भव नहीं हुआ था क्योंकि इस प्रयोजन के लिये ऋण के प्रयोग के बारे में ब्योरे तय नहीं किये गये थे और अब इस कारखाने में 50 प्रतिशत उत्पादन हो रहा है। ब्योरे को तैयार न करने का उत्तरदायित्व किस पर है क्योंकि केवल इसी कारण से विदेशी मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जा सका और इस गलती के लिये जो लोग जिम्मेवार हैं उन के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : यह बात नहीं है। हुआ यह है कि समय समय पर जापान या दूसरे देशो द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के विरुद्ध हम राशियों का निर्धारण करते है। येन के कुछ ऋण जो हमें जापान से उपलब्ध हैं दूसरे उद्योगों सम्बन्धी आयात के लिये हैं। इन मामलों में काफी विलम्ब हो गया है।

श्री वासुदेवन नायर : इस का जिम्मेवार कौन है ? क्या विलम्ब हमारी ओर से हुआ था दूसरी ओर से ? यदि यह विलम्ब हमारी ओर से था तो इसके लिए जिम्मेवार कौन था ?

श्री त्रि० ना० सिंह : हिंदुस्तान मशीन टूल्स इस विलम्ब के लिए बिल्कुल जिम्मेवार नहीं है।

श्री रंगा : मंत्री महोदय ने आम उत्तर दिया है। इस विशेष मामले में क्या हुआ है ? वह चाहते है कि इस की जांच की जाय। मन्त्री महोदय ने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि विलम्ब का उत्तरदायित्व हम पर नहीं है। यह दूसरे कारखाने में हुआ है।

Shri Bade : It has been said in the statement that the factory is working only 50 per cent of its capacity due to shortage of components and other essential raw material. If so, how much loss is being suffered by the Hindustan Machine Tools in a year for the capacity which remains idle?

श्री त्रि० ना० सिंह : स्वाभाविक है कि वहां हानि होगी परन्तु इस का अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि बंगलौर में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखाने के प्रथम महा निदेशक, श्री माथुला गैर सरकारी क्षेत्र में चले गये हैं और यदि हां, तो उन के सरकारी क्षत्र से बाहर जाने के कारण क्या हैं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मेरा विचार है कि वह अपनी अवधि की समाप्ति पर गये थे।

श्री हरि विष्णु कामत : अपनी अवधि की समाप्ति पर नहीं परन्तु उस से पहले ही क्या वह चले गये थे या उन्होंने त्यागपत्र दिया था ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं इस बात का पता लगाऊंगा परन्तु मैं जो कुछ जानता हूं वह यह है कि इससे पहले ही उन के भाई ने एक विशेष औजार बनाने का कारखाना चालू कर लिया था और वह उस में चले गये।

श्री हरि विष्णु कामत : अधिक वेतन या प्रेरणा क्या यह कारण थे ?

Shri K. N. Tiwary : It has been told in the statement that the real shortage which is almost 1/3rd of the total requirements will adversely affect the production of the factory next year. I would like to know the shortage in production which will be due to these reasons ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : जहां तक हिंदुस्तान मशीन टूल्स का सम्बन्ध है इस की कुल आवश्यकता 3 करोड़ 50 लाख रुपये की है। इस के विरुद्ध उन को हाल में दी 2 करोड़ 46 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा दी गई है। इस हद तक उस म कमी होगी। क्योंकि इस में पहले ही विलम्ब हो चुका है इस लिये मशीनरी और पुर्जे आने में कुछ देर लगेगी।

खली का निर्यात

+

***331. श्री मधु लिमये :**

श्री बागड़ी :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष मुंगफली की खली का कुल कितना निर्यात हुआ था ;

(ख) क्या इस निर्यात के कारण देश में खली के दाम चढ गये हैं ;

(ग) क्या खली के दामों के बढ़ जाने का दूध तथा कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, क्योंकि पशुओं के चारे तथा खाद के रूप में इनका प्रयोग कम होने लगा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इसके निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० वें० रामस्वामी) : (क) मुँगफली की खली का निर्यात 1964–65 में लगभग 8,12,531 मे० टन का रहा है।

(ख) जी, नहीं। मुँगफली का मूल्य तो पहले ही चढ़ा हुआ है क्योंकि देश में मुँगफली के तेल की मांग उत्पादन से अधिक है। इसका प्रमुख कारण मुँगफली की देश में बहुत कम उपज होना है, विशेषकर उन राज्यों में जो मुंगफली अधिक उपजाते हैं।

(ग) जी, नहीं। मुँगफली की यह खली फालतू थी। हमारे मवशियों को मुख्यत: बिनोले और चावल की भूसी खिलाई जाती है। विदेशों में भी मँगफली की खली का उपयोग मुख्यत: मुर्गियों को खिलाने में किया जाता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Madhu Limaye : May I know whether the Government would ban the export, and procure the whole quantity of oil cakes and distribute the same in the areas where there is fodder scarcity and which are famine-stricken so that the cattle of these areas could be saved?

श्री सें० वें० रामस्वामी : स्थिति इस प्रकार है। देश में पैदा होने वाले 35 लाख मीट्रिक टन तिलहनों में से लगभग 18 लाख मीट्रिक टन मुँगफली है। इस में से आधी मात्रा, अर्थात् नौ लाख मीट्रिक टन मुँगफली तेल निकालने के लिये कारखानों में भेजी जाती है। इस तेल निकली खली का निर्यात होता है। पहले इस खली को उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता था परन्तु क्योंकि अब कृत्रिम उर्वरक बन गये है इसलिये इसका प्रयोग नहीं हो रहा है.....

श्री रंगा : नहीं, नहीं।

श्री सें० वें० रामस्वामी : इन्हें चारे के रूप में पहले कभी भी प्रयोग नहीं किया गया। उर्वरक के रूप में ही इनका प्रयोग किया गया। अब भी जो देश इसका आयात कर रहे हैं, वे इसे मुर्गीयों को खिलाने के लिये प्रयोग कर रहे हैं, उर्वरक के रूप में नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। परन्तु एक बात है। अब तक इनका प्रयोग नहीं किया गया है। परन्तु इसका पता लगाना चाहिये कि क्या इनको प्रयोग में लाया जा सकता है क्योंकि इस बार चारे का बहुत अभाव है।

श्री सें० वें० रामस्वामी : इस पर विचार किया जायेगा।

Shri Madhu Limaye : May I know whether the hon. Minister is aware that while the per acre production of other crops is on the increase during the last seventeen years, the per acre production of groundnut is decreasing; if so, the reasons therefor and the steps Government propose to increase the per acre yield of this crop?

श्री सें० वें० रामस्वामी : इसका कारण यह है की फसल खराब हो गई। अब महाराष्ट्र तथा गुजरात में जो मुख्यतया यह फसल उगाते हैं, वर्षा नहीं हुई और इसलिय फसल खराब हो गई। वास्तव में पिछले वर्ष मुँगफली के तेल का भाव 1800 रुपये प्रति मीट्रिक टन था और अब 3700 रुपये प्रति मीट्रिक टन है.....

Shri Madhu Limaye : This is not the answer to my question?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का प्रश्न यह था कि जब इसकी फसलों की प्रति एकड़ पैदावार बढ़ती जा रही है, इस फसल की प्रति एकड़ पदावार क्यों कम हो रही है। क्या इसके कोई विषेश कारण हैं ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : मेरा निवेदन यह है कि मुँगफली की पैदावार बढ़ाने का कार्य खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का है; हम केवल निर्यात-सम्बन्धी कार्य करते हैं।

श्री रंगा : मुँगफली की खली चारे के रूप में तथा खाद के रूप में प्रयोग के लिये इतनी लाभदायक सिद्ध हुई है, फिर सरकार क्यों बिना सोच समझे इसका निर्यात करती है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : जैसा की मैंने निवेदन किया, पशुओं को अधिकतर बिनौले खिलाये जाते हैं, मुँगफली की खली नहीं।

श्री रंगा : यह गलत है।

अध्यक्ष महोदय : वह इस सुझाव पर विचार कर सकते हैं।

श्री ओझा : क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह कहा था कि मुँगफली के तेल की खली के निर्यात पर रोक लगाई जाये और भारत सरकार के इनकार करने से अब तक तेल निकालने के 17 कारखान बन्द हो गय हैं तथा बेरोज़गारी भी बहुत हो गई है और इस व्यवसाय को धक्का पहुंचा है; और यदि हां, तो क्या सरकार इसपर पुनर्विचार करेगी और गुजरात सरकार को मुँगफली की खली के निर्यात पर रोक लगान की अनुमति देगी ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : मुझे जानकारी नहीं है कि ऐसी कोई प्रार्थना की गई है। **(अन्तर्बाधायें)** यह सम्भव है कि यह प्रार्थना खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से की गई हो।

श्री रंगा : मेरे माननीय मित्र को गुजरात सरकार की सिफारिश तक की भी जानकारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।

श्री विश्वनाथ राय : इस दृष्टि में कि देश में उर्वरकों की कमी है क्या सरकार मुँगफली की खली का निर्यात कम करने के प्रश्न पर विचार करेगी?

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही यह सुझाव दिया है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : खली के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और उर्वरक के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है ?

श्री स० वें० रामस्वामी : मैं यह नहीं बता सकता कि उर्वरकों की आयात पर कितना व्यय होता है परन्तु खली के निर्यात से 38 करोड़ रूपये प्राप्त होते है।

श्री बासप्पा : क्या सरकार को यह मालूम है कि मैसूर राज्य में मुँगफली की काश्त में भारी कमी हुई है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

Shri Vishram Prasad : Oil-cake is a good inorganic fertilizer and it adds to the fertility of the soil; it is also used as poultry fodder. In this context may I know why a decision has been taken for its export?

Mr. Speaker : We cannot go into arguments.

Shri Bade : May I know whether it is a fact that the production of groundnut was of the same quantity last year as well as in 1963-64 but people get it on high price as a result of export of groundnut oil cake? May I also know whether it is a fact that the Government have given some concession for its export even in spite of this difficulty?

श्री सें० वें० रामस्वामी : क्या वह मुँगफली की खली के बारे में पूछ रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या मुँगफली की खली के निर्यातकों को कोई रियायत दी जाती है जबकि पहले ही इसका बड़ा अभाव है और इसके कारण देश में मूल्य बहुत बढ़ गये हैं ।

श्री सें० वें० रामस्वामी : खली के निर्यात के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाता ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : माननीय मंत्री ने कहा है कि इस खली के अलावा और अन्य प्रकार की खली भी निर्यात की जाती है और उनसे लगभग 4 करोड़ रुपया प्राप्त होता है । क्या मैं जान सकता हूं कि सर्सों के तेल की खली, जिसकी देश के पूर्वी भाग में भारी मांग है, भी निर्यात होती है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : यह बहुत थोड़ी मात्रा में निर्यात होती है ।

रूस से व्यापार करार

+

*332. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **वाणिज्य** मन्त्री 10 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 558 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस से इस बीच कोई व्यापार करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) 1964-65 में रूस से कितना व्यापारान्तर था तथा नये व्यापार करार के आधार पर इस वर्ष कितना व्यापारान्तर होने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) अभी तक नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) : भारत सरकार और सोवियत संघ, 1966-70 के वर्षों के लिये एक दीर्घावधि व्यापार करार के लिये वार्त्ता कर रहे ह । इसका उद्देश्य, 75 करोड़ रु० के प्रत्येक और से 1964 में हुए व्यापार को बढ़ा कर 1970 में प्रत्यक ओर से 150 करोड़ रु० कर देन का है । एक भारतीय व्यापार शिष्ट मंडल, श्री डी० एस० जोशी, सचिव, केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय के नेतृत्व में अगस्त मास में मास्को गया था और इन्होंने सोवियत संघ को होने वाले भारत के निर्यातों और भारत की एसी विभिन्न अनिवार्य वस्तुओं की जिनकी आवश्यकताएं भारत में सोवियत सहायता प्राप्त प्रायोजनाओं तथा अन्य उद्योगों की होती हैं, की सूचियों का विनिमय किया । इन सूचियों का दोनों सरकारों द्वारा अध्ययन किया जा रहा है और इसके बारे में अन्तिम वार्त्ता का दौर इस माह नई दिल्ली में होगा, जबकि इस हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त शिष्ट मंडल भारत आयेगा ।

सोवियत बाजारों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करन के लिये भारत में ऐसे उद्योग स्थापित करने की सम्भावनाएं भी खोजी जा रही है। इस प्रकार के क्षत्र खोजने का कार्य जारी है।

वार्त्ता पूर्ण हो जाने के पश्चात, एक करार पर अगले माह किसी समय, श्री पेतेलिशेव, सोवियत व्यापार मंत्री द्वारा हस्ताक्षर किय जायेंगे, जोकि भारत आने को आमन्त्रित किये गये हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस योजना के अन्तर्गत भेजे जाने वाली वस्तुएं कितनी ऐसी है जो पहले भेजी जा रही थीं और अब पहली बार भेजी जायेंगी तथा क्या इसमें चाय भी शामिल है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : माननीय सदस्य को पता ही है कि हम पटसन, चाय, केहवा आदि तो भजते ही हैं; इसके अलावा हम इंजीनियरी सामान भी भेजते हैं; रूसी लोग विद्युत ट्रांसफार्मर्ज़, वातानुकलक, पानी गरम करने के हीटर, संचायक (एक्युमूलेटर) कपड़ा बुनने की मशीनें, बुनाई की मशीनें, पेचदार बरमे, रसायनिक पदार्थ, जस्ता, फास्फेट, "मरक्यूरियल सीड ड्रैसिंग्ज़", कैलसियम कार्बाइड तथा ब्लीचिंग पावडर आदि वस्तुओं में विशेष रूचि रखते हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : परिरक्षा सम्बन्धी सामान के पुर्जों के सम्बन्ध में ब्रिटेन ने हाल ही में जो कठोर रवैया अपनाया था इस दृष्टि से क्या यह सामान अब रूस से मंगाया जायेगा; यदि हां तो किस सीमा तक ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : मुख्य प्रश्न पुर्जों आदि के बारे में नहीं है परन्तु पहले भेजी जा रही तथा अब भेजी जाने वाली वस्तुओं के भेजने के बारे में है ताकि व्यापार 75 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 150 करोड़ रुपये का किया जा सके।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : इस समझौते से हमारा उन देशों पर निर्भर रहना किस सीमा तक कम हो जायगा जिन्होंने हमें भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने की धमकी दी थी ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : यह एक व्यापक प्रश्न है। मुख्य प्रश्न दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के बारे में है।

श्री पें० वेंकटासुबय्या : क्या इस व्यापार समझौते के अन्तर्गत वस्तु-विनिमय होगा और क्या हम रूस से कृषि उपकरणों का भी आयात करेंगे ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : यह वस्तु-विनियम नहीं है, यह समझौता व्यापार लेखा के आधार पर है और अदायगी रुपये में होगी। इस समझौते के अन्तर्गत ट्रैक्टर आदि कुछ कृषि उपकरण भी आयात किये जायेंगे।

श्री हेम बरुआ : रूस से व्यापार सम्बन्ध बढ़ाने तथा उनसे आर्थिक सहायता लेने के लिये प्रधान मंत्री से लेकर इस सरकार के बहुत से अधिकारी समय समय पर रूस गये हैं। इस दृष्टि से क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार हमें यह बता सकती है कि भारत से रूस को निर्यात में सम्भवतया कितनी वृद्धि होगी ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि निर्यात 75 करोड़ रुपये से बढ़ कर 150 करोड़ रुपये तक का हो जायेगा।

छोटी कारों का निर्माण

+

*333. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
डा० महादेव प्रसाद :
श्री भानु प्रकाश सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री सरजू पांडेय :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 27 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 266 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक पार्टी ने जिन कारों के बनाने का प्रस्ताव किया है उनके प्रस्तावों की मुख्य बातें विशषतया उन पर होने वाले व्यय, उसमें लगने वाले देशी पुर्जे तथा उसकी क्षमता क्या है;

(ख) छोटी कारों के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए यदि कोई अन्तिम तारीख निश्चित की गई है तो वह कौन सी तारीख है; और

(ग) प्रस्तावों को स्वीकार करन के बारे में जांच करने के लिए क्या कदम उठाये गये है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) : अब तक केवल एक पार्टी से ही प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा उस पर विचार किया जा रहा है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कोई खास तारीख निश्चित नहीं की गई थी। इसकी अन्य प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद उनके साथ ही विभाग के विशेषज्ञों और तकनीशियनों की एक लघु समिति द्वारा जांच की जाएगी।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या चौथी योजना के दौरान छोटी कार योजना के लागू हो जाने की कोई आशा है ? यदि नहीं, तो हमें छोटी कार कब तक मिल सकती है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरी तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : मैंने मंत्रिमण्डल के विचारार्थ एक नोट तैयार किया था। परन्तु इस बीच देश पर संकट आ गया। इस मामले के बारे में इस समय यही स्थिति है। मझे पता लगा है कि योजना आयोग चौथी योजना सम्बन्धी सभी प्रस्तावों पर फिर से विचार कर रहा है। मुझे उनके निर्णय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार मैसूर के मुख्य मंत्री द्वारा भेजी गई छोटी कार सम्बन्धी योजना पर विचार कर रही है और इस प्रयोजन के लिय विदेशी सहयोग मिलने की कोई आशा है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : ऐसी कोई योजना नहीं है। मुझे मैसूर के मुख्य मंत्री का पत्र मिला है और मैंने उन्हें लिखा है कि हम एक योजना पर विचार करेंगे।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार को ज्ञात है कि जनता में व्यापक रूप से यह डर फैला हुआ है कि निहित हितों के अवांछनीय हस्तक्षेप तथा सरकार की प्रक्रियायें आडम्बरी होने के कारण यह छोटी कार परियोजना निरन्तर छोटी बनती जा रही है और एक दिन यह बिल्कुल समाप्त हो जायेगी ? यदि हां, तो जनता का यह डर दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य हम पर यह आक्षेप नहीं लगा रहे हैं कि हम किसी निहित हित द्वारा प्रभावित हो रहे हैं—मुझे विश्वास है कि उनका यह इरादा नहीं है। परन्तु मैंने तथ्य पहले ही बता दिये हैं और इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री हरि विष्णु कामत : उन्होने पहले क्या कहा है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वे इस बारे में आशावादी हैं और उन्होंने मंत्रिमण्डल के विचारार्थ एक नोट भी तैयार किया था परन्तु इस दौरान यह झगड़ा आरम्भ हो गया।

श्री रंगा : यह एक अच्छा बहाना है।

अध्यक्ष महोदय : जब तक सांस तब तक आस।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या इस बारे में कुछ अनुमान लगाया गया है कि ऐसी कार का मूल्य क्या होगा और इससे कितनी प्रतिशत जनता को लाभ होगा ?

श्री त्रि० ना० सिंह : क्योंकि इस समय हमारे सामने एक ही प्रस्ताव है इसलिये ऐसी कार का ठीक ठीक मूल्य बताना कठिन है। जबतक कि और प्रस्ताव नहीं आ जाते मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। जहां तक दूसरे पहलू का सम्बन्ध है, इस परियोजना को इतनी उच्च प्राथमिकता नहीं मिली है जितनी बहुत सी अन्य परियोजनाओं को।

Shri Yashpal Singh : May I know whether the M.Ps. who have been charged fifteen thousand rupees for ordinary cars would be given some concession after the completion of this car?

Shri T. N. Singh : Have the M.Ps. been charged fifteen thousand rupees?

Mr. Speaker : This amount has been charged for ordinary cars. Will it be returned?

श्री वारियर : कुछ समय पूर्व हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमेटिड में जो छोटी कार बनाई गई थी, उसका क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार बनाई नहीं गई थी परन्तु इधर उधर से पुर्जे ले कर उन्हें वहां जोड़ा गया था।

Shri Madhu Limaye : This matter is under consideration for the last four or five years and has now become a mockery. May I know whether keeping in view the emergency, the hon. minister would take a decision that we would not waste any money on these small cars etc. but we would concentrate on producing buses for the convenience of the public?

Shri T. N. Singh : This scheme is being considered by the Planning Commission.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार तथा योजना आयोग को यह मालूम है कि आर्थिक दृष्टि से अभी देश इतना समृद्ध नहीं है कि छोटी कारें बनाई जायें जो जन साधारण द्वारा खरीदी जा सकें।

श्री त्रि० ना० सिंह : मै प्रश्न नही समझ सका।

अध्यक्ष महोदय : वह यह कहते हैं कि देश इतना विकसित हो चुका है कि जब तक यह छोटी कार बनकर तयार हो जायेगी, देश को बड़ी कार की आवश्यकता होगी, छोटी कार की नहीं।

श्रीमती सावित्री निगम : छोटी कार के बारे में यह प्रस्ताव इस मंत्रालय में कब से अनिर्णीत पड़ा है। इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है और इसे अन्तिम रूप कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं सभा को याद दिला दूं कि श्री सुब्रह्मण्यम ने, जो उस समय भारी इंजीनियरी मंत्री थे, तीन या चार वर्ष पूर्व इस बारे में एक वक्तव्य दिया था। उसके बाद बहुत से सदस्यों द्वारा सुझाव दिये जाने के पश्चात, मने यह काम अपने हाथ में लिया और जो नवीनतम स्थिति है, उसके बारे में मैंने सभा को अवगत किया है।

श्रीमती सावित्री निगम : उन्होंने आधे प्रश्न का उत्तर दिया है। सरकार जिस प्रस्ताव पर विचार कर रही है, उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही एक से अधिक बार इस बारे में बता चुके हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या इस बीच सरकार वर्तमान कम्पनियों द्वारा बनाई जा रही कारों की लागत की जांच करेगी ताकि वे प्रति दिन मूल्य न बढ़ा सकें ?

श्री त्रि० ना० सिंह : हम अपने मुख्य लेखा अधिकारी को समय समय पर लागत की जांच करने के लिये कहते रहते हैं।

Shri Sheo Narain : May I know whether a German firm has offered to produce a car at Rs. 5000; if so, the steps taken by Government in regard thereto.

Shri T. N. Singh : I have not received such offer.

श्रीमती रेणुका राय : इस दृष्टि में कि इस समय आपातकालीन स्थिति सम्बन्धी बहुत सी योजनायें बनाई जा रही है और समाज कल्याण, शिक्षा तथा स्वास्थ जैसी महत्वपूर्ण मदों पर खर्च की जाने वाली राशियों में भारी कमी की गई है, क्या सरकार छोटी कार योजना को किसी अनुकूल समय तक के लिये स्थगित करेगी ?

श्री त्रि० ना० सिंह : इसपर भी विचार किया जा रहा है।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में छपी इन खबरों की ओर दिलाया गया है कि छोटी कार योजना को अन्तिम रूप से समाप्त कर दिया गया है ? यह अच्छी बात है। क्या सरकार इस समाचार की पुष्टि करेगी ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मेरी कठिनाई यह है कि जब तक योजना आयोग अपनी सिफारिश नहीं देता, मैं निश्चय से कुछ नहीं कह सकता।

श्री अ० सिं० सहगल : क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाईयों तथा निहित हितों के कारण छोटी कारों सम्बन्धी योजना लागू नहीं हो सकेगी ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री दी० चं० शर्मा : श्री सहगल के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

निर्यात नीति

*334. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वाणिज्य मंत्री 27 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 249 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित राष्ट्रीय निर्यात नीति को मुख्य रुपरेखा तैयार कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) : निर्यात नीति सम्बन्धी वक्तव्य के प्रारूप पर राष्ट्रीय विकास परिषद ने 6 सितम्बर, 1965 को हुई बैठक में अपनी स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमण्डल द्वारा विचार होने के बाद इसके स्वीकार कर लिये जाने बाद शीघ्र ही इसे संसद में विचार के लिये प्रस्तुत किया जायेगा।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या माननीय मंत्री राष्ट्रीय निर्यात नीति की मुख्य मुख्य बातें बता सकते हैं ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : मुख्य बात देश में निर्यात के बारे में एक एसी भावना तैयार करनी है कि विदेशी मुद्रा की स्थिति में सुधार, व्यापार संतुलन तथा समृद्धि प्राप्त करने के लिये निर्यात आवश्यक है। औद्योगिक क्षत्रों तथा जनता को यह बताया जाना चाहिए कि देश में कमी होने पर भी निर्यात आवश्यक है। ऐसी आशा है कि संसद इस नीति का अनुमोदन करेगी।

श्री दी० चं० शर्मा : निर्यात कई प्रकार का हो सकता है—जैसे कच्चे माल का, तकनीकी जानकारी का, विकास कार्यों का आदि आदि—मंत्रालय इन में से किस का निर्यात तेजी से करना चाहता है ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : मुख्य उद्देश्य तो सामान के निर्यात का है। तृतीय योजना काल में 3800 करोड़ रुपये का निर्यात होगा और चौथी योजना काल में 5100 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमें देश के उत्पादन में वृद्धि करनी है। और निर्यात का लक्ष्य पूरा करने के लिये अपनी खपत में कमी करनी होगी। इन चीज़ों में पटसन, चाय तथा खनिज पदार्थ आदि आते हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या प्रस्तावित नीति का उद्देश्य निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करना है, यदि हां, तो उसके लिये कौन कौन सी वस्तुएं होगी और क्या कुछ और राज्य व्यापार निगम स्थापित किये जा रहे हैं ?

श्री सें० वें० रामस्वामी : निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रश्न नहीं है। राज्य व्यापार निगम तथा एम एम टी सी बहुत कम मात्रा में आयात या निर्यात करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य लोग भी यह काम करते हैं।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : क्या विदेशों में हमारे माल की मांग के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ? मेरे विचार में वहां पर उस माल की जरुरत नहीं होती जिसे हम भेजना चाहते हैं और ऐसे माल को वे नहीं चाहते जिसे हम भेजते हैं।

श्री सें० वें० रामस्वामी : कुछ वस्तुओं के बारे में निर्यात संवर्धन परिषदें बनी हुई है। हमारे दूतावासों में व्यापारिक दूत हैं। ये विदेशों में हमारे वस्तुओं के निर्यात के बारे अध्ययन करते हैं। इस कार्य के लिये प्रतिनिधिमंडल भी भेजे जाते हैं। वे निर्यात के बारे में अपनी रिपोर्टें देते हैं और उन पर कार्यवाही की जाती है।

श्री शिंकरे : क्या सरकार को कृत्रिम अधिक मूल्य के बारे में मालूम है और क्या राज्य व्यापार निगम तथा एम एम टी सी में कुप्रबन्ध के बारे में भी मालूम है और इस से हमारे निर्यात में बाधा होती है, यदि हां, तो इन दोषों को दूर करने के लिये सरकार क्या कर रही है।

श्री सें० वें० रामस्वामी : यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य हमारे देश में प्रचलित मूल्यों से कम है। हमारे 80 प्रतिशत निर्यात को प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है और केवल 20 प्रतिशत को सहायता दी जाती है।

इन निर्यात योजनाओं की सहायता की जाती है अथवा प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि वे अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में मुकाबला कर सकें।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार को मालूम है कि कई लोगों ने सरकार की इन योजनाओं का बडे पैमाने पर अनुचित लाभ उठाया है विशेष रूप से हथकरघे के क्षेत्र में; यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी जांच करायी है या जांच कराने का प्रस्ताव है ?

श्री० से० वें० रामस्वामी : हमने जांच करायी है। यह कहना गलत है कि बड़े पैमाने पर अनुचित लाभ उठाया गया है।

श्रीमती सावित्री निगम : निर्यात बढ़ाने के लिये विदेशोंमे अच्छे निर्यात गृह स्थापित करने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की गई है और जहांपर वस्तुओंका निर्यात पहले से ही होता है वहां वस्तुओं की मरम्मत करने के लिए क्या किया जा रहा है ?

श्री सें० वे० रामस्वामी : हमने पहले ही 71 निर्यात गृह बनाये हुए हैं उन के द्वारा कम से कम 50 लाख रुपये का वार्षिक निर्यात होने की आशा है। उन में से कुछ प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपये का वार्षिक निर्यात कर रहेहैं। इनके अतिरिक्त हमारे प्रतिनिधि मंडल भी विदेशों को भेजे जाते हैं जो वहां की विशेष वस्तुओं के बारे में आवश्यकताओं का अध्ययन करते हैं और अपनी परिषद् को रिपोर्ट देते हैं। उनकी सिफारिश पर कार्यवाही की जाती है।

श्रीमती रेणुका राय : वर्तमान स्थिति का ध्यान रखते हुए, क्या सरकार कुछ आपातकालीन उपाय जैसे फालतू पैट्रोल का निर्यात और इसके असैनिक प्रयोग का राशन आदि करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : इस समय ब्यौरे में जाने की जरूरत नहीं है। यह एक सुझाव है।

कोरबा में अल्युमीनियम संयंत्र

*335. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री हिंमतसिंहका :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :
श्री बागड़ी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री हरि विष्णु कामत :
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री पाराशर :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री चाण्डक :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री दाजी :
श्री रामपुरे :
श्री वाडीवा :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री बड़े :
श्री शिवदत्त उपाध्याय :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने कोरबा में एक बड़ा अल्युमीनियम संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है जिसकी क्षमता 2,00,000 टन प्रति वर्ष होगी जब कि स्थापित किये जाने वाले पूर्व प्रस्तावित संयंत्र की क्षमता 1,20,000 टन थी;

(ख) यदि हां, तो यह संयंत्र कब स्थापित किया जायेगा;

(ग) क्या हंगरी की सरकार पहले के छोटे सयंत्र के बारे में परियोजना प्रतिवेदन के स्थान पर एक नया विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने को राजी हो गई है;

(घ) इस संयंत्र की स्थापना में रूस और हंगरी किस प्रकार की सहायता देंगे; और

(ङ) इस संयंत्र पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

इस्पात तथा खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) हां महोदय ।

(ख) वर्ष 1966 के अंत तक हंगेरी के मैसर्स चैमोकौम्प्लैक्स द्वारा एल्यूमिना प्लांट के लिये एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की आशा है । परियोजना रिपोर्ट पर विचार हो चुकने के बाद ही प्लांट को निर्माण-कार्य आरम्भ किया जायेगा ।

(ग) हां, महोदय ।

(घ) एल्यूमिना प्लांट के लिये हंगेरी तथा प्रद्रावक प्लांट के लिये सोवियत रूस द्वारा तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जायगी ।

(ङ) परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद ही इसका पता चलेगा ।

श्री हिमतसिंहका : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तांबे के स्थान पर अल्यूमीनियम का प्रयोग बढ़ता जा रहा है । क्या सरकार इस संयंत्र को शीघ्रता से पूरा करायेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : हम इस तथा अन्य संयंत्रों को शीघ्रता से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं ।

Shri Madhu Limaye : I want to know as to how much aluminium produced in this plant will be consumed in this country and how much will be exported and whether any agreement had been reached with Hungary or Russia regarding this export ?

Shri P. C. Sethi : No agreement has been signed with Hungary or Russia regarding this export. Our own requirements of aluminiuum are increasing. We would not be able to meet them.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : सहयोग के लिये हंगरी और सोवियत संघ को चुनने के क्या विशेष कारण हैं और क्या सहयोग परियोजना के तकनीकी पहलू तक ही सीमित रहेगा ? इस के कब तक पूरा होने की आशा है ?

इस्पात तथा खानमंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : हमें किसी देश का सहयोग तो प्राप्त करना ही था । कोयना परियोजना के लिये हम जर्मनी से सहयोग ले रहे हैं । हम किसी भी देश से सहायता लेने को तैयार हैं । दो वर्ष पूर्व हंगरी से बातचीत शुरू हुई थी पहले यह विचार था कि 1,20,000 टन अल्यूमिनियम प्रति वर्ष तैयार किया जायेगा परन्तु बाद में मैं जब रूस गया तब यह समझा गया कि 1,20,000 टन का संयंत्र छोटा रहेगा । उन्होंने कहा कि अच्छा होगा यदि 2 लाख टन अल्यूमिना का संयंत्र हो जिससे एक लाख टन अल्यूमिनियम तैयार हो सके ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इस पर पुँजीगत परिव्यय कितना होगा ?

श्री संजीव रेड्डी : मैं मोटे मोटे अनुमान बता सकता हूं । यह लगभग 38 करोड़ रुपये होगा । पूरा ब्यौरा परियोजना रिपोर्ट मिलने के बाद मालूम होगा ।

Shri Yashpal Singh : What is total consumption of aluminium at present. How much we are producing when will we attain self sufficiency?

श्री संजीव रेड्डी : यह सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में तैयार किया जा रहा है। तृतीय योजना के अन्त तक हमें लगभग दो लाख टन अल्यूमीनियम की आवश्यकता होगी। हम इसे तांबे के स्थान पर तैयार कर रहें हैं। क्योंकि तांबा तथा जस्ता कम मात्रा में उपलब्ध है। हमारी प्रयोगशालाओं में प्रयोग हो रहे। यदि हमें सफलता मिली तो हम अधिक मात्रा अल्यूमीनियम बना सकेंगे। क्योंकि हमारे पास बाक्साईट है जो अल्यूमीनियम बनाने के काम आता है।

Shri Vishwanath Pandey : What will be total cost of alumina plant being set up at Korba.

Shri P. C. Sethi : As has been stated it would be approximately 38 crores of rupees. As the plant will be bigger now, it will be known only on the receipt of project report.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या श्री ति० त० कृष्णमाचारी की हाल की रूस यात्रा के दौरान इस परियोजना के बारे में रूस से शर्तें तय हो गई हैं ?

श्री संजीव रेड्डी : जी नहीं। आप जानते हैं कि श्री कृष्णमाचारी तो व्यापार सम्बन्धी सामान्य बातों को कहते रहे हैं। इस परियोजना के बारे में किसी विशेष बातचीत की आवश्यकता नहीं है। सभी कुछ तय हो चुका है।

श्री क० ना० तिवारी : इस रिपोर्ट के मिलने में विलम्ब के क्या कारण हैं और यह सरकार को कब तक मिल जायेगी ?

श्री संजीव रेड्डी : पहले एक छोटी परियोजना बनाने का विचार था। बाद में इसे बड़ा करने का विचार बना। इस लिये रिपोर्ट अब से एक वर्ष बाद मिलेगी।

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय ने वित्त मंत्री की सोवियत संघ की यात्रा का उल्लेख किया है। इस बारे में कल जब हमने वित्त मंत्री से कहा था कि वह अपनी रूस की यात्रा के बारे में एक वक्तव्य दें तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, परन्तु समाचार पत्रों को उन्होंने एक बयान दिया है। इस प्रकार सभा की उपेक्षा क्यों की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : आप अनुपूरक प्रश्न करें।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या प्रश्न काल के बाद आप हमें इसे उठाने की आज्ञा देंगे ?

श्री संजीव रेड्डी : कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा था कि क्या श्री कृष्णमाचारी ने इसके बारे में बात की थी। मैंने उसका उत्तर दिया था कि उस चर्चा के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री हेम बरूआ : क्या हम यह समझें कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद आप हमें इस प्रश्न को उठाने की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में इस समय कोई आश्वासन नहीं दे सकता।

Shri Bade : Korba project is under consideration since 1961. Initially its production capacity was to be 1,20,000 tons, later it was contemplated to 2,00,000 tons. Russia wanted its capacity to be 4,00,000 tons or it would be an uneconomic project. I want to know that if it would been alumina project, what would be the position of aluminium. If aluminia's capacity would be 2,00,000 tons, whether 2,00,000 tons of aluminium would be produced?

श्री संजीव रेड्डी : यदि अल्यूमिना 2 लाख टन होगा तो अल्यूमीनियम का उत्पादन 1 लाख टन का होगा। अल्यूमिना को अल्यूमीनियम में बदलने का कार्य रूस करेगा।

श्री बड़े : अल्यूमिना तैयार करने के बाद क्यों उसको रूस भेजा जायेगा ?

श्री संजीव रेड्डी : जी हां। हंगरी हमें अल्यूमिना के उत्पादन में सहायता करेगा। उस के बाद रूस हमारी अल्यूमीनियम के उत्पादन में सहायता करेगा।

रूस ने सुझाव दिया है कि 1.20 लाख टन की अल्यूमिना की क्षमता वाला संयंत्र बहुत छोटा होगा और हमें 2 लाख टन की क्षमता वाला संयंत्र स्थापित करना चाहिये। हंगरी ने अल्यूमिना का उत्पादन बढ़ाना स्वीकार कर लिया है।

मांस, पनीर, फल तथा सब्जियों का निर्यात

*336. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री मधु लिमये :
श्री बागड़ी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 सितम्बर, 1965 को कोलोन अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य मेले के उद्घाटन के अवसर पर पश्चिम जर्मनी स्थित हमारे राजदूत के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि भारत में चावल और गेहूं की तो कमी है पर वहां मांस, पनीर, फल तथा सब्जियों का बाहुल्य है और इन वस्तुओं का अन्य देशों को निर्यात किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस वक्तव्य पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) और (ख) : बौन स्थित भारतीय राजदूतावास से की गयी पूछताछ द्वारा यह पता चला है कि पश्चिम जर्मनी में भारत के राजदूत ने अनुगा मेले के उद्घाटन के दिन इस प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं दिया है। किन्तु प्रेस प्रतिनिधियों से बाद में एक अन्य अवसर पर हुई बातचीत में राजदूत ने यह कहा था कि यद्यपि भारत में गेहूं और चावल जैसे अनाजों की कमी है, परन्तु हम अनाजों के निर्यात के लिये नहीं, वरन् अपनी परम्परागत वस्तुओं जैसे चाय, काफी, काजू गिरी इत्यादि के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं जैसे डिब्बाबन्द मछली उत्पाद, फलों के रस, तरकारियों और मांस उत्पादों का निर्यात करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार राजदूत द्वारा दिये इस वक्तव्य से सहमत है। समापित खाद्य, समुद्री खाद्य, मसाले और चटनियां, ताज़े फल और तरकारियां आदि के निर्यात के लिये सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं। ये देश की आन्तरिक मांग की पूर्त्ति हो जाने के पश्चात निर्यात के लिये उपलब्ध होती हैं।

Shri Ram Sewak Yadav : Sir, the Prime Minister has said that keeping in view of the food shortage people should change their eating habits and these things should also be consumed. I want to know whether the country would be able to export these things in these circumstances ?

श्री सें० वे० रामस्वामी : हमारा यह विचार नहीं है कि सभी उत्पादित वस्तुओं की यहीं खपत की जाये। हमें निर्यात के लिये कुछ अवश्य बचाना चाहिये। यह मेला मुख्य रूप से समापित खाद्यों को प्रदर्शनी के लिये था। यह मेला इतना सफल था और जर्मनी के लोगोंने डिब्बों में बन्द समुद्री मछली में इतनी रुचि दिखायी है कि उन्होंने एक साल का स्टाक करने के लिये आर्डर दिया है और इसे विमानों द्वारा मंगाया था। प्रदर्शनी ने यह कार्य किया है।

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. Minister has said that it is not necessary that we should consume whatever we produce. Then how is it that we have all these as surplus ?

श्री स० व० रामस्वामी : हम समुद्र की सभी मछलियों की खपत नही कर रहे हैं। हम अपनी आवश्यकताओं के अतिरिक्त निर्यात के लिये भी मछली पकड़ते हैं।

प्रश्नोंके लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

चलती गाड़ियों से सन्देश भेजना

*337. **श्री भानु प्रकाश सिंह :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री चलती गाड़ियों से सन्देश भेजने के बारे में दिनांक 27 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 255 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच योजना पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) आपात काल के कारण यह योजना अभी तक उत्तर रेलवे में लागू नही की जा सकी है।

(ख) इस योजना की मुख्य बातें ये है कि जब गाड़ियां बहुत देर से चल रही हों तो ऊंचे दर्जे के यात्रियों के फोन नम्बर/पते और कार नम्बर कंडक्टर गार्ड/कोच अटन्डेट द्वारा नोट कर लिये जायेंगे और गन्तव्य स्टेशनों को फोन से बता दिया जायेगा ताकि गाड़ी के देर से चलने के बारे में उन यात्रियों के घर पर/कार्यालय में/स्टेशन पर उनकी प्रतीक्षा करने वाले ड्राइवरों को सूचना दी जा सके।

वाणिज्यिक प्रचार

*338. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री कपूर सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ वर्तमान संघर्ष को ध्यान में रखते हुए अगले वर्ष से विदेशों में भारत के वाणिज्य प्रचार कार्यक्रम के बारे में पुनर्विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) और (ख) : साधारणतया भारत के विदेशी वाणिज्यिक प्रचार कार्यक्रम का लगातार पुनर्विलोकन होता रहता है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में होने वाले नवीनतम परिवर्तनों के अनुसार आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन होते रहते हैं। वाणिज्यिक प्रचार द्वारा हम मुख्यतः यह बतलाते हैं कि हमारे उत्पाद कितने प्रकार के हैं और उनके मूल्य तथा किस्म अन्य देशों के उत्पादों से महंगे नहीं होते। शायद सदस्य-महोदय का आशय 'विदेशी प्रचार' की ओर है।

Facilities to Railway Employees in Forward Areas

***339. Shri D. N. Tiwary :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any decision has been taken for providing same facilities to all the railway employees posted in forward areas as are available to the military personnel; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No, sir.

(b) Conditions of sevice in the cases of Railway and military personnel are not identical.

Price of Industrial Plots in Delhi

***340. Shri Bagri :**
Shri Madhu Limaye :
Shri Ram Harakh Yadav :

Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact the plots developed by Government for industries at Delhi are being sold to industrialists at very low rates;

(b) if so, the reasons therfore, especially when the prices of land in Delhi are very high; and

(c) the rates at which the plots at Najafgarh Road, Delhi were sold by Government to industrialists ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry & Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) No, Sir. The plots are being allotted to the industrialists at pre-determined rates which take into consideration the cost of acquisition, development and nominal additional charges. A reference is invited in this connection to the policy statement laid on the table of the House by the Minister for the Hone Affairs on 23-3-1961 in reply to notice under rule 197 from Shri P. G. Deb regarding allotment of acquired land in Delhi.

(b) Does not arise.

(c) No industrial plots have been allotted on Najafgarh Road by Government in pursuance of the policy referred to in reply to part (a) of the question as there is no scheme for development of industrial land on the Najafgarh Road.

बिजली और भांप के इंजिन

***342. श्री अ० प्र० शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों की बिजली, डीजल और भांप वाले इंजिनों की कुल आवश्यकता कितनी है;

(ख) इनमें से देश में सरकारी तथ गैर-सरकारी क्षेत्र में कितनी कितने इंजिन तैयार किये जाते हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक की कुल कितनी लागत है।

(घ) सरकारी क्षेत्र में बने इंजिन की लागत गैर-सरकारी क्षेत्र में बने इंजिन की लागत से कम है या ज्यादा;

(ङ) इनमें से कितने इंजिन अभी तक विदेशों से मंगाये जाते हैं और उन देशों के नाम क्या हैं; जिनसे वे मंगाये जाते हैं; और

(च) इस बारे में हम कब तक आत्मनिर्भर हो जायेंगे ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) तीसरी योजना के लिए अनुमानतः कुल जितने रेल इंजनों की आवश्यकता होगी, वह इस प्रकार है :—

	बडी लाइन	मीटर लाइन	छोटी लाइन	जोड़
बिजली . .	192	18	—	210
भाप . . .	799	325	—	1124
डीज़ल . . .	375	147	25	547
जोड़ .	1366	490	25	1881

(ख) तीसरी योजना में 31-3-1966 तक निजी और सरकारी क्षेत्रों में जितने रेल इंजनों उत्पादन होने की सम्भावना है, उनकी संख्या नीचे दी गयी है :—

रेल इंजन	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र
भाप . . .	744 बड़ी लाइन	298 मीटर लाइन
डीज़ल . . .	44 ,,	
बिजली . . .	79 ,,	

(ग) देश में बनाये गये विभिन्न किस्म के रेल इंजनों की लागत इस प्रकार है :—

भाप रेल इंजन	सवारी	माल
	(लाख रुपयों में)	
बड़ी लाइन	4.64	4.46
मीटर लाइन	3.79	3.81

डीज़ल रेल-इंजन

बड़ी लाइन :

सही लागत का तब तक पता नहीं लगेगा जब तक कि विकास की अवधि समाप्त नहीं हो जाती और उत्पादन स्थापित-क्षमता के आस-पास स्थिर नहीं हो जाता। यदि चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में बनाये जा रहे भांप रेल इंजनों से प्राप्त अनुभव को आधार मान लिया जाये, तो डीज़ल रेल-इंजन कारखाने में बनने वाले डीज़ल रेल इंजन की लागत विदेशों से मंगाये जाने वाले डीज़ल रेल इंजन से अधिक नहीं होगी (और हो सकता है यह उससे कम ही हो)।

बिजली रेल-इंजन

बड़ी लाइन :

डी० सी० 12.03 लाख रुपये

ए० सी० 12.38 लाख रुपये

(घ) बड़ी लाइन के भाप, डीज़ल और बिजली रेल इंजन सरकारी क्षेत्र में और मीटर लाइन के भाप रेल इंजन निजी क्षेत्र में बनाये जाते हैं। चूंकि निजी और सरकारी क्षेत्रों में बनाये जाने वाले रेल इंजनों की किस्म एक-सी नहीं है, इसलिए उनकी कीमतों की तुलना नहीं की जा सकती।

(ङ) भाप रेल इंजन बाहर से नहीं मंगाये जा रहे हैं। तीसरी योजना में डीज़ल और बिजली के निम्नलिखित रेल इंजन बाहर से मंगाये गये हैं :—

	जापान	संयुक्त राज्य अमेरिका	कनाडा	पश्चिमी यूरोप	जोड़
डीज़ल	—	434	37	32	503
बिजली	91	—	—	40	131
				जोड	634

(च) भाप रेल-इंजनों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त की जा चुकी है। चौथी योजना में बिजली के अनुमानतः 601 रेल इंजनों की आवश्यकता होगी, जिनका उत्पादन अपने देश में ही कर लिया जायेगा। जहां तक डीज़ल रेल इंजनों का सम्बन्ध है, चौथी योजना में अनुमानतः 970 रेल इंजनों की आवश्यकता होगी। इनमें से मीटर/छोटी लाइन के लगभग 200 रेल इंजनों को छोड़कर, आशा है, बाकी सभी को अपने देश में ही तयार कर लिया जायेगा। आशा है, पांचवीं योजना में डीज़ल रेल-इंजनों के उत्पादन में भी आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली जायेगी।

यूगोस्लाविया के साथ व्यापार करार

*343 **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हेडा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बासप्पा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री दे० द० पुरी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री कजरोलकर :
श्री रामपुरे :
श्री राम हरख यादव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके बेलग्रेड के दौरे के परिणामस्वरूप यूगोस्लाविया के साथ पांच वर्षों के लिए एक व्यापार करार को अन्तिम रूप दिया गया है;

(ख) क्या दोनों देशों को अपेक्षित सामान के संभरण के लिये भारत में संयुक्त औद्योगिक उपक्रम चालू किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या भारत और यूगोस्लाविया ने कुछ एशियाई और अफ्रीकी देशों में निर्माण सेवा और संयुक्त उपक्रम स्थापित करने में सहयोग देने का फैसला किया है; और

(घ) क्या भारत-यूगोस्लाविया व्यापार और आर्थिक आयोग की बेलग्रेड में अक्तूबर में बैठक हुई थी और यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किये गये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) से (घ) : बेलग्रेड में 14-10-65 को एक संलेख पर हस्ताक्षर किये गये हैं जिसकी एक प्रति (अंग्रेजी में) सदन की मेज पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 5190/65।]**

फालतू रेल माल-डिब्बों का निर्यात

*344. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में रेल माल-डिब्बे बड़े पैमाने पर बनाये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो फालतू माल-डिब्बों का निर्यात करने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ अर्से से वाणिज्य मंत्रालय और विदेशों में स्थित भारतीय मिशन के निकट सम्पर्क से चलस्टाक के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो उपाय किये गये हैं, उनमें ये काम शामिल हैं :—भारतीय निर्माताओं को विदेशी टेण्डर भेजना, विदेशों में वितरित करने के उद्देश्य से निर्यात के लिए उपलब्ध रेल उपस्कर की सूची प्रकाशित करना और विदेशी सम्मानित व्यक्तियों को भारत आने का निमंत्रण देना। इन उपायों के फलस्वरूप एक फर्म को मीटर लाइन के 480 माल-डिब्बों के निर्यात का आर्डर मिल चुका है, जिनकी कीमत लगभग 1.57 करोड़ रुपये है।

थाईलैंड से कच्चे पटसन का आयात

*345. **श्री रवीन्द्र वर्मा** :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
डा० सरोजनी महिषी :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उद्योग के लिये थाईलैंण्ड से कच्चे पटसन का आयात करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कितनी मात्रा में आयात किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) और (ख) : चालू मौसम में सरकार ने 10 लाख गांठों के आयात के लिए अधिकार दे दिया है। पाकिस्तान से हमारी आयातों की रुकावट को ध्यान में रखते हुए थाईलैंण्ड से कच्ची पटसन खरीदने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। थाईलैंण्ड से पहले से खरीदी गई 2.5 लाख गांठों के अतिरिक्त 6 लाख गांठों की खरीद के लिए बातचीत हो चुकी है।

3—2 L. S./66

कच्चे पटसन का आयात

*346. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री रा० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से कच्चे पटसन का आयात नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इससे भारतीय बढ़िया पटसन-वस्तुओं की किस्म पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) क्या भारत को कच्चे पटसन के संभरण के कोई अन्य संसाधन उपलब्ध हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) चमकीले टाट तथा फर्शी दरियों के अस्तर बनाने के लिए भारतीय पटसन के साथ मिलाने के लिये बढ़िया किस्म की लम्बी पटसन सीमित मात्रा में पाकिस्तान से आयात की जाती थी। पाकिस्तान से आयात रुक जाने के कारण इन वस्तुओं की किस्म में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा।

(ग) इस समय कोई ऐसा संसाधन उपलब्ध नहीं है जहां से ऐसी बढ़िया किस्म की लम्बी पटसन मंगाई जा सके। थाईलैण्ड, केनाफ का सम्भरण कर सकेगा जिसकी किस्म भारत में पैदा होने वाले मेस्टा के बराबर होती है।

सूती कपड़े का निर्यात

*347. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री न० प्र० यादव :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सूती कपड़े का निर्यात गिर गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इसका निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) और (ख) : इस वर्ष के शुरू के महीनों में सूती कपड़े के निर्यात में जो कमी आ गयी थी वह लगभग अब पूरी हो चुकी है और अब सूती कपड़े का निर्यात लगभग उसी स्तर पर है जहां वह गत वर्ष की इसी अवधि (जनवरी से सितम्बर) में था।

(ग) सूती कपड़े का निर्यात बढ़ाने के लिए कई कदम उठाये गये हैं। इन में कुछ महत्वपूर्ण कदम नीचे दिये गये हैं :—

(1) मई, 1965 में वाणिज्य मंत्री ने 108 निर्यात मिलों को व्यक्तिगत पत्र लिख कर उन्हें निर्यात बढ़ाने की प्रेरणा दी और उनके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर ध्यान देकर दूर करने का प्रस्ताव किया। 60 मिलों के उत्तर आ चुके है और उन्होंने जो सुझाव तथा कठिनाइयां लिखी है उनके विषय में सम्बद्ध अधिकारियों के साथ तुरन्त बातचीत शुरू कर दी गई है।

(2) उन देशों को होने वाले कपड़े के निर्यात पर विशिष्ट दृष्टि रखी जा रही है जिन्होंने सूती कपड़े के आयात पर अपने यहां कोटा सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि इन देशों ने जो कोटे प्रदान किये हैं उनका निश्चित अवधियों के अन्दर पूर्ण उपयोग हो जाय।

(3) दिसम्बर, 1964 में वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी जिसका उद्देश्य सूती कपड़ा निर्यात सम्वर्द्धन परिषद् के कार्य चालन की देखभाल कर के सूती कपड़े का निर्यात बढ़ाने के ढंग और साधन निश्चित करना था। इस समिति की एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह भी थी कि भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ एक विकास समिति स्थापित करे जो ऐसा कुछ विशिष्ट माल तैयार करने की प्रायोजना आरम्भ करे जिसकी विश्वबाजार में सदा मांग बनी रहती है। अब तक इस प्रायोजना में 18 मिल शामिल हुए है। कुछ और मिलों को इस में शामिल कर लेने के लिए प्रयत्न किये जा रहे है।

(4) मंत्रालय में स्थापित किये गये एकतदर्थ कार्यकारी वर्ग ने भी निर्यात बढ़ाने के अनेक सुझाव दिये हैं इसने निर्यात करने वाले मिलों के लिए ऋण व्यवस्था करने की कोई उपयुक्त योजना बनाने और प्रणाली सम्बन्धी उन कठिनाइयों को हटाने पर बल दिया है जिन से निर्यातकों को मुश्किल होती है। निर्यात ऋण गारंटी निगम से कहा जा चुका है कि वह निर्यातक मिलों के लिए ऋण सुविधाएं देने की कोई नयी योजना बनाये। अन्य सिफारिशों पर भी सम्बद्ध अधिकारियों की सलाह से अमल किया जा रहा है।

(5) हमारे सूती कपड़ों के लिए बाजार खोज निकालने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों को कुछ शिष्ट-मण्डल भेजे गये हैं।

दस्तूर एण्ड कम्पनी

*348. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री यशपाल सिंह :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री सुबोध हंसदा : **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने "दस्तूर एण्ड कम्पनी" की एक भारतीय विशेषज्ञ सलाहकार निकाय के नाते प्रशंसा की थी;

(ख) यदि हां, तो अब इस कम्पनी को किन-किन कार्यों के लिये विश्वासनीय समझा गया; और

(ग) भविष्य में इस्पात परियोजना के संबंध में यह कम्पनी क्या क्या कार्य करेगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) : सरकार निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में प्रायोजनाओं के विकास में हिन्दुस्तान स्टील के केन्द्रीय इंजीनियरिंग तथा रूपांकन ब्यूरो, दस्तूर एण्ड कम्पनी तथा अन्य भारतीय परामर्श–संगठनों द्वारा दिए जाने वाले योगदान की प्रशंसा करती हैं। सरकार के जनरल कंसलटेंट होने के अतिरिक्त दस्तूर एण्ड कम्पनी, दुर्गापुर की सामहिक महत्व की मिश्र-इस्पात प्रायोजना के लिए भी परामर्शदाता हैं। फर्म ने सरकार के कहने पर नैवेली–सेलम क्षेत्र में एक इस्पात कारखाने की स्थापना तथा आठ बड़ी 2 धमन भट्टियों के स्थान-निर्धारण के लिए जिन्हें बाद में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में बदला जा सकने के लिए शक्यता रिपोट भी तैयार की है।

जहां तक बोकारों इस्पात कारखानों के लिए दस्तूर एण्ड कम्पनी के सहयोग का प्रश्न है सहयोग के क्षेत्र के बारे में विस्तार से तभी बताया जा सकेगा जब रूस में बनाई गई विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट मिल जायगी और उसका अध्ययन कर लिया जायगा। दस्तूर एण्ड कम्पनी को प्रारम्भिक प्रायोजना रिपोर्ट तथा इस प्रायोजना में सोवियत संघ के सहयोग से पहले फर्म द्वारा बोकारो इस्पात कारखाने के लिए बनाई गई विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट के लिए 63,00,000 रुपये दिए गए है।

कलकत्ता में चाय बोर्ड का कार्यालय

*349. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वाणिज्य** मंत्री 24 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 822-क के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में चाय बोर्ड के कार्यालय के 10 कर्मचारियों पर, जिन्हें निलम्बित किया गया था तथा आरोप पत्र दिया गया था, अभियोग चलाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) और (ख) : जी, नहीं। इसमें से किसी भी कर्मचारी पर अभियोग नहीं चलाया जा रहा है। इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है। कर्मचारियों से आरोप पत्रों के उत्तर प्राप्त हो चुके हैं जिनपर विभागीय कार्रवाईयों के लिए निश्चित की गई क्रियाविधि के अनुसार जांच अधिकारी द्वारा विचार किया जायगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

*350. **श्री हेडा :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 3 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 410 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1965 में, नई दिल्ली में, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों के एक सम्मेलन में किये गये निर्णयों को सरकारी क्षेत्र के कारखानों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा में कितनी बचत हुई है; और

(ग) इन निर्णयों की क्रियान्विति की देख रेख के लिये क्या कोई व्यवस्था की गई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विबुधेंद्र मिश्र) : (क) से (ग) : उद्योग विभाग के अन्तर्गत आने वाले सरकारी कारखानों के प्रमुखों को जुलाई, 1965 की बैठक में किए गए निर्णयों के क्रियान्वन को देखने के लिए तकनीकी विकास के महानिदेशकालय को प्रमुख समन्वय रखने वाली एजेन्सी बना दिया गया है। इन निर्णयों को क्रियान्वित कर दिया गया है लेकिन इनके द्वारा हुई बचत के बारे में स्पष्ट रूप से इतनी जल्दी कुछ नहीं कहा जा सकता।

ब्रिटेन द्वारा लगाये गये सार्वभौमिक प्रतिबन्ध

*351. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत समेत सभी देशों से होने वाले व्यापार पर ब्रिटिश सरकार ने जनवरी, 1966 से आरम्भ होने वाले पांच वर्षों के लिये सार्वभौमिक प्रतिबन्ध लगा दिये हैं;

(ख) यदि हां, इससे भारत पर किस प्रकार प्रभाव पड़ने की आशा है; और

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कोई प्रतिकारात्मक या विचारात्मक कार्यवाही की गई है तो क्या ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) से (ग) : ब्रिटेन में कुछ देशों से होने वाले सूती वस्त्रों के आयात को विनियमित करने के लिए वहां की सरकार ने 5 वर्षों की अवधि के लिए एक विश्व कोटा का प्रस्ताव किया है। इस विश्व व्यवस्था का भारत और हांगकांग पर लागू होने वाली वर्तमान देश कोटा प्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

भारत से सूती वस्त्रों का आयात करने के लिए जनवरी, 1966 से लागू होने वाली नयी व्यवस्था के विस्तृत ब्यौरे पर अब भी दोनों देशों की सरकारें विचार कर रही है।

जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र पर पुल

***352. श्री जो० ना० हजारिका :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक दूसरा पुल बनाने के लिय आसाम की मांग को स्वीकार कर लिया है ताकि देश के उस भाग में संचार व्यवस्था में सुधार किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कैसी और कितनी केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता होगी; और

(ग) पुल के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठते ।

कोयना और कोरबा एल्यूमीनीयम परियोजनाओं के लिए कम्पनी

***353. श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयना और कोरबा एल्यूमीनियम परियोजनाओं के निर्माण, प्रबन्ध और उनको चलाने के लिय संघ सरकार ने सरकारी क्षेत्र में एक कम्पनी बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका अध्यक्ष कौन होगा;

(ग) इन परियोजनाओं के लिये किन किन देशों ने सहायता देना स्वीकार किया है; और

(घ) क्या कोयना एल्यूमीनियम परियोजना के लिये पश्चिम जर्मनी से कोई करार किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) हां, महोदय ।

(ख) अभी तो इस्पात तथा खान मंत्रालय में खान तथा धातु विभाग के सचिव कम्पनी के अध्यक्ष होंगे ।

(ग) पश्चिमी जर्मनी के मैसर्स वैरिगनाइट एल्यूमीनियम वर्क्स (व्हीं० ए० डब्ल्यू) कोयना एल्यूमीनियम परियोजना के तकनीकी परामर्शदाता के रूप में काम करने के लिये सहमत हो गये हैं ।

हंगेरी के मैसर्स चैमोकोम्प्लैक्स कोरबा एल्यूमीनियम परियोजना के एल्यूमिना प्लांट के तकनीकी परामर्शदाता होंगे । हंगेरी ने एल्यूमिना प्लांट के लिये आवश्यक उपकरण बाहर से मंगवाने के लिये ऋण देने का प्रस्ताव भी दिया है ।

कोरबा परियोजना के प्रद्रावक भाग के लिये सोवियत रूस सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता देने के लिये राजी हो गई है ।

(घ) कोयना एल्यूमीनियम परियोजना के लिये तकनीकी परामर्श लेने के लिये पश्चिमी जर्मनी के मैसर्स व्हीं० ए० डब्ल्यू० के साथ एक समझौता किया गया है जिसपर हाल में ही हस्ताक्षर किय जाने वाले हैं।

सरकारी क्षेत्र में स्कूटर तथा आटो-साइकिल कारखाना

*354. **श्री भानु प्रकाश सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना में देश में सरकारी क्षेत्र में स्कूटर तथा आटो-साइकिल का कारखाना लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो वह कहां स्थापित किया जायेगा; और

(ग) उसके लिए कितना धन निश्चित किया गया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेंद्र मिश्र) : (क) इस समय स्कूटर तथा स्वचालित साइकिलें बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र में कोई कारखाना स्थापित करने का कोई सुझाव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

Textile Industry of Amritsar

*355. **Shri Bagri :** **Shri Daljit Singh :**
Shri Madhu Limaye : **Shri P. C. Borooah :**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the textile industry of Amritsar is facing shortage of funds and material on account of Pakistani aggression:

(b) whether the textile mill-owners of that area have requested Government for help in this connection ; and

(c) if so, Govenment's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy) : (a) to (c). The textle industry in Amritsar had some difficulties in regard to funds and representations had been received by Government. Banks functioning in the Border districts of Punjab have been requested to provide credit facilities to the extent necessary for industry and trade in this area. Government has also decided to guarantee up to the end of February 1966, any increase in the secured loans and advances granted to industrial units and traders in the districts of Ferozepur, Gurdaspur, Amritsar, Ludhiana, Jullundur and Kapurthala subject to a limit of 10% of the market value of the goods pledged, hypothecated or mortgaged to the commercial banks.

Only the woollen sector of the textile industry has been affected by the shortage of materials. This is largely due to the reduction in the quantum of imports as a result of the tight foreign exchange position and this situation applies to the entire woollen industry in the country.

कलकत्ता में सर्कुलर रेलवे

*356. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री प्र० चं बरुआ :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कलकत्ता की यातायात समस्या में सुधार करने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिये नियुक्त की गई उप-समिति ने वहां सर्कुलर रेलवे चालू करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है;

(ख) क्या वह समिति रेलवे मंत्रालय के सहयोग से कार्य कर रही है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय से तकनीकी सलाह मांगी गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या मंत्रालय सर्कुलर रेलवे बनाने के पक्ष में है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) अभी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) अभी नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

कोयले का उत्पादन

899. **श्री मधु लिमये :**

श्री बागड़ी :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला बोर्ड, गैर-सरकारी तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानों को क्या वित्तीय सहायता दे रहा है;

(ख) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानों में उत्पादन कम हो गया है;

(ग) क्या रेलवे तथा डी० वी० सी० तापीय विद्युत केन्द्र जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम उत्पादन बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा उत्पादित कोयले को अधिमान देते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) कोयला बोर्ड सरकारी और गैर सरकारी दोनो क्षेत्रों के स्वैच्छिक रेत क्षेप्य भरण (stand stowing), सुरक्षा कार्यों तथा विपरित खनन कारकों के लिये खानों को सहाय्य देता है। 1964-65 वर्ष में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम तथा गैर-सरकारी कोयला खानों को इस मद में दी गई रकम क्रमश: 82 लाख रु० तथा 490 लाख रु० थी।

(ख) वर्ष 1965 में (अक्तूबर तक) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कोयला खानों का उत्पादन 7.7 मिलियन मीटरी टन था जबकि गत वर्ष की इसी अवधि में यह उत्पादन 6.7 मिलियन मीटरी टन था।

(ग) और (घ) : खुले निविदा तथा बातचीत करने के आधार पर, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन संस्थाओं को कोयला देने के लिये दीर्घ-कालीन प्रबन्ध करता है। तथापि यह प्रबन्ध विभिन्न कारकों, जैसे कोयला खानों से उपभोक्ता केन्द्रों की दूरी तथा उत्कथित दरों पर निर्भर होते हैं।

Railway Workers of Kasara Station

900. Shri Madhu Limaye :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the railway workers of Kasara Station (Central Railway) have registered a Railway Kamgar Sahkari-Grahak Bhandar Maryadit (a consumer co-operative store);

(b) whether it is a fact that the Central Railway Administration is not giving the facilities of accommodation and deduction from pay to this Society because its name and rules are in Marathi ; and

(c) if so, whether this is not against the declared policy of the Central Government?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) No.

(c) Does not arise.

उत्तर रेलवे के डिवीजनल सुप्रिन्टेंडेंट का कार्यालय, फीरोजपुर

901. श्री राम हरख यादव : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फीरोजपुर स्थित उत्तर रेलवे के डिवीजनल सुप्रिन्टेंडेण्ट के कार्यालय को जालंधर ले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे फीरोजपुर के लोगों पर, जिन्होंने पाकिस्तान से हुए हाल की लड़ाई में बहुत हानि उठाई है, क्या प्रतिक्रिया हुई ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) मण्डल कार्यालय को फिरोजपुर से जालंधर ले जाने के सवाल पर विचार किया गया था और यह निश्चय किया गया कि फिरोजपुर और जालंधर में अभी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहने दी जाये।

(ख) परिचालन-कुशलता की दृष्टि से मण्डल कार्यालय के मुख्यालय के लिए जालंधर अधिक उपयुक्त समझा गया।

(ग) फिरोजपुर के कुछ लोगो ने मण्डल कार्यालय को फिरोजपुर से जालंधर ले जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है। लेकिन, मण्डल कार्यालय के कर्मचारियों ने मण्डल कार्यालय को शीघ्र फिरोजपुर से जालंधर ले जाने के लिए अपील की है।

मोकामा के निकट दुघटना

902. श्री राम हरख यादव :

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 अक्टूबर, 1965 को पूर्वी रेलवे के मोकामा-बरौनी सेक्शन पर पटरी बदलते समय डाक के डिब्बे और मोकामा जाने वाली डाउन गाड़ी के बीच टक्कर हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारण और ब्यौरा क्या है; और

(ग) जान और माल की कितनी हानि हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) 4-10-1965 को जब नं० 2 डाउन मोकामा-बरौनी सवारी गाड़ी बरौनी स्टेशन की लाइन नं० 3 में दाखिल हो रही थी, तो उसका इंजन एक पोस्टलवान से टकरा गया जो लाइन नं० 3 में घुस आया था। जांच-समिति की रिपोर्ट की छानबीन की जा रही है।

(ग) इस दुर्घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई।

रेल-सम्पत्ति को लगभग 1,415 रुपये की क्षति पहुंचने का अनुमान है।

गोदावरी नदी पर रेलवे पुल

904. श्री कोल्ला वैंकैया : क्या **रेलवे** मंत्री 10 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1936 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अब 'रोड डेक' के लिये प्राक्कलन और अतिरिक्त लागत का भुगतान करना मंजूर कर लिया है;

(ख) क्या सरकार ने पुनरीक्षित डिजाइन के आधार पर रेल-एवं-सड़क गर्डरों के लिये कोई टेंडर मंजूर किया है; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) अभी तक नहीं। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह इस सम्बन्ध में शीघ्र मंजूरी दे।

(ख) और (ग) : टेंडर मांगे गये हैं और आशा है, 17 जनवरी, 1966 को खोले जायेंगे।

केरल उद्योग विकास निगम

905. श्री अ० क० गोपालन : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 4 वर्षों में केरल उद्योग विकास निगम ने कितने उद्योगों को वित्तीय सहायता दी;

(ख) निगम ने किन-किन उद्योगों में शेयर ले रखे हैं और प्रत्येक उद्योग में इन शेयरों पर कितना धन लगा हुआ है;

(ग) इस वर्ष निगम द्वारा कौन-कौन से नये उद्योग स्वयं अथवा दूसरों के सहयोग से चालू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) न में कितनी धनराशि लगाने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेंद्र मिश्र) : (क) से (घ) : राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

केरल में ब्रांडी का कारखाना

906. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल स्थित त्रिवेन्द्रम में ब्रांडी बनाने का कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी; और

(ग) इस कारखाने में रोजगार की सम्भावनाओं का क्या अनुमान है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेंद्र मिश्र) : (क) सरकार को ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

'टिटैनियम आक्साइड' का उत्पादन

907. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चावरा, की 'खनिज रेत' से टिटैनियम आक्साईड बनाने के प्रयोग में एक जापानी फर्म को सफलता मिल गई है; और

(ख) यदि हां, तो टिटैनियम आक्साइड बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेंद्र मिश्र) : (क) और (ख) : चावरा में उत्पादित इलमनाइट का मैसर्स ट्रावनकोर टिटैनियम प्रोडक्ट्स लि० त्रिवेन्द्रम द्वारा पहले ही सफलता-पूर्वक प्रयोग किया जा रहा है । लेकिन जापानी फर्म ने इलमनाइट पर आधारित टिटैनियम डाइ-आक्साइड का कारखाने के स्तर पर उत्पादन करने के लिए किए गए प्रयोगों के बाद चावरा में उत्पादित इलमैनाइट को अपनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं पाया ।

सिविल रक्षा (डिफेन्स) संगठन

908. **श्री राम हरख यादव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने दिल्ली क्षेत्र में अपना सिविल रक्षा (डिफेन्स) संगठन स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या रेलवे प्रशासन ने यात्रा करने वाली जनता को सिविल रक्षा और सिविल जिम्मेदारियों की शिक्षा देने के लिये फिल्म शो आयोजित किये है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली मण्डल में, जिसमें दिल्ली क्षेत्र भी शामिल है, नागरिक रक्षा का कार्य एक वरिष्ठ अधिकारी के अधीन रखा गया है। निदेशक, नागरिक रक्षा, दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी की गयी हिदायतों के आधार पर नागरिक रक्षा के उद्देश्य से दिल्ली क्षेत्र को 6 उप-क्षेत्रों में बांट दिया गया है और हर उप-क्षेत्र को एक आपात-अधिकारी के अधीन रखा गया है। आपात अधिकारी की सहायता के लिए शिफ्ट अफसर, पोस्ट वार्डन, सेक्टर वार्डन, प्राथमिक चिकित्सा और अग्निशामक दल और विभिन्न सेवाओं में प्रशिक्षित कर्मचारी है।

(ग) जी हां। दिल्ली क्षेत्र में 158 फिल्म शो का आयोजन किया गया है।

कृषि उत्पाद के निर्यात में विविधता लाना

909. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास, चीनी और तिल्हन के बजाये बागान और उद्यान के उत्पादों का निर्यात कर के कृषि उत्पादों के निर्यात में विविधता लाने का कोई प्रयत्न किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में कोयले की कमी

910. श्री प्र० के० देव : **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री सोलंकी : **श्री कपूर सिंह :**

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कोयले की भारी कमी के संबंध में दिल्ली के निवासियों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : साफ्ट कोक की कमी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। दिल्ली में साफ्ट कोक की प्रदाय स्थिति पर रेलवे द्वारा प्रतिबन्ध लगा देने से सितम्बर 1965 में प्रभाव पड़ा था। अब स्थिति सुधर गई है जैसा कि नीचे के विवरण से पता चलेगा :—

मास	प्रेषण (वैगनों में)
अगस्त 1965	1273
सितम्बर 1965	686
अक्टूबर 1965	1385
नवम्बर 1965 (7 ता० तक)	293

औद्योगिक बस्तियां

911. **श्री ब० कु० दास** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964 तथा 1965 की पहली छिमाही में कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गयीं ;

(ख) उक्त अवधि में इन बस्तियों पर पूंजीगत परिव्यय के रूप में कितना धन खर्च किया गया ;

(ग) क्या अब तक उस में से कुछ वसूली भी हुई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेंद्र मिश्र) : (क) से (ग) : राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

एयर राइफलों का निर्माण

912. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितनी एयर राइफलों का निर्माण हो रहा है; और

(ख) क्या भारत की राष्ट्रीय राइफल संस्था ने इनको नागरिकों को राइफल का प्रशिक्षण देने के लिये संतोषजनक पाया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेंद्र मिश्र) : (क) एयर राइफलों के बारे में, जिन पर शस्त्र अधिनियम के उपबन्ध लागू नहीं होते, ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं है । राज्य सरकारों को इस संबंध में लिख कर भेज दिया गया है जिसके उपलब्ध होते ही उसे सदन की मेज पर रख दिया जायेगा ।

(ख) राष्ट्रीय राइफल संस्था ने इन राइफलों की नागरिकों को प्रशिक्षण देने की दृष्टि से जांच नहीं की है, इसलिये वह इनकी उपयुक्तता के बारे में अपनी राय देने में असमर्थ है ।

Manufacture of Electrical Goods

913. **Shri Bagri :**
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state :

(a) whether Government propose to take over all units in the private sector which manufacture electrical goods;

(b) if so, the number of such units; and

(c) the capital outlay involved therein ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry & Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

कानपुर में उपरि पुल

914. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर में उपरि-पुलों के निर्माण की मंजूरी दिये जाने के बावजूद भी उनका निर्माण नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धन का भुगतान न किये जाने के कारण भी यह विलम्ब हुआ है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : कानपुर नगर महापालिका और उत्तर प्रदेश सरकारने (i) जुही मार्शलिंग यार्ड के ऊपर एक ऊपरी सड़क पुल, (ii) जी० टी० रोड समपार पर एक ऊपरी सड़क पुल और (iii) मुर्रे रोड के समपार पर सुरंग मार्ग बनाने के सुझाव दिये हैं ?

इनमें से, जुही मार्शलिंग यार्ड के ऊपर एक ऊपरी सड़क पुल बनाने का काम पहले से हो रहा है। मुर्रे रोड पर बनाये जाने वाले सुरंग-मार्ग के आवश्यक खाके को रेलवे द्वारा कानपुर नगर महापालिका की सलाह से अन्तिम रूप दिया जा रहा है। जहां तक जी० टी० रोड समपार पर ऊपरी सड़क पुल बनाने का सम्बन्ध है इसके लिए काम शुरू करने से सम्बन्धित प्रारम्भिक तैयारियों के बारे में, जिनमें वर्तमान नियमों के अनुसार रेलवे और राज्य सरकार के बीच लागत का अनुभाजन भी शामिल है, राज्य सरकार की सलाह से अन्तिम निर्णय किया जा रहा है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

पूर्वोत्तर रेलवे में महिला चल-टिकट परीक्षक

915. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री 24 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2742 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर रेलवे में महिला चल-टिकट परीक्षक क्यों नहीं रखी गयी हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : पूर्वोत्तर रेलवे पर महिला चल-टिकट परीक्षक नियुक्त करने की जरूरत महसूस नहीं की गयी है।

सहजनवा स्टेशन के निकट दुर्घटना

916. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री गोरखपुर-गोंडा मुख्य लाइन पर 26 अगस्त, 1965 को हुई दुर्घटना के सम्बन्ध में 10 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1979 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्घटना के कारणों की जांच कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां।

(ख) जांच-समिति के निष्कर्षों के अनुसार यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई।

भटनी जंक्शन के निकट गाड़ी का पटरी से उतर जाना

917. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री गोरखपुर-छपरा मुख्य लाइन (पूर्वोत्तर रेलवे) के भटनी जंक्शन के निकट 23 अगस्त, 1965 को गाड़ी के पटरी से उतर जाने के बारे में 10 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1967 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाड़ी के पटरी पर से उतर जाने के कारणों के बारे में जांच की रिपोर्ट सरकार को मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) जांच समिति के निष्कर्ष के अनुसार यह दुर्घटना गाड़ी के एक माल डिब्बे के भीतरी गियर की फिटिंग के अलग हो जाने और कांटों पर रेल-पथ में घुस जाने के कारण हुई। समिति की राय में वे कर्मचारी, जो उस माल डिब्बे की जांच के लिए जिम्मेवार थे, इस बात का पता लगाने में चूक गये कि फिटिंग अच्छी तरह से कसी न थी।

(ग) जो कर्मचारी जिम्मेदार ठहराये गये हैं, उनके खिलाफ उपयुक्त अनुशासन संबंधी कार्यवाई की गई है।

Ticketless Travel

918. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of persons found travelling without tickets in each zone of the Railways during the period from the 1st August to 1st November, 1965;

(b) the estimated loss of revenue to the railways during the above period as a result of ticketless travel; and

(c) whether the steps taken by Government to check this practice have proved effective and whether there has been an increase or decrease in the number of ticketless travellers ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) A statement showing the number of ticketless passengers and passengers otherwise irregularly travelling as apprehended during the period from 1-8-65 to 1-11-65 is as follows :

Statement

S. No.	Railway	Number of passengers detected travelling without ticket or otherwise irregularly travelling during the period 1-8-1965 to 1-11-1965
1.	Central	340,237
2.	Eastern	291,207
3.	Northern	207,746
4.	North Eastern	384,001
5.	North East Frontier	71,846
6.	Southern	226,010
7.	South Eastern	159,718
8.	Western	276,144
	TOTAL	1,956,909

(b) The amount of fares due from the above ticketless travellers was approximately Rs. 36·76 lakhs. This is the loss which would have resulted, if the persons had not been detected. There would also be some additional loss due to ticketless persons who might have escaped detection.

(c) Various steps taken by the Railways have proved helpful. It has been possible to apprehend more ticketless travellers by intensifying the ticket checking arrangements. During this period, 26,206 more ticketless travellers were apprehended compared to the corresponding period of the previous year.

कानपुर की एक फर्म से रेल पटरियों का बरामद होना

919. श्री भानु प्रकाश सिंह :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री कानपुर की एक फर्म से रेल पटरियों के बरामद किये जाने के बारे में 27 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 791 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच पुलिस की जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : जी हां। पुलिस ने 17-8-1965 को अदालत में एक आरोप-पत्र (charge-sheet) पेश किया है।

(ग) अभियुक्त व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के पादरीगंज स्टेशन पर अग्निकांड

920. श्री भानु प्रकाश सिंह :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री दक्षिण-पूर्व रेलवे के पादरीगंज स्टेशन पर अग्निकांड के बारे में 27 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 792 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अग्नि कांड के कारणों की जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो अग्निकांड के लिये जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। पुलिस ने इस मामले की जांच की और इसे अचानक आग लग जाने का मामला बताया।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

केरल में सूक्ष्म माप यंत्रों का कारखाना

921. श्री भानु प्रकाश सिंह :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 27 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 796 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में सूक्ष्म माप यंत्रों का कारखाना लगाने में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जो केन्द्रीय सरकार का एक उपक्रम है और जो इस परियोजना को कार्यान्वित करने जा रहा है, के सोवियत विशेषज्ञों के परामर्श से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की जांच की गई है। इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के संबंध में भारत सरकार को जो सिफारिशें की गई हैं उन पर सरकार अब विचार कर रही है।

बोकारो के कोयला क्षेत्र

922. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के एक भूतपूर्व अधिकारी ने बोकारो कोयला क्षेत्र के भूतत्वीय और कोयला संसाधनों का अध्ययन किया है ;

(ख) क्या सर्वेक्षण से यह पता लगा है कि धातुकर्मिक कोयले के लिये भारत को मुख्यतः बोकारो कोयला क्षेत्र पर निर्भर रहना होगा ;

(ग) इस सर्वेक्षण द्वारा दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र की कौन सी विशेषतायें दृष्टिगोचर हुई है ; और

(घ) इस क्षेत्र के क्रमबद्ध विकास के लिये यह सर्वेक्षण कहां तक उपयोगी होगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) भारतीय भौमिकी विभाग के किसी पूर्व अधिकारी द्वारा बोकारो कोयला क्षेत्र की जांच के विषय में सरकार को कुछ पता नहीं है ;

(ख), (ग) और (घ) : भारतीय भौमिकी विभाग, भारतीय खान ब्यूरो तथा राष्ट्रिय कोयला विकास निगम द्वारा किये गये परीक्षणों से पता चला है कि बोकारो कोयला क्षेत्र में अर्ध-कोकिंग तथा मध्यम कोकिंग कोयले के विस्तृत निक्षेप हैं। राष्ट्रिय कोयला विकास निगम इस क्षेत्र की कुछ खानों में कार्य कर रहीं है तथा उसके पास जब आवश्यक हो कुछ और नई खानें खोल ने की योजनाएं हैं।

मैसूर लोहा तथा इस्पात कारखाना

923. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री 24 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2765 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर लोहा तथा इस्पात कारखाने में मिश्रित इस्पात कब तक बनने लगेगा ; और

(ख) इस पर कितनी अतिरिक्त धनराशि व्यय होने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) योजना के 1968 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(ख) वर्तमान अनुमानों के अनुसार कारखाने को मिश्र-इस्पात के कारखाने में बदलने पर 10.71 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

रेलवे कर्मचारियों को मकान किराया-भत्ता

924. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री ओलवाक्कोट डिवीजन, दक्षिण रेलवे, के रेलवे कर्मचारियों को मकान किराये के भत्ते के बारे में दिनांक 24 सितम्बर, 65 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2779 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन के विचाराधीन विषय पर इस बीच अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभगसिंह) : (क) और (ख) : इस मामले पर अभी विचार हो रहा है।

काली मिर्च का निर्यात

925. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 24 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2767 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा काली मिर्च के निर्यात की संभावनाओं के बारे में अपने प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों की जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : सुझाव अब भी सम्बद्ध अधिकारियों की सलाह लेते हुए विचाराधीन हैं। शीघ्र ही कोई निश्चय हो जाने की आशा है।

फलों का निर्यात

926. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री यशपाल सिंह :
डा० रानेन सेन :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फलों के निर्यात को बढ़ाने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जायेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : यद्यपि फलों के निर्यात को बढ़ाने का कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं है, फिर भी सरकार विभिन्न कदम उठाती रही है जैसे कि केलों तथा अन्य फलों के निर्यात सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं पर विचार करने तथा उपयुक्त सुझाव देने के लिये केला तथा फल विकास समिति बनाना। 1963 में पश्चिमी एशियाई तथा यूरोप के कुछ देशों में भारतीय केलों तथा अन्य फलों के विक्रय की सम्भावनाओं की खोज करने के लिए एक शिष्टमण्डल भेजा गया था। चार दक्षिणी राज्यों, अर्थात् मद्रास, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर तथा केरल से केले के निर्यात का संवर्धन करने के लिए एक केला तथा फल विकास निगम की स्थापना की गई है। उत्पादन केन्द्रों से लदान के पत्तन तक केलों को सुरक्षित रूप में पहुंचाने के लिए परिवहन सुविधाओं जैसे कि विशेष प्रकार के रेल के डिब्बों की, व्यवस्था की गई है। ताज फलों के निर्यात पर 10 प्रतिशत कर उधार रहने की मंजूरी दी जाती है।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

927. **श्री मरंडी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री उटिया :

क्या **उद्योग** और **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल में हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड संयंत्र के विस्तार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसके लिये कितना धन नियत किया गया है ?

उद्योग और संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेंद्र मिश्र) : (क) और (ख) : जी हां, 25 के० वी० के मालगाड़ी के 160 इंजिन प्रति वर्ष तक के लिए ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर बनाने के लिए और कैपैसिटर्स की उत्पादन क्षमता को 108,000 के० वी० ए० से 162,000 के० वी० ए० प्रति-वर्ष तक बढ़ाने के लिए हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० भोपाल का विस्तार करने के हेतु सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकृति दी गई है। इन योजनाओं की अनुमानित लागत क्रमशः 40.46 लाख रु० तथा 7.92 लाख रु० है।

पावर ट्रांसफार्मरों की क्षमता को 279 लाख रु० की लागत से 30 लाख के० वी० ए० से 60 लाख के० वी० ए० वार्षिक बढ़ाने के लिए तथा ट्रैक्शन मोटरों और सम्बधित उपकरणों को 213 लाख रु० की लागत पर 800 से 1600 वार्षिक तक बढ़ाने के लिए कारखाने के विस्तार की योजना इस समय विचाराधीन है।

स्टील टर्बो सैटों की उत्पादन क्षमता को 600 मैगावाट वार्षिक से 1200 मैगावाट वार्षिक तथा अन्त में 2000 मैगावाट तक बढ़ाने के लिए एक परियोजना पर कारखाने के अधिकारियों द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ग) स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वन के लिए आवश्यक धन राशि को कम्पनी के वार्षिक बजट में शामिल कर लिया गया है तथा जब आवश्यकता होगी उसे दे दिया जाएगा।

बिहार के लिये रेलवे सेवा आयोग

928. **श्री मरंडी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री उटिया :

क्या **रेलवे** मंत्री बिहार के लिये एक अलग रेलवे सेवा आयोग स्थापित किये जाने के बारे में 10 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 539 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभगसिंह) : इस मामले पर अभी विचार हो रहा है।

दिल्ली में रेलवे पुलों को चौड़ा करना

929. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रेलवे पुलों को चौड़ा करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है।

(ख) अब तक चौड़े किये गये पुलों की संख्या कितनी है और उन पर कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) कितने पुल अभी चौड़े किये जाने है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : दिल्ली क्षेत्र में पुल बंगश, डफरिन और पुल मिठाई नामक तीन ऊपरी सड़क पुलों को चौड़ा किया जा रहा है। जहां तक रेल प्रशासन के काम का सम्बन्ध है पुल बंगश और डफरिन पुल पर काम पूरा हो चूका है। पुल मिठाई पर काम हो रहा है और आशा है चालू वर्ष 1965 के अन्त तक पूरा हो जायेगा। इन तीनों पुलों को चौडा करने की अनुमानित लागत 7.44 लाख रुपये है।

(ग) नगर निगम या नयी दिल्ली नगरपालिका की ओर से किसी अन्य रेलवे पुल को चौडा करने के बारे में अभी तक कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं मिला है।

दिल्ली और फीरोजपुर के बीच अतिरिक्त गाड़ी

930. श्री बागड़ी :

श्री मधु लिमये :

श्री राम सेवक यादव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब मेल में बहुत भीड़ भाड़ होने के कारण दिल्ली और फीरोज़पुर के बीच एक अतिरिक्त मेल गाड़ी चलाने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस नई गाड़ी के कब तक चलाये जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभगसिंह) : (क) अप्रैल 1965 में की गयी गणना से पता चला है कि दिल्ली और फीरोज़पुर के बीच चलने वाली पंजाब मेल तथा अन्य सीधी गाड़ियों में सफर करने वाले यात्रियों का प्रतिशत इतना नहीं है कि इस खंड पर एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना जरूरी हो। इसके अलावा इस खंड पर अतिरिक्त लाइन क्षमता न होने के कारण भी कोई ऐसी गाड़ी चलाना संभव नहीं है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

Stopping of Trains on Jhansi-Manikpur Line

931. Shri M. L. Dwivedi :

Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the reasons for not stopping the passenger trains at Kari Pahari on Jhansi-Manikpur line on the Central Railways ; and

(b) when the passenger trains will start stopping at that station ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) At present, there is no station at Kari Pahari and therefore, the question of stopping passenger trains there does not arise.

(b) A proposal for opening of a contractor operated train halt at Kari Pahari between Mahoba and Kabrai stations is under examination and a decision is expected to be taken shortly.

औद्योगिक सहकारी समितियां

932. **श्री प्र रं० चक्रवर्ती :** **श्री रामपुरे :**
श्री क० ना० तिवारी : **श्री मुहम्मद कोया :**

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री बी० पी० पटेल के नेतृत्व में औद्योगिक सहकारी समितियां सम्बधी द्वितीय कार्य दल के प्रतिवेदन के अनुसार औद्योगिक सहकारी समितियों के विकास की रुप रेखा को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने कार्य दल की मुख्य सिफारिशों पर, सरकारी सहायता के तरीके के विशेष संदर्भ में विचार किया है ; और

(ग) क्या औद्योगिक सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाने के लिये सुझाये गये प्रशासनिक उपायों को स्वीकार्य पाया गया ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेंद्र मिश्र) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी 5191/65**]

मध्य प्रदेश में कोयले के खनन के लिए पट्टे

933. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** **श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :**
डा० चन्द्रभान सिंह : **श्री दाजी :**
श्री पाराशर : **श्री रा० स० तिवारी :**
श्री हुकम चंद कछवाय : **श्री बड़े :**
श्री चाण्डक : **श्री उ० मू० त्रिवेदी :**
श्री वाडीवा : **श्री शिवदत्त उपाध्याय :**

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री 10 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1920 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम को मध्य प्रदेश के कुछ राज्यों में कोयला निकालने के लिये खनन पट्टे देने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव स्वीकार न करने के क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : कोयले की मांग के वर्तमान अनुमान के आधार पर, चौथी पंचवर्षीय योजना काल में मध्य प्रदेश में कोई नई नान-कोकिंग कोयला खान खोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वर्तमान योजना काल में जो खनन योजनाएं कार्यान्वित हो रही हैं तथा जो अनुमोदित हो चुकी हैं उनसे इस काल की नान-कोकिंग कोयले की मांग पूरी हो जायगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, सोहागपुर तहसील के बकाही और बकाहो ग्रामों में मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम को कोयला खनन के लिये पट्टा देने के बारे में राज्य सरकार की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया है।

मध्य प्रदेश में खनिज-सर्वेक्षण

934. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री हरि विष्णु कामत :
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री पाराशर :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री चांडक :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री दाजी :
श्री वाडीवा :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री बड़े :
श्री शिवदत्त उपाध्याय :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री 27 अगस्त, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 895 के उत्तर के सम्बन्ध यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में (रायगढ़ और नरसिंहपुर को छोड़कर) कुछ खनिज सर्वेक्षण के बारे में खोजबीन संबंधी अन्य प्रस्ताओं पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है ;

(ख) क्या सरकार ने उन्हें मंजूर कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) मध्य प्रदेश सरकार से कुछ क्षेत्रों के अन्वेषण के लिये सुझाव प्राप्त हुए थे जिसमें शाहदोल, सरगुदा, झबुआ, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, होशंगाबाद, सागर, देवास, सिओनी, मांडला, दमोह, बालाघाट, जबलपुर, छिंदवाडा, रायसेन तथा मुराना के कुछ भाग सम्मिलित हैं। राज्य सरकार से इन क्षेत्रों के विषय में पृष्ठभूमि सूचना तथा खनिजयुक्त खण्डों का स्थिति-विवरण एकत्रित किया जा रहा है। इस सूचना के प्राप्त हो जाने पर ही इन क्षेत्रों के भौमिकी अन्वेषण के विषय में निर्णय लिया जायेगा।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

सेलम-बंगलौर रेलवे लाइन

935. **श्री लिंग रेड्डी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेलम-बंगलौर रेलवे लाइन का निर्माण कब आरम्भ किया गया था ;

(ख) यह कब तक बन कर पूरी हो जायेगी ; और

(ग) इस पर कितना धन खर्च होगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) इस लाइन के निर्माण की मंजूरी फरवरी, 1962 में दी गयी थी।

(ख) आशा है, यह लाइन दिसम्बर, 1966 तक बन कर तैयार हो जायेगी।

(ग) इस परियोजना पर लगभग 8.5 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है।

Overtime Allowance to Running Staff on Railways

936. **Shri Hukum Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the running staff on the Railways are entitled to the payment of overtime allowance for only three holidays in a year;

(b) whether it is also a fact that the running staff are not paid double the salary on the remaining gazetted holidays; and

(c) if so, the reasons therefor in view of the fact that all the employees working in other offices of the Railways are either allowed to avail themselves of gazetted holidays or they are paid more than their salary for the holidays on which they are detailed on duty ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). Overtime is payable to Running staff on a two-weekly basis for the number of hours of work put in by them beyond their normal prescribed hours of work for the same period. The question of paying overtime for the work done by Running staff exclusively on Gazetted Holidays does not, therefore, arise. However, on a specific recommendation of the Jagannatha Das Pay Commission, the Running staff whenever called upon to duty on the three National Holidays, are allowed additional monetary compensation.

Import of Trucks from Japan

937. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the Government have concluded an agreement with Japan for the purchase of a large number of trucks;

(b) the names of other countries with whom negotiations were held in this regard ;

(c) the number of trucks to be imported and the terms thereof; and

(d) when their delivery is likely to start ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) No such agreement has lately been concluded.

(b) to (d). Do not arise.

पार्सल क्लर्क

938. श्री गुलशन : क्या **रेलवे** मंत्री 25 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1290 के उत्तर में 18 दिसम्बर, 1964 को सभा-पटल पर रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सात पार्सल क्लर्कों के बारे में जांच पूरी कर ली गयी है, जो दिल्ली क्षेत्र में 15 वर्षों से अधिक समय से हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या उनको भी दिल्ली क्षेत्र के बाहर बदली कर दिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) : 7 पार्सल क्लर्कों में से 2 को सम्बद्ध आचरण नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया, क्योंकि उन्होंने अचल सम्पत्ति के लेन-देन के लिए विभाग की अनुमति नहीं ली थी। उन दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गयी। उनमें से एक की वेतन-वृद्धि स्थायी रूप से 2 वर्ष के लिए और दूसरे की वेतन-वृद्धि अस्थायी रूप से 4 महिने के लिए रोक देने की सजा दी गयी। दूसरे को उसकी वेतन-वृद्धि अस्थायी तौर पर केवल 4 महीने के लिए रोकने की सजा इस लिए दी गयी क्योंकि वह 9-5-1966 को सेवानिवृत्त होने वाला है जबकि उसकी वेतन-वृद्धि की तारीख 1-1-1966 है।

7 पार्सल क्लर्कों ने परिसम्पत्तियों के लेन-देन पर जो रकम खर्च की, वह उनकी आमदनी के ज्ञात साधनों के अन्दर थी या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए प्रारम्भिक जांच-पड़ताल पूरी हो गयी है। तीन मामलों में परिसम्पत्तियों के लेन-देन के बारे में कोई आपत्ति नहीं है और एक मामलों में विशेष पुलिस सिब्बन्दी छानबीन कर चुकी है और उसने इस मामले को खत्म कर दिया है। बाकी तीन मामलों में अभी जांच-पड़ताल हो रही है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) इस कोटि के कर्मचारियों को सामान्यतः दिल्ली के बाहर लगभग 15 वर्षों के बाद उनकी बारी आने पर स्थानान्तरित किया जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में नियुक्त कर्मचारियों का प्रतिशत बहुत अधिक है। सात पार्सल क्लर्कों में से चार का स्थानान्तरण उनकी सेवा-निवृत्ति निकट होने के कारण नहीं किया गया और बाकी तीन के स्थानान्तरण की बारी अभी नहीं आयी है।

निर्यात संस्थाएं

939. **डा० सरोजिनी महिषी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक सरकार द्वारा निर्यात करने वाली कितनी संस्थाओं को पुंजीकृत किया जा चुका है ;

(ख) अब तक उन्होंने कितना माल निर्यात किया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) इस मन्त्रालय ने अब तक 71 निर्यात संस्थाओं को मान्यता प्रदान की है।

(ख) प्रत्येक निर्यात संस्था द्वारा किये गये निर्यात को प्रकट करने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5192/65।**]

चादर कांच का निर्यात

940. **श्री हेडा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री 17 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2367 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चादर कांच के उन निर्माताओं को, जिन्हें इसके निर्यात में हानि उठानी पडी थी, राज सहायता के रूप में मुआवजा देने का निश्चय इस बीच कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में राज सहायता दी जाएगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : विचाराधीन प्रस्ताव यह है कि राज्य व्यापार निगम निर्माताओं से उनके साथ तय होने वाले मूल्यों पर खरीद करगा और उपलब्ध सर्वोत्तम मूल्य पर निर्यात बाजार में उत्पाद बेच देगा। इन निर्यातों पर होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति सरकार करेगी।

इस्पाती प्लेटें

941. **श्री दे० द० पुरी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सरकार को ज्ञात है कि वाणिज्य किस्म की नरम इस्पाती प्लेटों के अधिक भारी भागों का निर्माण बहुत ही असंतोषजनक है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इन प्लेटों का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जा रहे हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बात का भी ज्ञान है कि इन प्लेटों के लिये कोटे के प्रमाणपत्र अब से काफी समय से वास्तविक उपभोक्ताओं को नहीं दिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कब तक सम्भरण स्थिति में सुधार होने की सरकार को आशा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : जी, नहीं । 1 अप्रैल 1965 से पूर्व नरम इस्पात की प्लेटों को दो वर्गों में बांटा गया था "परीक्षित" और "अपरीक्षित" और इन्हीं नामों से इनका क्रय-विक्रय किया जाता था । 1 अप्रैल 1965 से भारतीय मानक संस्था की प्रमाण-चिन्ह योजना लागू की गई है। इस योजना के अनुसार एम० एस० प्लेटों को तीन वर्गों में बांटा गया है "स्टैंडर्ड", "कामर्शल" और "आफ ग्रेड" । "स्टैंडर्ड" और "कामर्शल" किस्म का इस्पात टैस्ट सर्टिफिकेट के अन्तर्गत आता है । यद्यपि प्लेटों का कुल उत्पादन निर्धारित क्षमता के अनुसार बिल्कुल ठीक चल रहा है, "टेस्टिड" अथवा "स्टैंडर्ड" किस्म की इस्पात की प्लेटों के उत्पादन की प्रतिशतता में नियमित रूप से वृद्धि हुई है ।

(ग) और (घ) : यद्यपि उपभोक्ताओं को पहले बुक किये गये पुराने आर्डरों पर माल का संभरण होता रहा, उत्पादकों के पास अधिक भारी प्लेटों के बहुत से आर्डर बाकी होने के कारण कोटा सर्टीफिकेट देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया । जैसे ही कारखानों के पास बाकी पुराने आर्डरों में कमी हो जायेगी कोटा सर्टीफिकेट अधिक सुगमता से दिये जायेंगे ।

Textile Mill for Ghana

942. **Shri Madhu Limaye :** **Shrimati Tarkeshwari Sinha :**
Shri Siddheshwar Prasad : **Shri Ram Harakh Yadav :**
Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether any proposal for the setting up of a Cotton Textile Mill in Ghana and a Vanaspati Ghee Factory in Saudi Arabia with India's technical and other assistance is under the consideration of Government ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) and (b). Government have recently approved a proposal from an Indian firm to establish a vanaspati plant in Saudi Arabia with local collaboration. The Indian party will supply machinery, equipment, tools and structurals worth Rs. 15 lakhs from India against their share in the equity investment of the project.

The Government have also agreed to assist Ghana in the establishment of a textile mill in that country. The details of the project will be worked out after the feasibility report on the proposed venture by a team of Indian experts is received. The said team is expected to leave for Ghana towards the end of November, 1965.

कांगड़ा में सीमेंट कारखाना

943. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के कांगड़ा जिले में सीमेन्ट कारखाना खोलने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेंद्र मिश्र) : ज्यूलोजिकल सर्वे आफ़ इंडिया द्वारा किए गए प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार कांगड़ा जिले के धरमकोट स्थान पर 150 लाख मी० टन चूने का पत्थर होने का अनुमान है। राज्य सरकार चूने के पत्थर को मालूम करने के लिए विस्त्रित जांच कर रही है जिसके लगभग एक वर्ष में पूरा हो जाने की आशा है इस संबंध में और आगे प्रगति इसी जांच पर निर्भर करती है।

Nationalisation of Tea Plantations

944. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the nationalisation of tea plantations owned by foreigners is under consideration;

(b) If so, when it is likely to be finalised; and

(c) the total foreign investment in the Tea Industry?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswami) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise,

(c) Rs. 103·1 crores as at the end of 1961.

बोनस योजना में रेलवे कर्मचारियों को शामिल करना

945. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलवे कर्मचारियों को भी बोनस योजना में शामिल करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) बोनस योजना में रेलें शामिल नहीं है क्योंकि वे एक सार्वजनिक कार्य करती है और उनकी बचत को 'लाभ' नहीं समझा जा सकता ।

Over-Bridge near Saharsa Rly. Station

946. **Shri Tula Ram :**

Shri Yogendra Jha :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that near Saharsa Railway Station (N.E. Rly.) people have to cross the railway lines as a result of which many accidents take place;

(b) whether Government have sanctioned a plan to construct an over-bridge at that point near Saharsa Junction ; and

(c) if so, when the construction of this over-bridge will be completed?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) No. There already exists a level crossing at the north of Saharsa Station Yard to pass road traffic(including pedestrains) across the railway line. Accidents sometimes take place when people trespass on the railway lines.

(b) No.

(c) Does not arise.

मूंगफली के तेल का वायदा व्यापार

947. श्री दीनेन भट्टाचार्य :

डा० रानेन सेन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश के तेल मिल वालों की संस्था से एक ज्ञापन पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें मुँगफली के तेल के वायदे के सौदों पर रोक लगाने को मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां, ।

(ख) मुँगफली के तेल को छोड़ कर अन्य सब खाद्य तेलों के वायदे के व्यापार पर रोक लगी हुई है । मुँगफली के तेल के भी वायदे के सौदों को चालू मौसम में केवल अहस्तान्तरणीय विशिष्टत: माल देने के सौदों को छोड़ कर, अनुमति नहीं दी गई है ।

भारी इंजीनियरी निगम, रांची

948. श्री प्र० कु० घोष :

श्री सुधांशु दास :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 3 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रन संख्या 412 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्तूबर 1965 को भारी इंजीनियरी निगम, रांची में फालतू सिविल इंजीनियरों के सम्बन्ध में क्या स्थिति है; और

(ख) क्या यह सच है कि 1 जून, 1965 की विभिन्न श्रेणियों के 147 इंजीनियर फालतू थे परन्तु उनमें से केवल चार एक्जीक्यूटिव इंजीनियरों को छंटनी के नोटिस दिये गये थे ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेंद्र मिश्र) : (क) 1 अक्तूबर, 1965 को 90 व्यक्ति फालतू थे जिन्हें निम्न प्रकार दर्शाया गया है :

क्षेत्रीय इंजीनियर	1
कार्यकारी इंजीनियर	4
सहायक इंजीनियर	31
सहायक इंजीनियर/ओवरसियर	64

(ख) जी हां ।

भारी इंजीनियरी निगम, रांची

949. **श्री प्र० कु० घोष :**

श्री सुधांशु दास :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 3 सितम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 412 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र, परिवहन मंत्रालय के 'रोडविंग' तथा अन्य परियोजनाओं में भारी इंजीनियरी निगम, रांची से फालतू सिविल इंजीनियरों को रखने के बारे में सरकार के प्रयत्नों के क्या परिणाम निकले ; और

(ख) क्या फालतू सिविल इंजीनियरों को अन्य कामों में प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम अन्तिम रूप से बना लिया गया है और यदि हां, तो कितने प्रशिक्षण ले रहे हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेंद्र मिश्र) : (क) अभी तक किसी भी फालतू सिविल इंजीनियर को किसी अन्य परियोजना में नहीं लगाया गया है । फिर भी फालतू इंजीनियरों की संख्या, जो 1 जून, 1965 को 147 थी, 1 अक्तूबर, 1965 को घट कर 90 रह गई है क्योंकि 48 इंजीनियरों को वैकल्पिक रोजगार मिल जाने के कारण वे निगम छोड़ कर चले गए हैं तथा 23 इंजीनियरों को निगम की विभिन्न यूनिटों में काम में लगा दिया गया है ।

(ख) जी, नहीं । इस पर अभी विचार जा किया रहा है ।

Tractor Factory at Varanasi

950. **Shri Sidheshwar Prasad :** **Shri N. R. Laskar :**

Shri Vishwa Nath Pandey : **Shri Sarjoo Pandey :**

Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state :

(a) whether it has been decided to set up a tractor factory near Varanasi in the current Plan period ;

(b) if so, when it would be set up and cost involved ; and

(c) whether the said factory would be a public sector project ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry & Supply (Shri Bibudendra Misra) : (a) to (c). Government have decided to proceed with the establishment of a public sector project for the manufacture of agricultural tractors. An agreement for the preparation of a Detailed Project Report for this purpose has been entered into with M/s. Motokov of Czechoslovakia on the 28th August, 1965. The report is expected to be ready by the end of the year 1966. According to preliminary estimates submitted by the Czechoslovak agency, the project is likely to cost Rs. 17·2 crores. No decision about the location of this factory has so far been taken.

इस्पात संयंत्र के पुर्जों का दश में निर्माण

951. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**

श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारने गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निदेश दिये हैं कि देश में बने हुए पुर्जों का अधिकतम प्रयोग करने के लिये तरीके निकालें; और

(ख) यदि हां, तो निदेशों की मुख्य बातें क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : विदेशी मुद्रा की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को जिनमें इस्पात कारखाने भी शामिल हैं, देशीय स्रोतों से अधिकाधिक फालतू पुर्जे और संघटक प्राप्त करने की महता जताई है। उद्योग और संभरण मंत्रालय का पूर्ति तथा तकनीकी विकास विभाग ऐसे पुर्जों के आयात के लिए दिए गए प्रार्थना पत्रों को अनुमति देने से पहले उनकी देशीय कोण से छानबीन करता है।

कपास का मूल्य

952. **श्री दे० शि० पाटिल :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् के कपास सम्बन्धी अध्ययन दल ने सिफारिश की है कि कपास उत्पादकों को उचित मूल्य मिले यह सुनिश्चित करने के लिये कपड़ा मिलों को रुई या तो कपास ओटने तथा दबाने के सहकारी कारखानों से सीधे खरीदनी चाहिए; अथवा कपास उत्पादकों के संगठनों से सीधे खरीदनी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई-हावड़ा जनता एक्सप्रेस

953. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई-हावड़ा जनता एक्सप्रेस गाड़ी (अप तथा डाउन) के अधिक बार चलाने के बारे में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि यह गाड़ी प्रतिदिन चले अन्यथा सप्ताह में कम से कम चार बार चला करे ताकि यात्रियों की अत्यधिक यातायात की आवश्यकता पूरी की जा सके ;

(ख) क्या इन अभ्यावेदनों पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) कुछ अभ्यावेदन मिले हैं।

(ख) जी हां।

(ग) बम्बई-इलाहाबाद खण्ड पर अतिरिक्त लाइन क्षमता न रहने के कारण सप्ताह में दो बार चलने वाली इस गाड़ी को सप्ताह के और किसी दिन चलाना संभव नहीं है। इलाहाबाद-हवडा खण्ड पर इस गाड़ी को सप्ताह के और किसी दिन चलाने का यातायात-सम्बन्धी औचित्य नहीं है।

इटारसी स्टेशन पर पुल

954. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **रेलवे** मंत्री इटारसी स्टेशन के पास उपरि पुल के सम्बन्ध में 10 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1971 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार को कितनी बार स्मरण-पत्र भेजे गये हैं ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार से अनुमोदन तथा स्वीकृति प्राप्त हो गयी है ;

(ग) यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ होगा, और पुल के यातायात के लिए कब खुलने की आशा है ; और

(घ) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या राज्य सरकार से इस विषय में कुछ करने का स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) मई, 1965 से अक्टूबर, 1965 के बीच राज्य सरकार को 4 बार स्मरण दिलाया गया है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) सवाल नहीं उठता, क्योंकि इस मामले पर राज्य सरकार से बराबर लिखा-पढ़ी हो रही है, और अगस्त, 1965 में राज्य सरकार ने यह बताया था कि वह इस योजना पर तत्परता से विचार कर रही है ।

Pin and Clip Factories

955. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state :

(a) the number of pin and clip factories in Madhya Pradesh which are getting aid from the Centre ;

(b) the number of those which are in the private sector and also of those which are in the public sector with their annual output separately, and the proportion in which raw material is supplied to them;

(c) whether the supply is made to meet their entire reqirements; and

(d) the action taken by Government for the sale of finished goods manufactured by these factories ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

भारतीय माल का पाकिस्तान द्वारा जब्त किया जाना

957. श्री हिम्मतसिंहका :

श्री रामेश्वर टांटिया :

श्री रा० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक विशेष (सैल) बनाया है जो भारतीय माल को पाकिस्तान द्वारा रास्ते में जब्त किए जाने से तथा भारतीय माल के तटस्थ बन्दरगाहों पर उतार लिए जाने से उत्पन्न समस्या पर विचार करेगा; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान को इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप जिन उद्योगों को बड़ी कठिनाईयां उठानी पड़ी हैं उनको इस (सैल) के बनने से किस प्रकार सहायता होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) जो अवरुद्ध माल रक्षा उत्पादन अथवा औद्योगिक उत्पादन को देखते हुए देश के लिये सामरिक महत्व के थे उनके मामलों में मशीनों, कच्चे माल आदि का आयात करने के लिये नये लाइसेन्स जारी करने पर विचार किया जायगा। बशर्ते कि विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो। यह विचार सम्बद्ध अधिकारियों की सलाह से किया जायगा।

Issue of Licences to Industries

958. Shri Onkar Lal Berwa : Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Yudhvir Singh :
Shri Bade :

Will the Minister of **Industry** and **Supply** be pleased to state :

(a) whether Government propose to bring about some changes in the policy regarding the issue of licences to the industries; and

(b) if so, the changes proposed to be made ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra) : (a) and (b). Some proposals are under the consideration of the Government.

Panna Diamond Mines

959. Shri Onkar Lal Berwa : Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Yudhvir Singh :
Shri Bade :

Will the Minister of **Steel** and **Mines** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that extraction of diamonds from Panna Mines is likely to be started next year ; and

(b) if so, the expenditure to be incurred and the estimated output thereof?

The Minister of Steel and Mines (Shri Sanjiva Reddy) : (a) No, Sir. The extraction of diamonds from Majhgawan Mine is likely to start in 1967 if the treatment plant requirement for the production of diamonds is obtained in time. As regards Ramkheria Mine, first stage of prospecting has been completed. A project report on the development of a mine in this area has been received from the Consultants and is now under examination.

(b) The estimated cost of the revised scheme pertaining to Majhgawan Mine is Rs. 135 lakhs. The scheme envisages production of 22500 carats of diamonds per annum.

The capital cost for opening a mine in Ramkheria with an estimated annual production of 11250 carats is likely to be of the order of Rs. 80 lakhs.

हथकरघों के कपड़े का निर्यात

960. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में हथकरघा निर्यात संवर्धन संगठन ने, इसके सहयोगी संगठनों के निर्यात को छोड़कर, हथकरघों के कितने कपड़े का उसने स्वयं निर्यात किया है; और

(ख) इसी अवधि में व्यापार सहयोगियों से प्राप्त आर्डरों पर उसको निर्यात के लिए हथकरघों का कितना कपड़ा बेचा गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) दस्तकारी और हथकरघा वस्त्र निर्यात निगम ने 30–9–65 को समाप्त होने वाली छः माह की अवधि में 31–34 लाख रु० मूल्य के हथकरघा वस्त्रों का निर्यात किया है ।

(ख) शून्य ।

उड़ीसा सरकार द्वारा मांगा गया कोयला

961. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 में अब तक उड़ीसा सरकार से विभिन्न श्रेणियों के कोयले की कितनी मांग आई है; और

(ख) उसी अवधि में उस राज्य को अब तक कितना कोयला दिया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) उड़ीसा सरकार ने प्रतिमास 409 डिब्बों की मांग की थी जिसका सम्बन्ध केवल नियंत्रित किस्मों के कोयले/कोक से है ।

(ख) अप्रैल से सितम्बर, 1965 की अवधि में राज्य द्वारा चलाये जा रहे उद्योगों को नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों प्रकार के कोयले/कोक के 3480 डिब्बे दिये गये । इस तरह एक महीने की औसत 580 डिब्बे बैठती है । इसके अलावा कुछ कोयला सड़क द्वारा भी भेजा गया ।

बिजली से चलने वाले हलों का निर्माण

962. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री 26 फरवरी, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 433 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी फर्म के सहयोग से बिजली से चलने वाले हलों के निर्माण की योजनाओं पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कारखाना लगाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेंद्र मिश्र) : (क) और (ख) : बिजली से चलने वाले हलों का निर्माण करने के लिये प्राप्त सभी योजनाओं पर विचार कर लिया गया है और निम्नलिखित पार्टियों को आशय-पत्र भी जारी कर दिये गये है :—

क्रम संख्या	फर्म का नाम	प्रस्तावित कारखाने का स्थान
1.	मे० हैदराबाद आल्विन मेटल्स लिमिटेड	आन्ध्र प्रदेश
2.	मे० जे० के० काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, कानपुर ।	उत्तर प्रदेश

इनके अतिरिक्त बिजली से चलने वाले हलों का निर्माण करने के लिये आशय-पत्र जारी करने हेतु निम्नलिखित तीन एजेंसियों के मामले में विचार किया जा रहा है :—

1. मेसर्स प्रवरा टूल्स एण्ड इम्प्लीमेण्ट्स को-आपरेटिव सोसाइटी लि०, प्रवरानगर,
2. उद्योग निदेशक, पंजाब,
3. यू० पी० स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश, कानपुर ।

बिजली से चलने वाले हलों का निर्माण करने के लिये पहले भी निम्नलिखित दो फर्मों को आशय-पत्र जारी किये जा चुके हैं :—

1. उड़ीसा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन, भुवनेश्वर ।
2. मेसर्स वी० एस० टी० मोटर्स लिमिटेड, बंगलौर ।

ऊपर उल्लिखित सभी पार्टियों का विचार जापानी फर्मों के सहयोग से बिजली से चलने वाले हल बनाने का है ।

तालचेर कोयला खानें

963. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तालचेर कोयला खानों में 1965–66 में अब तक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कोयले के उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) हां, महोदय । अगस्त से अक्तूबर, 1965 की अवधि में कोयले का उत्पादन गत वर्ष 1964 की इस अवधि की तुलना में 35,000 मीटरी टन, अधिक हुआ है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

उड़ीसा को लोहे और इस्पात का आवंटन

964. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **इस्पात** और **खान** मंत्री 19 फरवरी, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 109 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965–66 में उड़ीसा के लिये लोहे और इस्पात के आवंटन को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार की वास्तविक मांग क्या थी?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) 1965–66 में उड़ीसा के लिए लोहे और इस्पात के आवंटन की मात्रा निम्न प्रकार है :—

प्राइम स्टील (नियंत्रित वर्ग दोषयुक्त इस्पात सहित) . .	4,756 टन
कच्चा लोहा जिसमें इंगाट मोल्ड भी शामिल है (नियंत्रण हटाने से पूर्व)	22,469 टन
एम० एस० बिलेट	2,364 टन

अनियंत्रित वर्गों के लोहे और इस्पात के लिए अध्यादेशक बिना किसी प्रतिबन्ध के आर्डर दे सकते हैं।

(ग) उड़ीसा की मांग इस प्रकार कि है :—

इस्पात	28,505 टन
कच्चा लोहा	106,300 टन

काटपाडी-विल्लुपुरम् रेलवे लाइन

965. **श्री धर्मलिंगम** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में काटपाडी और बिल्लुपुरम के बीच वाली रेलवे लाइन को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो रेलवे के इस भाग को विकसित न करने के क्या कारण है?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) इस खण्ड पर रेल पथ की हालत ऐसी है कि इस खण्ड को मजबूत करने की तत्काल जरूरत नहीं है। इस खण्ड के यातायात को संभालने के लिए लाइन क्षमता सम्बन्धी कुछ निर्माण कार्यों की व्यवस्था करके इस खण्ड की क्षमता भी बढ़ायी गयी है। चौथी योजना में इस खण्ड पर पटरी बदलने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है।

पटसन का उत्पादन तथा निर्यात

966. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटसन के बुने हुए सामान सम्बन्धी सलाहकार बोर्ड ने हाल में हुई अपनी बैठक में क्या क्या निर्णय किये; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 5193/65।**]

काटपाड़ी और विल्लुपुरम् के बीच चलने वाली रेलें

967. **श्री धर्मलिंगम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल से सितम्बर, 1965 के दौरान दक्षिण रेलवे के काटपाडी और विल्लुपुरम स्टेशनों के बीच चलने वाली गाड़ियां प्रथम श्रेणी के डिब्बों में बिजली और पंखों के बिना कितने दिन चलीं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ग) क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई थी; और

(घ) क्या ऊपर (क) में उल्लिखित सुविधाओं की सभी दिनों पर व्यवस्था करने की कोई योजना है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभगसिंह) : (क) काटपाडी और विल्लुपुरम के बीच चलने वाली नं० 875 सवारी गाड़ी में इस अवधि में केवल एक बार 25-7-1965 को ऐसी घटना हुई कि काटपाडि से गाड़ी के छुटने के बाद, उसकी रोशनी और पंखे बन्द हो गये।

(ख) इस बारे में कोई लिखित रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) और (घ) : बिजली और पंखे बन्द न होने पायें, इसके लिए कार्रवाई की गयी है। इस खण्ड पर चलने वाले रेल में बिजली और पंखे पहले से लगे हुए हैं और इस बात पर बराबर ध्यान दिया जाता है कि ये ठीक तरह काम करते रहें।

ऊनी माल के भाव

968. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊनी माल के भाव पिछले वर्ष की तुलना में 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो भावों में इस निरन्तर वृद्धि के क्या मुख्य कारण हैं ;

(ग) तीसरी योजना अवधि में ऊनी माल के भावों में अब तक कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) ऊनी माल के भाव स्थिर रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) ऊनी माल के भाव पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10 प्रतिशत बढ़ गए है।

(ख) भावों में लगातार वृद्धि होने का मुख्य कारण कच्चे माल की कमी है जिसका आयात, विदेशी विनिमय की स्थिति कठिन होने के कारण, उचित मात्रा में नहीं किया जा सका।

(ग) तीसरी योजना अवधि में ऊनी माल के भावों का सूचक अंक इस प्रकार रहा है :—

1961	119
1962	136.1
1963	150.1
1964	166.7
1965	183

(जनवरी-अक्तूबर)

(घ) अन्य सामग्रियों के मूल्यों में हुई वृद्धि के मुकाबले में ऊनी माल के भावों में हुई वृद्धि को अधिक ऊंचा नहीं कहा जा सकता विशेषत: जबकि कच्चे मालों की अत्याधिक कमी है। चालू वर्ष के दौरान में आयात की जाने वाली प्रस्तावित मात्रा में से एक बहुत बड़ा हिस्सा सुरक्षा सेना के लिए उपलब्ध किया जाएगा और इसलिए कुछ सीमा तक भावों में वृद्धि होना अनिवार्य है। फिर भी सरकार इस स्थिति पर ध्यान दिये हुए है।

राजपुरा स्टेशन पर चाय की दुकानें

969. **श्री ओंकारलाल बेरवा :** **श्री प० ह० भील :**
श्री रामेश्वरानन्द : **श्री तन सिंह :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशनों पर चाय की दुकानें चलाने के लिये लाइसेंस देने से पूर्व समाचारपत्रों में विज्ञापन दिये जाते हैं और क्या ठेके के नियमों के अन्तर्गत ठेकेदार से भी यह अपेक्षित है कि वह चाय की दुकानों पर स्वयं काम करे;

(ख) क्या उत्तर रेलवे के राजपुरा स्टेशन पर चाय की दुकान चलाने के लिये भी ठेके का विज्ञापन दिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो किस तारीख को ;

(घ) इस सम्बन्ध में कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे और ठेका किसको दिया गया था; और

(ङ) क्या ऊपर वाली चाय की दुकान स्वयं ठेकेदार द्वारा ही चलाई जा रही है अथवा उपठेके पर किसी को दे दी गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ङ) : आम तरीका यह है कि चाय की दुकानों के खाली ठेकों को ठेके के महत्व के अनुसार समाचार-पत्रों द्वारा या स्टेशनों पर नोटिस लगाकर अधिसूचित किया जाता है।

अपवाद के मामलों में जब विशेष कारणों से ठेके दिये जाते हैं, जैसे विस्थापितों के पुन:स्थापन, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को ठेका देना आदि तब ठेके कभी कभी बिना ऐसे विज्ञापनों के दिये जाते हैं।

यह आवश्यक है कि ठेके स्वयं ठेकेदार द्वारा या उसके अपने पर्यवेक्षण में चलाये जायें। इन्हे पट्टे पर देने की अनुमति नहीं है।

राजपुरा स्टेशन पर चाय की दो दुकानें हैं। इनमें से एक का ठेका एक विस्थापित ठेकेदार को और दूसरे का ठेका अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को दिया गया था। विशेष परिस्थिति के कारण इन दोनों में से किसी मामले में विज्ञापन नहीं दिया गया था। दोनों ठेके ठेकेदारों द्वारा चलाये जा रहे हैं और इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्हें पट्टे पर दे दिया गया है।

Railway Hospital in Ratlam

970. **Shri Hukum Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the average number of patients who visit Railway Hospital in Ratlam every day ;

(b) the number of doctors posted and the beds provided in the said hospital;

(c) whether it is a fact that the X-Ray machine in the above hospital is lying out of order for the last 9 or 10 months ; and

(d) if so, when this machine will be set right?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) The average daily attendence in the outpatient department of the Railway hospital at Ratlam was 697 during the year 1964-65.

(b) There are 10 doctors posted to this hospital, which has a bed strength of 48 beds.

(c) No.

(d) Does not arise.

धर्मनगर और सिलचर के बीच रेलगाड़ी

971. **श्री बीरेन दत्त :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में विमान यातायात की कठिनाइयों के कारण माल और यात्रियों का आना जाना एक गंभीर समस्या बन गई है ;

(ख) क्या धर्मनगर और सिलचर के बीच सीधी गाड़ियों की संख्या बढ़ाने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इनके कब तक चलाये जाने की आशा है तथा कितनी गाड़ियां बढ़ाई जायेंगी?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) (क) : जी नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

यूरोपीय साझा बाजार

972. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूरोपीय साझा बाजार आयोग तथा साझा बाजार के छः सदस्य देशों से भारतीय चाय तथा अन्य वस्तुओं के शुल्कमुक्त आयात को रिआयत देने की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो कितने समय के लिए रिआयत अवधि बढ़ाने की मांग मांगी गई है; और

(ग) इस पर यूरोपीय साझा बाजार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : जी, हां । यूरोपीय आर्थिक साझा बाजार आयोग से कहा गया है कि वह रियायतों की अवधि तब तक के लिये बढ़ा दें जब तक कि केनेडी राऊण्ड टैरिफ वार्ता समाप्ति पर उन्हे स्थिर करना सम्भव हो जाय ।

(ग) आयोग की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है ।

सुमेल इस्पात (मैचिंग स्टील) की कमी

973. **श्री धुलेश्वर मीना :**

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी उद्योग के लिए सुमेल इस्पात (मैचिंग इस्पात) की बहुत कमी है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : इस प्रकार की अत्याधिक कमी नहीं है परन्तु देशीय उत्पादन में कमी के कारण यदा-कदा कुछ वर्गों के इस्पात जैसे मोटी प्लेटों, चादरों और विशेष इस्पात की कुछ कमी हो जाती है। सुमेल इस्पात के संभरण पर नज़र रखने और इसका पुनर्विलोकन करने के लिए स्टील फेब्रीकेटिंग इंडस्ट्री के लिए तीन प्रादेशिक उप-समितियों की एक विशेष पेनल बनाई गई है। जब कभी भी आवश्यक होता है संयुक्त संयंत्र समिति को सुमेल इस्पात की कठिनाइयों से अवगत कराया जाता है तथा ऐसी वस्तुओं के लिए जिनकी स्थिति बिकट होती है विशेष वेलन की व्यवस्था की जाती है।

मोटी प्लेटों, चादरों और विशेष इस्पात के देशीय उत्पादन की कमी को जिस सीमा तक संभव होता है आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है। देशीय उत्पादन में वृद्धि होने से भी इन वर्गों के इस्पात की स्थिति में सुधार हो रहा है।

मछरेला सीमेंट कारखाना

974. **श्री मि० सू० मूर्ति :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि मछरेला सीमेंट कारखाने में बने हुए सीमेंट को केवल नागार्जुन सागर परियोजना में प्रयोग के लिए निश्चित कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेंद्र मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) मछरेला के संभरण पर यथासम्भव नियोजन किया जाता है लेकिन जब कभी मछरेला से प्राप्त संभरण आवश्यकता से कम रह जाता है तो आंध्र प्रदेश के अन्य कारखानों से इसे प्राप्त कर आवश्यकता को पूरा करना पड़ता है।

दिल्ली-फरीदाबाद जी० टी० रोड पर निचला पुल (अंडर ब्रिज)

975. **श्री अ० व० राघवन :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली-फरीदाबाद ग्रैण्ड ट्रंक रोड पर ग्रीनफील्ड्स कालोनी को मुख्य मथुरा रोड से मिलाने वाला एक निचला पुल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण-कार्य के कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है।

(ग) यह पुल लोगों के प्रयोग के लिये कब तक बन कर तैयार हो जायेगा; और

(घ) उस पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : नवम्बर, 1964 में अर्बन इम्प्रूवमेंट कम्पनी (प्राइवेट) लि० ने मथुरा रोड से ग्रीनफील्ड कालोनी पहुंचने के लिए तुगलकाबाद और फरीदाबाद स्टेशनों के बीच अपनी लागत से एक सुरंग मार्ग बनाने के लिए कहा था। इस कम्पनी ने इस काम के लिए खाकों और अनुमान तैयार करने के लिए अक्टूबर, 1965 में रेलवे के पास आवश्यक फीस जमा कर दी है। खाकों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और खर्च के अनुमान के बारे में अन्तिम निर्णय किया जा रहा है। ज्योंही यह कम्पनी खाकों और खर्च के अनुमान को मंजूर करके निर्माण की कुल लागत रेलवे के पास जमा कर देगी, निर्माण-कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

(ग) अभी सवाल नहीं उठता।

(घ) इस निक्षेप निर्माण-कार्य की अनुमानित लागत लगभग 2.1 लाख रुपये हैं।

कपड़ा उत्पादन का लागत अध्ययन

976. **श्री मलाइछामी :**

श्री अ० शं० अल्पा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों में मिल में बने कपड़े की उत्पादन की लागत का क्या कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) क्या उत्पादन लागत में वृद्धि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी क्या कार्यवाही की गई है जिससे मिल में बनने वाला कपड़ा विदेशों में अधिक सस्ता पड़े ?

वाणिज्य मत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) और (ख) : कपड़ा मिलों में उत्पादन लागत कुछ बढ़ने का कारण हैं मजदूरी में वृद्धि होना और कपड़ा बनाने के काम आने वाले कच्चे मालों तथा अन्य मालों की लागत में भी वृद्धि होना। सूती वस्त्रों के लागत ढांचे का गहन अध्ययन करने विभिन्न लागत सम्बन्धी मुद्दों का विश्लेषण करने और उत्पादन लागत घटाने के सम्बन्ध में सिफारिशें करने के लिय लागत ह्रास समिति की एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपने विचार और सिफारिशें एक प्रतिवेदन में दी हैं। विशेषज्ञ समिति द्वारा सिफारिशें की गयी प्रमुख सिफारिशों के उद्धरण, 3-10-1964 को लोक सभा में तारांकित प्रश्न सं० 537 का उत्तर देते समय सदन की मेज़ पर रख जा चुके हैं।

(ग) रुई के मूल्यों की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गयी है और वस्त्रों के निर्यात पर आयात हकदारियां प्रदान कर के प्रोत्साहन दिया जाता है जिससे कि वस्त्रों के मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्द्धात्मक बने रहे। उपयुक्त मामलों में, मिलों को अपने कारीगरों को प्रशिक्षण देने के हेतु अतिरिक्त करघे लगाने की अनुमति दी जाती है जिससे कि उत्पादकता बढ़े और इससे उत्पादन लागत में कमी आये।

राजस्थान में उद्योग

978. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के अधिकारियों के एक दल ने हाल में ही कुछ औद्योगिक योजनाओं की क्रियान्विति के बारे में राजस्थान का दौरा किया था;

(ख) क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट पेश की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा सभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेंद्र मिश्र) : (क) जी, हां राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के अधिकारियों के एक दल ने निगम को किराया/खरीद सहायता के आधार पर राजस्थान में लघु उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक संगठित प्रचार करने के लिए जयपुर का दौरा किया था।

(ख) और (ग) : एक प्रारम्भिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

निर्यात निरीक्षण परिषद्

980. **श्री रामेश्वर टांटिया :**

श्री हिम्मतसिंहका :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8 नवम्बर, 1965 को निर्यात निरीक्षण परिषद् की एक बैठक हुई थी जिसमें यह निश्चय किया गया था कि जहाजों में माल लादने से पहले निरीक्षण कार्य के लिये परीक्षण करने हेतु प्रयोगशालायें और परीक्षण गृह स्थापित किये जाये ;

(ख) यदि हां, तो ये कब स्थापित किये जायेंगे;

(ग) परिषद् ने और क्या क्या सुझाव दिये ; और

(घ) क्या सरकार ने उन्हें मान लिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) किस्म नियन्त्रण और लदानपूर्व जांच का, निर्यात की वस्तुओं के लिये परीक्षण कार्य, प्रयोगशालाओं की त्रि-खण्डीय व्यवस्था में संगठित किया जा रहा है। वे हैं :—

(1) नयी केन्द्रीय और क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं—केन्द्रीय प्रयोगशालाएं कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कोचीन और दिल्ली में स्थापित होंगी, और क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं उन क्षेत्रों में उद्योगों के विशिष्ट वर्गों के अनुरूप होंगी ;

(2) वै० ओ० अ० प० की प्रयोगशालाएं, राज्य सरकारों और अर्ध-सरकारी अथवा सरकारवत् संगठन ;

(3) तैकनोलोजिकल संस्थानों और निजी जांच अभिकरणों की प्रयोगशालाएं।

इन तीन प्रकार की प्रयोगशालाओं में से (2) और (3) में परीक्षण कार्य आरम्भ हो गया है। नयी केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित करने के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि इनके लिये बड़ी राशि में पूंजीगत खर्च की आश्यकता होगी और इन्हें स्थापित करने में कुछ समय लगेगा।

(ग) परिषद का एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय निर्यात जांच अभिकरण स्थापित करने के सम्बन्ध में था जिनके द्वारा उन वस्तुओं के लिये अनिवार्य किस्म नियन्त्रण और लदानपूर्व जांच कार्य लागू करना था जिनकी इस समय सरकारी अथवा निजी जांच अभिकरणों द्वारा जांच नहीं की जा रही है।

(घ) परिषद् के निर्णय सरकार द्वारा अनिवार्य किस्म नियन्त्रण और लदान पूर्व जांच के सम्बन्ध में उठाये गये सामान्य कदमों से मेल खाते हुए हैं।

खेतरी तांबा खान परियोजना

981. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ्रांसीसी सार्थ संघ के सहयोग से राजस्थान में खेतरी तांबा खान परियोजना के स्थापित करने में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस समय यह परियोजना किस अवस्था पर है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री सजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : खेतरी तांबा निक्षेपों के विकास के लिये वित्तीय तथा तकनीकी सहायता के लिये फ्रांसीसी कम्पनियों के एक समूह के साथ 8 जून 1965 को एक समझौता किया गया है।

इस समझौते के अनुसार फ्रांसीसी कम्पनियां प्लांट और उपकरण का डिजाइन बनाएंगी और परियोजना के विभिन्न भागों के लिये निविदाएं देगी जैसे खान, संकेन्द्रक, प्रद्रावक, परिष्करणी आदि। पैट्रोल खनिज विकास निगम 31-5-66 तक निविदाओं पर निर्णय लेगी। इसके बाद उपकरण का प्रदाय तथा ढांचा निर्माण आरम्भ होगा। फ्रांसीसी ग्रुपने खान के हवाईस्टिग उपकरण तथा क्रशिंग विभाग के लिये भाव दे दिये हैं। इनकी जांच की जा रही है। 16-9-65 को पेरिस में सम्बन्धित तकनीकी व्यक्तियों की एक सभा हुई और उसमें उपकरण के डिजाइन के सम्बन्ध में आवश्यक बातों पर फैसला किया गया। तदनुसारही संकेन्द्रक, प्रद्रावक आदि के डिजाइन तैयार करने का काम हाथ में लिया गया है। इनके क्रमशः निविदे अगले कुछ महीनों में प्रस्तुत किए जायेंगे। प्रद्रावक फिनलेंड के डिजाइन का बनाया जायगा। इस संबंध में फिनलेंड के मेसर्स उटोकम्पू के साथ जो इसके पेटेंट अधिकार रखते हैं, एक समझौता किया जा रहा है। 16-9-65 को पेरिस में जो वार्तालाप हुआ उसमें कम्पनी के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। कूपक बनाने, पानी तथा बिजली देने, आवास तथा अन्य सिविल निर्माण सम्बन्धी कार्य योजना के अनुसार चल रहे है।

आर्डर देने के तीन वर्ष बाद परियोजना से उत्पादन आरम्भ हो जाने की सम्भावना है।

स्कूटर खरीदने के लिए पंजीकरण

982. **श्री बूटा सिंह :** क्या **उद्योग** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि स्कूटर खरीदने के लिए नाम लिखाते समय डाकघर बचत बैंक खाते में 250 रु० जमा करना अनिवार्य होगा;

(ख) यदि हां, तो इस आदेश से बोगस पंजीकरण समाप्त हो गया है ;

(ग) क्या उचित अवधि में "वैस्पा" और "लम्ब्रेटा" स्कूटर मिलने की सम्भावना बढ़ गई है;

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में स्कूटरों की कितनी मांग हो जाने का अनुमान है; और

(ङ) उसकी पूर्ति के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेंद्र मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, कुछ अंश तक।

(ग) जी हां, कुछ अंश तक, लेकिन विदेशी मुद्रा के अभाव की स्थिति के कारण स्कूटरों के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

(घ) स्कूटरों की मांग को अलग से नहीं आंका गया है। लेकिन अनुमान है कि इस प्रकार की गाड़ियों जैसे, स्कूटर, मोपेडस, मोटर साइकिलें, तीन पहियों वाले मोटर रिक्शा आदि की मांग चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 1,50,000 हो जाएगी।

(ङ) स्कूटरों और स्वचालित साइकिलों पर से प्रतिबन्ध मार्च 1965 में हटाया गया था तथा वर्तमान उद्योगपतियों समेत उद्यमियों से प्रार्थनापत्र मांगे गये थे। जिसके जवाब में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं इनकी—एक समिति द्वारा जांच की जा रही है जो सम्भवतः इस महीने के अन्त तक अपने सुझावों को अन्तिम रूप दे देगी।

वित्तमंत्री के वक्तव्य के बारे में

RE : STATEMENT OF FINANCE MINISTER

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : कल जब हमने यह जानना चाहा था कि वित्त मंत्री के रूप के दौरे के परिणामस्वरूप रूस हमको क्या आर्थिक सहायता देगा तो वित्त मंत्री महोदय ने बताया था कि वह सभा में एक वक्तव्य देंगे । आपको और इस सभा में दिये गये आश्वासन को पूरा करने से पहले उन्होंने सम्वाददाताओं से मिल कर एक वक्तव्य दे डाला । जब मैंने आज के समाचार पत्र में यह पढ़ा तो मैं स्तम्भित रह गया । आप के प्रति और सभा के प्रति मंत्री महोदय का यह रवैया है ।

अध्यक्ष महोदय : उनको आने दीजिए । यह बात तब उठायी जा सकती है और मैं इसका पता लगाऊंगा ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

आसाम के शिवसागर जिले में नागा विद्रोहियों द्वारा सात व्यक्तियों का अपहरण

श्री पें० वेंकटासुब्बया (अदोनी) : मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्न विषय की ओर, गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"आसाम के शिवसागर जिले में एक सीमावर्ती बाजार से नागा विद्रोहियों द्वारा सात व्यक्तियों का अपहरण ।"

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में संभरण मंत्री (श्री हाथी) : मैं तथ्यों का पता लगा रहा हूं और यदि आप अनुमति दें तो मैं सोमवार को एक वक्तव्य दूंगा ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : एक और भी ध्यानाकर्षण सूचना है कि नागा विद्रोहियों ने आसाम राइफल के एक शिबिर पर हमला किया और मेरा अनुरोध है कि दोनों को एक साथ मिला दिया जाय और मंत्री महोदय सोमवार को एक वक्तव्य दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने वह भी स्वीकार कर लिया है । इन दोनों का एक साथ उत्तर दिया जा सकता है ।

श्री बड़े (खारगोन) : नागालैण्ड, व्यक्तियों के अपहरण.....के बारे में एक अन्य ध्यानाकर्षण सूचना है .....

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको नहीं ले रहा हूं । मैंने दूसरी सूचना का इसलिये उल्लेख करने दिया कि मैंने उसको स्वीकार कर लिया है ।

श्री बड़े : यह नागालैण्ड के बारे में है ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय नागालैण्ड पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है ।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : Mr. Speaker, Sir, I have also given a Calling Attention Notice. The Commissioner of Nagpur Division has admitted after his visit that famine condition is prevailing in eight districts of Vidarbha and.....

Mr. Speaker : I am not going to hear any more.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, Sir, when we read newspapers we are pained to see that whatever notice we give here and is disallowed by you, is accepted in the other House. Re : famine conditions & Indian Ocean.

Mr. Speaker : I have disallowed that. We have no time. They have time and so they take up these matters.

सभा पटल पर रखा गया पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री का वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी) : मैं, श्री मनुभाई शाह की ओर से, व्यापार और पण्य चिन्ह अधिनियम की धारा 126 के अन्तर्गत व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के 31 मार्च, 1965 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 5189/65 ।**]

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

PRESIDENT'S ASSENT TO BILL

सचिव : मैं, चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित प्रेस काउन्सिल विधेयक, जिस पर 3 नवम्बर, 1965 को सभा में पिछली बार प्रतिवेदन देने के पश्चात, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी, सभा पटल पर रखता हूं ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

श्री मानसिंह पृ० पटेल (मेहसाना) : मैं, सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

याचिका के उपस्थापन के बारे में

RE : PRESENTATION OF PETITION

अध्यक्ष महोदय : श्री च० का० भटाचार्य । वह अनुपस्थित हैं ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संचार तथा संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : आप की अनुमति से, में यह बताना चाहता हूं कि 22 नवम्बर, 1965 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये इस सभा का सरकारी कार्य इस प्रकार होगा :—

(1) आज के सरकारी कार्यक्रम की किसी अवशिष्टमद पर विचार ।

(2) वर्ष 1965–66 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (केरल) पर चर्चा तथा मतदान ।

(3) निम्न विधेयकों पर विचार तथा पास करना :—
दिल्ली माध्यमिक शिक्षा विधेयक, 1964 ।
दिल्ली प्रशासन विधेयक, 1965 ।
गोवा, दमण और दीव (समाविष्ट कर्मचारी) विधेयक, 1965 ।
भारतीय राजकीय भेद (संशोधन) विधेयक, 1965 ।
कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक, 1965 ।

(4) मंगलवार, 23 नवम्बर, 1965 को 3 म० प० डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी के प्रस्ताव पर 31 मार्च, 1964 को समाप्त हुए वर्ष के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम के वार्षिक प्रतिवेदन पर चर्चा ।

(5) गुरुवार 25 नवम्बर, 1965 को 2-30 म० प० श्री यशपाल सिंह के पिछड़े वर्ग आयोग के प्रतिवेदन से सम्बन्धित प्रस्ताव पर आगे चर्चा ।

अध्यक्ष महोदय : पिछली बार मैंने सुझाव दिया था कि मैं एक सदस्य को दो मिनट से अधिक बोलने की इजाजत नहीं दूंगा और सदस्य केवल मदों का नाम लें । श्री बनर्जी ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अगले सप्ताह के कार्यक्रम में खाद्य स्थिति पर चर्चा शामिल नहीं की गयी है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे सरकार से भी यह कहना है कि मुझे खाद्यान्न और चारे की कमी और देश के कई भागों में सूखे की स्थिति के बारे में अनेक सूचनाएं मिल रही हैं और मैं यह कह कर इन सबको अस्वीकृत करता रहा हूं कि निकट भविष्य में इस पर बहस होने वाली है लेकिन अभी तक कोई तारीख अधिसूचित नहीं की गयी है या तो इसके लिये कोई तारीख निश्चित कर दी जाय अथवा मुझे इन सूचनाओं को मंजूर करना पड़ेगा ।

श्री सत्यनारायण सिंह : हम इस पर अगले महीने की पहली और दूसरी तारीख को चर्चा करेंगे । अगले सप्ताह खाद्य मंत्री यहां नहीं होंगे ; वह बाहर जा रहे हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : खाद्य स्थिति पर चर्चा के अतिरिक्त देश के कुछ भागों में अकाल की स्थिति के बारे में एक प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है और मैं केवल यह प्रार्थना करता हूं कि इन दोनों चर्चाओं को आपस में मिलाया न जाय, अन्यथा अभाव की स्थिति के बारे में चर्चा का महत्व नहीं रहेगा । दूसरे सीमेन्ट के विनियंत्रण के बारे में प्रस्ताव पर यथा संभव शीघ्र विचार होना चाहिये । तीसरे सूती कपड़ा मिलों के बन्द होने के बारे में श्री मधु लिमये का एक प्रस्ताव है । आज भी पिछले 110 दिनों से 6000 श्रमिक कानपुर की गलियों में भटक रहें हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने बताया है कि केवल विषयों का ही उल्लेख किया जाय । प्रोफेसर रंगा ।

श्री (रंगा चित्तूर) : ये दोनों विषय बिल्कुल भिन्न हैं। मैं तो सरकार से यह अनु ोध करूंगा कि सूखे की स्थिति पर विचार के लिये एक पृथक दिन नियत किया जाय।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : अभाव और सूखा की स्थिति और अन्य कारणों से इस सभा में कुछ सोद्देश्यपूर्ण चर्चा होनी चाहिये ताकि अन्य उपायों के अतिरिक्त कुछ अल्प-कालीन तत्काल कदम उठाये जा सकें। सीमेन्ट पर से नियंत्रण हटाने के बारे में भी फौरन चर्चा होनी चाहिये क्यों कि जनता में यह भावना है कि इस उद्योग में लगे बडे लोग ही सारा लाभ ले रहे हैं जब कि आपात काल में सरकार का कर्तव्य जन साधारण की संतुष्टि करना है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : श्री यशपाल सिंह के प्रस्ताव पर आगे चर्चा 23 तारीख को हो और जीवन बीमा निगम सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा 25 को हो।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : केन्द्रीय सतर्कता आयोग के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन पर इसी सत्र में चर्चा के लिये समय निकाला जाये।

दूसरे 22 अक्तुबर, 1965 के लोक सभा के समाचार भाग 2 में अन्य विविध कार्यों मद के अन्तर्गत लिखे गये विषयों के बारे में सरकार यह बताये कि क्या इन पर विचार किया जायगा।

अन्तमें, कम से कम अगले शुक्रवार को हमें यह बताआ जाय कि सत्र की अवधि बढाई जायगी या नहीं।

Shri Bade (Khargone) : The motion on food problem should be taken as early as possible.

Shri Gulshan (Bhatinda) : The report of the Backward Classes Commission should be taken at an early date.

Mr. Speaker : This has already been said.

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : Food problem and famine conditions are two different issues. There should be discussion for 2½ hours on famine conditions. On some other day there should be a discussion for 2 hours on closure of textile mills in Bombay and U.P. Also a separate discussion should be held on situation in Badmer sector in Rajasthan.

श्री पें० वेंकटासुब्बया (अडोनी) : उर्वरक उत्पादन पर जो चर्चा अधुरी रह गयी थी, उसको भी लिया जाये।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : पंजाब, राजस्थान, आसाम और जम्मू तथा काश्मीर में सीमा-समस्या के प्रश्न पर इस सभा में चर्चा की जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह समय सभी प्रकार के सुझाव देने का नहीं है कि क्या किया जाय और क्या न किया जाय। एक सूचना देनी होती है जो स्वीकृत होने पर कार्य मंत्रणा समिति को भेज दी जाती है। यदि इसको न लिया जाए तो मंत्री महोदय से पूछा जा सकता है।

श्री सत्य नारायण सिंह : कपड़ा मिलों और सीमेन्ट पर से नियंत्रण हटाने के बारे में यदि प्रस्ताव भेजे गये हैं तो कार्य मंत्रणा समिति इन पर गौर करेगी और हम निश्चित इन पर इस सत्र में विचार करेंगे।

सतर्कता आयोग के बारे में मैंने मंत्री महोदय से परामर्श किया था और उनका कहना है कि इस पर अगले मास के प्रथम सप्ताह में विचार किया जा सकता है ।

श्री सिंघवी द्वारा उठाये गये तारीख बदलने के प्रश्न पर मैं सम्बन्धित मंत्री से परामर्श करूंगा और यदि यह सुविधाजनक होगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

हम यथासंभव अधिकाधिक गैर-विधायी कार्य इस सत्र में शामिल करने का प्रयत्न करते हैं । यदि यह संभव नहीं होता है तो हमें अगले सत्र के लिये प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

खाद्य स्थिति पर चर्चा के बारे में मैंने मंत्री महोदय से परामर्श किया है; वह खाद्य तथा कृषि संगठन की बैठक में भाग लेने के लिये देश से बाहर जा रहे हैं अन्यथा हम इस पर सहमत हो जाते ।

इस सत्र की अवधि बढाये जाने के बारे में सभा को दस दिन पूर्व सूचित कर दूंगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : सीमेन्ट पर से नियंत्रण हटाने के बारे में वक्तव्य कल सभा-पटल पर रखा गया था फिर सूखे की स्थिति पर सरकार के लिये यह उचित नहीं है कि वह हमसे प्रस्ताव प्रतुत करने को कहे । देश के बारे में उनको भी इतनी ही चिन्ता है ।

अध्यक्ष महोदय : खाद्य तथा कृषि मंत्री कृपया यह बतायें कि क्या सरकार खाद्य स्थिति अथवा सूखे की स्थिति पर चर्चा के लिये एक प्रस्ताव पेश करेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैं एक प्रस्ताव की सूचना दे चुका हूं .....

अध्यक्ष महोदय : वह खाद्य स्थिति के बारे में है । सूखे की स्थिति पर चर्चा की भी मांग है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इन दोनों पर एक साथ विचार किया जायगा । खाद्य स्थिति सूखे की स्थिति से उत्पन्न होती है । हमें जो भी सुझाव देने हैं वे इस चर्चा के दौरान दिये जा सकते हैं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : यह सही है कि समाचारों में जो भी मदें लिखी जाये उन सब पर चर्चा नहीं की जा सकती । फिर हमें बार बार लम्बी लम्बी सूचियां क्यों दी जाती हैं । यदि वह बात उठायी जाती है तो हमें रोक दिया जाता है और मंत्री महोदय इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाते हैं । पिछले सत्र में श्री चागला ने सभा को आश्वासन दिया था कि चालू सत्र में वह अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में एक प्रस्ताव पेश करेंगे लेकिन उन्होंने एसा नहीं किया है । इस बारे में मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में उनको क्या आश्वासन दे सकता हूं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : पिछले सत्र में मैंने सभा में एक आश्वासन दिया था कि मैं इस सत्र में अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में एक विधेयक पुरःस्थापित करने का प्रयत्न करूंगा और मुझे आशा है कि मैं अपना वायदा पूरा करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : संसद कार्य मंत्री इस पर भी विचार करें और जो सूची दी जाय वह बड़े ध्यानपूर्वक बनायी जाय ताकि यह आपत्ति भी दूर की जा सके कि सूची इतनी बड़ी है कि सब मदों पर सत्र के दौरान विचार करना संभव नहीं है ।

श्री रंगा : आपके इस स्पष्टीकरण से मुझे प्रसन्नता हुई । आशा है भविष्य में सरकार तथा दोनों सभायें ऐसे मामलों में अधिक सावधानी से काम लेंगी । ऐसे मामलों के न केवल कानूनी पहलू को ही अपितु औचित्य को भी महत्व दिया जाना चाहिए ।

अब मैं रूसी अध्ययन संस्था के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । इस सम्बन्ध में मैं श्री हरि विष्णु कामत के विचारों से सहमत हूं । यह एक अच्छी बात है कि अधिकाधिक रूसी भाषा का अध्ययन करके हम विज्ञान तथा अन्य साहित्य सम्बन्धी अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं किन्तु इस संस्था को सैद्धान्तिक प्रयोजन के लिये काम में न लाया जाये । यह हम सभी जानते हैं कि रूसी लेखकों की पुस्तकों को भारत में प्रचार माध्यम बनाया जा रहा है । हमारे साम्यवादी नेता रूसी विचारधारा को राजनीतिक जीवन में लाना चाहते हैं अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार इस बात का ध्यान रखे कि हमारी राजनीति पर किसी विदेशी विचारधारा का गहरा प्रभाव न पड़े ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के उपमंत्री महोदय ने चीनी के निर्यात तथा चीनी मिल मालिकों को सहायता देने का समर्थन किया है । मैं जानना चाहता हूं कि हम जो अधिक चीनी पैदा करते हैं उसका उपभोग देश में क्यों नहीं किया जाता । मिल मालिकों को साढ़ सात करोड़ रुपये क्यों दिये गये हैं तथा चीनी का निर्यात बन्द क्यों नहीं किया जाता । उन वचनों के अलावा जो हम निर्यात के लिये दे चुके हैं, चीनी के निर्यात के लिये और वचन क्यों दिये गय हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जब एक विषय पर चर्चा हो चुकी है और उसका उत्तर दिया जा चुका है तो फिर वही बात दोहराना उचित नहीं है । ये बातें अब दोबारा नहीं उठाई जा सकती हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने केवल आन्तरिक खपत के बारे में कहा । कल पश्चिम बंगाल में उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी करके राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके अन्तर्गत चीनी से मिठाई बनाने पर प्रतिबन्ध लगाया गया था । जब हम से एक सप्ताह में एक समय का भोजन न करने के लिये कहा जा रहा है तो चीनी के उपभोग पर भी प्रतिबन्ध क्यों लगाया जा रहा है । जब कुछ लोग चीनी से बने पदार्थ ही खाते हैं तो चीनी पर प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं है ।

अब मैं मीन क्षेत्र निगम के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा । हमें बताया जाना चाहिए कि मत्स्य पालन निगम ने सितम्बर, 1965 से अब तक क्या प्रगति की है । उपमंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट स्थिति नहीं बताई ।

पंजाब उच्च न्यायालय के सर्किट बैंच ने अध्यादेश की क्रियान्विति स्थगित कर दी है । किन्तु वित्त मंत्री महोदय का कहना है कि अध्यादेश कानून के समान ही है । जब अध्यादेश की क्रियान्विति स्थगित की गई है तो वित्त मंत्री महोदय के कथन में क्या औचित्य है ? यदि इस के कारण अन्य कार्यवाही में बाधा पड़ती है तो इस विधेयक पर दो बज विचार किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्य इन बातों को कैसे उठा सकते हैं ?

श्री बड़े (खारगोन) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । श्री बनर्जी ने कहा कि अध्यादेश की क्रियान्विति स्थगित की गई है तो हम उसकी क्रियान्विति के लिये कैसे धन दे सकते हैं ? यहां फिर न्याय पालिका और कार्यपालिका में मतभेद हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय : हम इसके लिये धन देने का निर्णय कर चुके हैं । अतः अब व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : कुछ माननीय सदस्यों ने आशंका प्रकट की है कि रूसी अध्ययन संस्था खोलने से भारत में रूसी प्रचार बढ़ेगा और उसका प्रभाव हमारी राजनीति पर पड़ेगा। मैं समझता हूं कि उनकी शंका निराधार है । किसी देश का साहित्य पढ़ने मात्र से राजनीति पर प्रभाव पड़ता है । रूस में नोबल पुरस्कार विजेता अच्छे अच्छे लेखक तथा उपन्यासकार हुए हैं। इस संस्था से भारत और रूस के सम्बन्ध मजबूत होंगे और इस प्रकार आपस में सहयोग बढ़ेगा। कुछ माननीय सदस्यों ने संसदीय अध्ययन ब्यूरो के बारे में कहा है । मैं समझता हूं कि इस संस्था ने बहुत सराहनीय कार्य किया है । यदि इस संस्था को कुछ दिया गया है तो अच्छा ही है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य गलत समझे हैं। इस संस्था को कुछ नहीं दिया गया है । सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्था और संसदीय अध्ययन ब्यूरो दो अलग-अलग संस्थायें हैं। संसदीय अध्ययन ब्यूरो बहुत पहले से कार्य कर रहा है और सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्था अभी स्थापित की गई है । केवल सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्था को ही सहायता दी जाती है । संसदीय अध्ययन ब्यूरो को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती है ।

श्री दी० चं० शर्मा : मैंने समझा था कि इस संस्था को स्थापित करके संसदीय अध्ययन ब्यूरो का विस्तार किया जा रहा था ।

कुछ माननीय सदस्यों ने चीनी के निर्यात पर आपत्ति की है । हमें इस समय विदेशी मुद्रा की बहुत अधिक आवश्यकता है । चीनी के निर्यात से हम काफी विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं । अतः निर्यात के उद्देश्य से चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिये मिल मालिकों को सहायता देना उचित है ।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : यह सराहनीय बात है कि सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन की संस्था स्थापित की गई है । इसकी स्थापना को सभी विधिवेत्ताओं तथा विदेशों से आने वाले सभी संसदीय प्रतिनिधि मंडलों ने उचित, समयानुकूल तथा महत्वपूर्ण कदम बताया है । अध्यक्ष महोदय ने इसकी प्रधानता स्वीकार करके इस के महत्व को बढ़ा दिया है । यह प्रसन्नता कीबात है कि इस संस्था में भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति, महान्यायवादी तथा माननीय संसद् सदस्य हैं। यह हमारे सौभाग्य की बात है कि लोक-सभा के भूतपूर्व सचिव श्री महेश्वर नाथ कौल इस के निदेशक के पद पर हैं। देश को ऐसी संस्था की अत्यन्त आवश्यकता है । आशा है यह संस्था जिन उद्देश्यों के लिए स्थापित की है वे पूरे होंगे ।

इस संस्था के मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान के निर्माण तथा क्रियान्विति के सभी पहलुओं को विशेष महत्व देते हुए सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन की व्यवस्था करना, विभिन्न देशों की सांविधानिक प्रणालियों तथा सरकारी संस्थाओं और उनकी समस्याओं तथा प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में तुलनात्मक अध्ययन करना, अध्ययन पाठ्यक्रम का आरंभ करना और सांविधानिक विधियों, परम्पराओं तथा प्रथाओं, संसदीय प्रक्रिया विधान का प्रारूप तैयार करना, न्यायिक निर्वचन तथा अन्य सम्बद्ध मामलों के सम्बन्ध में मूल अनुसन्धान की सुविधायें देना है । इस प्रकार की संस्था देश में दूसरी और कोई संस्था नहीं है । आशा है यह बहुत लाभदायक कार्य करेगी ।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : मुझे बोलने के लिये कुछ समय दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब क्षमा चाहता हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत : मंत्री महोदय से प्रार्थना की जाये कि यह रूसी अध्ययन संस्था के बारे में उठाये गये प्रश्नों का उत्तर दें ।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि इस सम्बन्ध में निर्णय किये जा चुके हैं और अब उन निर्णयों को कार्यरूप देना है अतः मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है ।

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैंने माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों को ध्यानपूर्वक सुना है, माननीय सदस्यों ने जिन विषयों की चर्चा की है उनकी जांच की जायेगी। संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्था की इमारत के किराये के प्रश्न की जांच करने के लिए मैं अपने सहयोगी से कहूंगा। जहां तक रूसी अध्ययन संस्था का सम्बन्ध है यह संस्था रूसी भाषा के, जो अंग्रेजी भाषा की तरह एक महत्वपूर्ण भाषा है, अध्ययन के लिए स्थापित की गई है। इस से अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में उसका महत्व बढ़ेगा। अतः माननीय सदस्यों की यह आशंका निराधार है कि इस से रूसी विचार धारा का प्रचार होगा और उसका हमारी राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा। सरकार अपने कर्तव्य को अच्छी तरह समझती है।

इन शब्दों के साथ मैं सिफारिश करता हूं कि सभा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले।

श्री हरि विष्णु कामत : भारतीय धातु निगम के सम्बन्ध में स्थिति नहीं बताई गई।

श्री ब० रा० भगत : मैं बता चुका हूं कि इस सम्बन्ध में जांच की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : रूस के साथ हमारे घनिष्ट मित्रता के सम्बन्ध हैं अतः मैं माननीय सदस्यों को सलाह देना चाहता हूं कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई बात कहते समय संयम से काम लेना चाहिए।

श्री हरि विष्णु कामत : हमने काफी संयम से काम लिया है। संसद् में विचार व्यक्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1965–66 की सेवाओं के लिये कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।/*Clauses 2 and 3 were added to the Bill.*

खंड 1, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।/*Clause 1, the Schedule, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.*

श्री ब० रा० भगत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

भारतीय नारियल समिति तथा भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति के बारे में संकल्प

RESOLUTIONS RE : INDIAN COCONUT COMMITTEE AND THE INDIAN CENTRAL OILSEEDS COMMITTEE.

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"जब कि भारतीय नारियल समिति अधिनियम, 1944 (1944 का दसवां) की धारा 17 के द्वारा केन्द्रीय सरकार को लोक-सभा की पूर्व मंजूरी से तथा राजकीय राजपत्र में अधिसूचना देकर, यह घोषणा करने की शक्ति प्रदान की गई है कि उस अधिनियम के अधीन गठित भारतीय नारियल समिति अधिसूचना में उल्लिखित तारीख से विघटित हो जायगी;

और जब कि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त घोषणा इसके साथ संलग्न अधिसूचना-प्रारूप में दिये गये रूप में की जानी चाहिए;

और जब कि कथित अधिसूचना-प्रारूप तथा केन्द्रीय सरकार की ओर से उसके समर्थन में व्यक्त किये गये विचारों पर विचार करने के पश्चात् इस सभा की यह राय है कि अधिसूचना-प्रारूप में प्रस्तावित घोषणा को इस सभा की पूर्व मंजूरी दी जानी चाहिये ;

अतः अब भारतीय नारियल समिति अधिनियम, 1944 (1944 का दसवां) की धारा 17 के अनुसरण में यह सभा अधिसूचना के प्रारूप को, जिस में उपर्युक्त घोषणा की गई है, मंजूरी प्रदान करती है ।

अनुबन्ध

अधिसूचना-प्रारूप

भारतीय नारियल समिति अधिनियम, 1944 (1944 का दसवां) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार लोक-सभा की पूर्व मंजूरी से एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उस अधिनियम के अधीन गठित भारतीय नारियल समिति 1 अप्रैल, 1966 से विघटित हो जायेगी ।"

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि :

"जब कि भारतीय तिलहन समिति अधिनियम, 1946 (1946 का नवां) की धारा 16 द्वारा केन्द्रीय सरकार को, लोक-सभा की पूर्व मंजूरी से तथा राजकीय राजपत्र में अधिसूचना देकर, यह घोषणा करने की शक्ति प्रदान की गई है कि उस अधिनियम के अधीन गठित भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति अधिसूचना में उल्लिखित तारीख से विघटित हो जाएगी;

और जबकि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त घोषणा इसके साथ संलग्न अधिसूचना-प्रारूप में दिये गये रूप में की जानी चाहिये ;

और जबकि कथित अधिसूचना-प्रारूप तथा केन्द्रीय सरकार की ओर से उसके समर्थन में व्यक्त किय गये विचारों पर विचार करने के पश्चात् इस सभा की यह राय है कि अधिसूचना-प्रारूप में प्रस्तावित घोषणा को इस सभा की पूर्व मंजूरी दी जानी चाहिये ;

[श्री चि० सुब्रह्मण्यम]

अतः अब भारतीय तिलहन समिति अधिनियम, 1946 (1946 का नवां) की धारा 16 के अनुसरण में, यह सभा अधिसूचना के प्रारूप को, जिसमें उपर्युक्त घोषणा की गई है, मंजूरी प्रदान करती है ।

अनुबन्ध

अधिसूचना-प्रारूप

भारतीय तिलहन समिति अधिनियम, 1946 (1946 का नवां) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, लोक-सभा की पूर्व मंजूरी से, एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उस अधिनियम के अधीन गठित भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति 1 अप्रैल, 1966 से विघटित हो जाएगी ।"

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन नौ विभिन्न वस्तुओं के सम्बन्ध में समितियां कार्य कर रही हैं । इन में चार समितियां संसद द्वारा बनाये गये कानून के अन्तर्गत स्थापित की गई हैं तथा पांच समितियां समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई हैं । इन समितियों को स्थापित करने का उद्देश्य यह है कि अनुसन्धान, विकास कार्य तथा विपणन में सुधार द्वारा उन वस्तुओं का विकास किया जाये जिनके सम्बन्ध में ये समितियां बनाई गई हैं ।

इन वस्तुओं के विकास के सम्बन्ध में सम्बन्धित समितियों ने कुछ सराहनीय और महत्वपूर्ण कार्य किया है किंतु आज समय की मांग है कि इन वस्तु सम्बन्धी समितियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों का, मुख्यतः इनके द्वारा किये जाने वाले अध्ययन कार्य पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, इस सम्बन्ध में जांच करने के लिये 1959 में अमरीकी विशेषज्ञों सहित एक समिति नियुक्त की गई थी । इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से कहा है कि इन वस्तुओं के विकास के लिये वर्तमान अनुसन्धान व्यवस्था पुरानी पड़ गई है और इस कार्य के लिये व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है ।

इन सिफारिशों के अतिरिक्त मैं इस सम्बन्ध में कुछ और कहना चाहता हूं । अनुसन्धान के लिये प्रयोग शालाओं, उपकरणों और वैज्ञानिकों की आवश्यकता होती है जिसकी व्यवस्था प्रत्येक समिति के लिए पथक-पृथक करना असंभव है । अतः इसके लिये समुचित रूप से कार्य किया जाना चाहिये । इससे अनुसन्धान कार्य किफायत और अच्छे ढंग से हो सकेगा । अतः वैज्ञानिकों ने यह सिफारिश की कि इन वस्तुओं के सम्बन्ध में अनुसन्धान कार्य भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के अन्तर्गत किया जाना चाहिए और समन्वित तथा व्यापक अनुसन्धान संस्थायें स्थापित की जानी चाहिएं ताकि इस दृष्टिकोण से अध्ययन कार्य किसी वस्तु विशेष के बारे में नहीं अपितु व्यापक रूप से किया जाये । विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों का पता लगा कर तथा इन संस्थाओं को पर्याप्त में उपकरण व्यवस्था कर के पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सके ।

बाद में 1963 में सरकार ने एक और समिति नियुक्त की जिसमें मुख्यतः भारतीय वैज्ञानिक थे । इस समिति ने 1959 की समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जांच पड़ताल की और कृषि अनुसन्धान कार्य में सुधार करने के उपाय ढूंढ़ने का काम भी इस समिति को सौंपा । इस समिति के प्रतिवेदन के आधार पर सरकार ने देश में कृषि अनुसन्धान कार्य के सभी पहलुओं की जांच की और भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् को पुनर्गठित करके समूचा अनुसन्धान कार्य इस परिषद् के अधीन किये जाने का निर्णय किया ।

इस दिशा में हमने एक महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक पद पर एक अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सुविख्यात वैज्ञानिक को नियुक्त किया । उसने गेहूं विकास के क्षेत्र में इस परिषद के प्रथम महानिदेशक के रूप में अत्यन्त सराहनीय कार्य किया है । भारतीय कृषि अनुसन्धान

परिषद् के गठन पर भी विचार किया गया और हमने इसे पुनर्गठित किया। इसकी देखभाल करने के लिये एक प्रबन्धक निकाय की स्थापना की गई है। हमने यह भी निर्णय किया है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहीं सभी अनुसन्धान संस्थायें इस परिषद् के अधीन रखी जायें तथा उन संस्थाओं के संचलन का उत्तरदायित्व परिषद पर होना चाहिए। इनमें से कुछ संस्थायें राष्ट्रीय महत्व की है जिन्हें राष्ट्रीय संस्थाओं के रूप में मान्यता देने के लिये यथा समय सभा की स्वीकृति ली जायेगी। हमने यह भी निर्णय किया है कि जहां तक राज्यों तथा केन्द्र में किये जाने वाले अनुसन्धान कार्य का सम्बन्ध है, हमें एक समन्वित तरीका अपनाना चाहिए। इस सम्बन्ध में हम राज्य सरकारों से बातचीत कर रहे हैं।

जिन वस्तुओं का हम तुरन्त विकास चाहते है उनके संबंध में अनुसन्धान कार्य पहले से ही चालू कर दिया गया है। इन अनसन्धानों के बहुत अच्छे परिणाम निकले है।

यह निर्णय किया गया था कि अनुसन्धान कार्य भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद को सौंपा जाये जो कि अनुसन्धान के संबंध में व्यापक और समन्वित पहलु अपनायगी। इसी के आधार पर विभिन्न अनुसन्धान संस्थानों के कार्य को भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने अपने हाथ में ले लिया है। फिर भी ये वस्तु समितियां, जहां तक विकास का संबंध है, कार्य कर रही थीं। संविधान के अन्तर्गत विकास की मुख्य ज़िम्मेवारी राज्य सरकारों पर आ गई। बाद में हमने इन समितियों को राज्य सरकारों को तकनीकी परामर्श देने का काम दिया। परन्तु मेरे विचार में इससे राज्य सरकारों को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। विपणन के क्षत्र में भी वस्तु समितियां कोई विशेष कार्य नहीं कर सकीं क्योंकि वहां पर बहुत सी विपणन समितियां थीं। इसलिये हमने बाद में यह निर्णय किया कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद को अनुसन्धान कार्य सौंपने के पश्चात इन वस्तु समितियों के पास कोई उपयोगी काम नहीं रह जायेगा।

इन वस्तुओं के संबंध में सरकार को परामर्श देने के लिये हम विकास परिषदें बना रहे हैं। इनमें उत्पादकों को, सरकार को और अन्य हितों को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

दो समितियों के लिये मझे सभा की सहमति चाहिये। जहां तक समितियां अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर की गई 5 समितियों का संबंध है वें समितियां अपने विघटन के लिये स्वयं संकल्प पारित के लिये सक्षम है। इसलिये उनके बारे में कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

जहां तक अन्य दो समितियों का संबंध है सरकार उनको केवल अधिसूचना द्वारा समाप्त कर सकती है। परन्तु इनकी समिति के लिये लोक सभा की सहमति चाहिये। इसीलिये मैं सभा के सामने आया हूं।

मैं आशा करता हूं कि सभा सभी पहलुओं पर विचार करेगी और अपनी सहमति देगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

श्री रंगा (चित्तूर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने इन सभी वस्तु समितियों का वध किया है और मैं उनको क्षमा नहीं कर सकता। इन समितियों को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है परन्तु उनके कुछ कृत्य हैं।

मैं कई समितियों में रहा हूं। और मुझे उनका अनुभव है। मैं उन सदस्यों में से एक हूं जो ब्रिटिश सरकार के इस प्रस्ताव से सहमत होने के लिये तयार नहीं थे कि इन समितियों के खर्चे के लिये इन सभी उत्पादकों पर अलग से शुल्क लगाया जाये। फिर भी मैं इन समितियोंके स्थापित किये जाने के पक्ष

[श्री रंगा]

में था क्योंकि इन समितियों ने लघु संसद के रूप में काम किया है। इन समितियों में सभी सम्बद्ध हितों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। संसद सदस्यों को भी इन में से बहुत सी समितियों में पर्याप्त संख्या में लिया गया था। मैंने तिलहन समिति में इसके आरम्भ के पांच वर्षों में उपप्रधान के रूप में समिति के तत्कालीन प्रधान श्री दातार सिंह को उस समिति के कार्य और उसके कार्य क्षेत्र की आधार शिला रखने में सहयोग दिया। उस समय हमें बताया गया कि हमने बाद में स्थापित की जाने वाली अनेक समितियों के लिये उदाहरण रखा है। उन समितियों ने अच्छा कार्य किया है और मेरी समझ में नहीं आता मेरे माननीय मित्र की राय उलट क्यों है। जहां तक तिलहन समिति का संबंध है इससे अनुसन्धान की आशा नहीं की जा सकती थी इस समिति ने कोई केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था स्थापित नहीं की थी इसलिये यह कोई कारण नहीं बनता है कि विभिन्न अनुसन्धान संस्थाओं के कार्य के समन्वय के लिये इसको तोड़ा जा रहा है।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद को काम करते हुए जब कई वर्ष बीत गये तो इन समितियों की आवश्यकता को अनुभव किया गया। इसका कारण यह था कि परिषद फसलों के अनुसन्धान, विपणन आदि के विकास के लिये आवश्यक विकास संबंधी कार्यवाहियों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे सकती थी। परिषद को उसके काम में सहायता देने के लिये इन समितियों को लाया गया था और उस समय लाया गया था जब कि परिषद पहले से काम कर रही थी।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद में वैज्ञानिकों और सरकार को छोड़ कर बाकी हितों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है और यही कारण है कि इन वस्तु समितियों ने मंत्री जी के आग्रह करने पर अपने आपको परिसमाप्त कर दिया। इन समितियों में, विशेषकर तिलहन समिति में किसानों के प्रतिनिधियों को बहुमत प्राप्त था। मेरे माननीय मित्र उनके स्थान पर अब विकास परिषदों को लाने जा रहे हैं। इन विकास परिषदों में यदि उनके हितों को प्रतिनिधित्व दिया जाना है तो पहले वालों को बदलने की क्या आवश्यकता है और यदि ऐसा नहीं है तो सरकार वर्तमान ढांचे को बदलने के लिये चाल चल रही है।

इन समितियों ने बहुत अच्छा काम किया है और जहां तक तिलहन समिति का संबंध है यही समिति थी जिसने खाने वाले और न खाने वाले सभी तेलों के अनुसन्धान कार्य में पहल की तथा और बहुत से उपयोगी कार्य किये। इसका सभापति आरम्भ से ही सरकार का मनोनीत व्यक्ति होता था; उपप्रधान का काम तो केवल परामर्श देना होता था। इसलिये यदि समिति के कार्य में कोई त्रुटि थी तो उसका दोष उसके प्रधान पर ही है क्योंकि कानून बनाने की शक्ति उसी को प्राप्त थी। उस समिति ने शुल्क के रूप में लगभग एक करोड़ रुपया जमा कर रखा था। हमने कई बार कहा कि इस रुपये को अनुसन्धान पर खर्च किया जाये, परन्तु ऐसा नहीं किया गया और अब मंत्री महोदय कहते हैं कि हमारे पास अनुसन्धान के लिये विशेषज्ञों और उपकरणों की कमी है और इसलिये अलग संस्थाएं या अलग समितियां नहीं रख सकते। हम कभी ऐसा अनुरोध नहीं किया है। जब भी हमें किसी विषय पर अनुसन्धान कराना होता था हम संबंधित विशेषज्ञ के पास उसे भेज देते थे। ऐसा कौनसा और अच्छा तरीका है जिसके द्वारा सरकार उन वैज्ञानिकों का लाभ उठाना चाहती है? मुझे ऐसा लगता है कि जो निधियां जमा की गई हैं उनका दुर्विनियोग किया जायेगा। सरकार साफ साफ बताये कि उस पैसे का क्या किया जायेगा।

मैं जानना चाहता हूं कि वस्तु समितियों द्वारा पहले जो काम किया जाता था उसके अतिरिक्त इन विकास परिषदों द्वारा क्या काम किया जायेगा। सरकार कहती है कि विपणन के संबंध में इन समितियों ने कोई प्रभावशाली काम नहीं किया है। मैं बता दूं कि आयात तथा निर्यात लाइसेंसों के वितरण के संबंध में सरकार की गलतियों को पकड़ने का काम हमें ही सौंपा गया था। हम इस बात का ध्यान रखते थे कि किसानों को, सहकारी समितियों को नये व्यापारियों को, अवसर मिले। क्या कोई और संस्था इस काम को कर सकती थी?

सरकार जो कदम उठाने जा रही है उससे कोई बचत नहीं होगी। इन समितियों के स्थान पर सरकार जो विकास परिषदें लाने जा रही हैं वे सरकार को कोई अच्छी मंत्रणा नहीं दे सकेंगी क्योंकि उनमें इस सभा के और उत्पादकों के बहुत कम प्रतिनिधि होंगे। इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : पहले तो मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि अन्य मंत्रालयों में जो समितियां है क्या उनको भी समाप्त किया जा रहा है जैसे कि चाय बोर्ड, रबड़ बोर्ड, काफी बोर्ड आदि।

माननीय मंत्री ने इन समितियों को तोड़ने के लिये एक कारण अनुसन्धान की कमी बताया है। यदि आप अधिनियम को देखें तो आप को पता लगेगा कि भारतीय नारियल समिति इस वस्तु की काश्त, विपणन, उपयोग और विकास में सुधार के लिये स्थापित की गई थी। अनुसन्धान तो बाद में आता है। क्योंकि अनुसन्धान मुख्य उद्देश्य नहीं है, मेरा निवेदन है कि आप अनुसन्धान को ले सकते हैं और इससे कोई हानि नहीं होगी। सब से मुख्य काश्त है और इसके लिये समितियों का रहना बहुत आवश्यक है। हम जानते हैं कि इन समितियों की नियुक्तियों के बहुत से अधिनियम इस लिये लाये गये थे कि संसद सदस्यों को इनमें प्रतिनिधित्व मिल सके और देश में खेती की हालतों में सुधार किया जा सके। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन विकास परिषदों में संसद-सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा और क्या वह उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिये पर्याप्त होगा? पटसन की अच्छी खेती होना बहुत आवश्यक है क्योंकि इससे हमें काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। खेती की छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देने के लिये समिति का होना बहुत आवश्यक है। माननीय मंत्री को यह भी बताना चाहिये कि पटसन को खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के साथ क्यों रखा गया है जब कि चाय, रबड़ और कॉफी वाणिज्य मंत्रालय को दिये गये हैं। जैसे हम चाय, काफी और रबड़ से विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं इसी प्रकार पटसन से विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं।

इन छोटी छोटी विकास परिषदों में काश्तकारों के हितों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सकता है इसलिये समितियों का होना बहुत जरुरी है। अतः माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह इस पर पुनः विचार करें।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : माननीय मंत्री विशेषज्ञों की आड़ लेकर समितियों को समाप्त करना चाहते है। हमारी कमज़ोरी यह है कि हम विशेषज्ञ नहीं हैं।

मैं केरल से आता हूं जो कि नारियल का घर है और मैं नारिल समिति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कुछ महीने पहले नारियल समिति के कुछ सदस्यों ने सरकार को एक ज्ञापन पत्र दिया था। उनमें से चार संसद सदस्य हैं। वे चारों सदस्य शासक दल के सर्वोपरि नेताओं में से है इसलिये राजनीति का यहां कोई प्रश्न नहीं है। परन्तु खेद की बात है कि सरकार ने उस ज्ञापनपत्र पर कोई विचार नहीं किया। सामान्यतः समाचारपत्रों के सम्पादकीय में भी सरकार ने इस कदम की घोर निन्दा की गई है। इसकी फसल पर हमारे राज्य के लोगों का जिवन निर्भर करता है। हमारे राज्य में देश का 70 प्रतिशत नारियल पैदा होता है। यह समिति जो 20 वर्षों से चली आ रही है उलटा सरकार को इसको और मज़बूत करना चाहिये था। सरकार को इस समिति पर कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता क्योंकि इसका खर्च नारियल से तेल निकालने वाली मिलों से शुल्क के रुप में लिया जाता है। नारियल की फसल इस समय संकट में है। 20 लाख वृक्ष बीमारी लगने से नष्ट हो गये है और लगभग एक लाख एकड़ भूमि में फसल के रोग फले हुए है। यह ठीक है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद इस मामले में कुछ सहायता कर सकती है परन्तु समिति को समाप्त करने का यह कोई उचित कारण नहीं है। इस समिति को कुछ उद्देश्यों को लेकर स्थापित किया गया था और उनका मुख्य संबंध इसकी काश्त विकास से है।

[श्री वासुदेवन नायर]

मैं इस समिति के कार्य से संतुष्ट नहीं हूं। इसको अधिक शक्तियां दी जानी चाहिये और इसको मजबूत बनाना चाहिये। पिछले 20 वर्षों में नारियल की फसल में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परन्तु फिर भी प्रति वर्ष हम 10 करोड़ रु० के मूल्य का नारियल आयात करते हैं। इसलिये आवश्यकता तो इस बात की है कि नारियल के उत्पादन को बढ़ाया जाये और इसके लिये समिति को और शक्तियां दी जायें।

सरकार विकास परिषद का नाम लेकर हमें फुसलना चाहती है। वह सब ढोंग है। उन पर पैसा खर्च करना बेकार है।

नारियल समिति ने पिछले 20 वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। उसने बहुत सारी नर्सरियां चालू की और 84 लाख पौद काश्तकारों में बांटी। केरल में प्रति वृक्ष प्रति वर्ष 30 नारियल होते हैं। जब कि फिलिपाइन में 200। इसका कारण यह है कि हमारे काश्तकारों को आवश्यक सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। इनकी फसल की बीमारियों के बारे में अब तक कोई विशेष प्रयत्न नहीं किये गये हैं। डा० राम सुभग सिंह ने इस कार्य में काफी रुचि दिखाई थी। अब जहां तक अनुसन्धान का प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद एक बहुत ही केन्द्रीकृत निकाय है और इसके लिये नारियल के उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना बहुत कठिन होगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस मामले पर पुनः विचार करेंगे।

श्री अ० शं० आल्वा (मंगलौर) : श्री वासुदेवन नायर द्वारा दिये गये कुछ तर्क अच्छे है परन्तु जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है उन कृषि उत्पादों के सम्बन्ध में अध्ययन कार्य अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया जा रहा है। यह नितांत आवश्यक था क्योंकि हम काश्तकारी के परम्परागत तरीकों पर चल रहे थे और हमने विकास तथा अनुसंधान की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सामान्य रूप से वे समितियां भी अनुसंधान कार्य कर रही थीं परन्तु अब वह कार्य इस परिषद् ने अपने हाथ में ले लिया है।

हमारे कृषक भिन्न-भिन्न प्रकार की इन वस्तुओं की ओर ध्यान दे रहे है और नारियल आदि की उपज पर अधिक धन लगा रहे हैं। इसलिये इस परिषद् का गठन करने समय सरकार को यह ध्यान रखने चाहिये कि वह इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल करे जिनका उद्योग में वास्तविक हित हो और जिनको इसके सभी पहलूओं की पूरी पूरी जानकारी हो। इस समिति को दृढ़ भी बनाया जाना चाहिये। यह समिति एक सलाहकार समिति तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिये।

श्री इकबाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह समितियां, बहुप्रयोजनीय समितियां है जो केवल अनुसंधान कार्य ही नहीं करतीं परन्तु कृषि उत्पाद का बिक्री सम्बन्धी कार्य भी करती हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अनुसंधान कार्य वैज्ञानिकों द्वारा ही किया जाता है चाहे वह कार्य इन समितियों द्वारा किया जाये अथवा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा। जहां तक दूसरी बातों का सम्बन्ध है, वे समितियां अच्छा कार्य कर रही हैं। वे ऐसे मंच हैं जहां उत्पादक वास्तव में प्रशासन तथा अनुसंधान कर्ताओं के विरुद्ध शिकायतें करते हैं। अब यह मंच समाप्त कर दिये जायेंगे। विकास परिषद से शायद यह काम पूरा नहीं होगा। विकास परिषद को इतना सम्मान तथा इतनी प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो सकता जितनी कि इन समितियों को, जिनमें से कुछ 40 वर्ष पुरानी हैं, प्राप्त होती थी। मेरे विचार में उन समितियों का गठन इन समितियों से अच्छा है जो अब बनाई जा रही हैं। विशेषज्ञ, प्रशासक तथा उत्पादकों को एक स्थान पर मिलकर बातचीत करनी चाहिये और समस्या हल करनी चाहिये। यदि ये समितियाँ समाप्त कर दी जाय तो, मेरे विचार में, ऐसा नहीं हो सकेगा।

Shri Bade (Khargone) : Mr. Deputy Speaker, I have gone through the Resolutions moved by the hon. Minister. He has proposed to abolish the Indian Cocoanut Committee and Indian Oil Seeds Committee and to constitute Development Councils in their place. He expects that the Development Councils will be doing better work. This reminds me of a proverb : A bad worksman quarrels with his tools. By forming the Development Councils in place of the Committees, the Govenment is merely trying to put up a cover on their failures. We have seen that series of committees had been set up in the past one after the other on the same subject without any result.

It has been said by the Goverment that its object is development. It is good to pay attention towards the quality of the product but when the country is passing through the acute shortage of foodgrains, the need of the hour is to emphasise quantity.

Our research workers are more concerned with their emoluments than with the research. It is why research is not making headway in the country. Between the Ministries concerned, their is no proper coordination.

Agricultural research is not sufficient. There should be research on food also. It is important to find out what crops and fertilizers suit various kinds of soils. But the abolition of all the committees and centralisation of all powers, would not produce any good results.

The peasants do not get advice in regard to the proper use of fertilizers. For example, when super-phosphates and fertilizers are mixed in the soil, the soil contracts and the crops dry up. But nobody bothers to know why it has happened. State Government as well as the Central Government, both shirk responsibility.

Proper research should be carried out in regard to the use of cowdung as a fertilizer.

The research institutes should be established in places where they are needed most. They should be established "on the spot" so as to carry out the research successfully.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरा निवेदन है कि इस विषय पर अग्रेतर चर्चा अब 29 को की जाये क्योंकि मैं अगले सप्ताह यहां नहीं रहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कुछ शब्द तो कहें ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरे विचार में और भी सुसंगत बातें इस विषय में कही जायेंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा को कोई आपत्ति न हो तो इस विषय पर अब 29 को चर्चा होगी ।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । सभा अब गर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर चर्चा आरम्भ करेगी ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

तिहत्तरवां प्रतिवेदन

श्री हेम राज (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तिहत्तरवें प्रतिवेदन से जो 15 नवम्बर, 1965 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तिहत्तरवें प्रतिवेदन से जो 15 नवम्बर, 1965 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक।

श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी यहां नहीं हैं। वह यह चाहते है कि अभी विधेयकों को पुरःस्थापित किया जाना स्थगित रखा जाये। डा० सरोजिनी महिषी।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 35क का हटाया जाना)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Omission of Article 35A)

डा० सरोजिनी महिषी (धारवार, उत्तर) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने कि अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन किये जाने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

डा० सरोजिनी महिषी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(प्रथम अनुसूची का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of First Schedule)

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

श्री हरि विष्णु कामत : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(प्रस्तावना का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Preamble)

Shri Krishna Deo Tripathi (Unnao) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । /*The motion was adopted.*

Shri Krishna Deo Tripathi : I introduce the Bill.

आयकर (संशोधन) विधेयक

INCOME-TAX (AMENDMENT) BILL

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आयकर अधिनियम, 1961 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कई बार यह मामला सभा में उठाया है और प्रत्येक बार किसी न किसी प्रकार का आश्वासन दिया गया है । परन्तु इन आश्वासनों पर अमल नहीं हुआ है ।

प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मूल अधिनियम के अन्तर्गत आय का हिसाब लगाते समय खनन पट्टे के अन्तर्गत किया जाने वाला स्वामिस्व सम्बन्धी भुगतान कटौती-योग्य व्यय माना जाये ।

इस मामले पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिये गये कई निर्णय हैं । लाहौर उच्च न्यायालय के पूर्ण बेंच ने तथा प्रिवी कौंसिल की न्यायिक समिति ने 1947 तथा 1949 में यह निर्णय दिया था कि स्वामिस्व का भुगतान कच्चे माल का मूल्य अथवा बिक्री का माल है और इस कारण यह राजस्व सम्बन्धी व्यय समझा जाना चाहिये । 1960 में उच्चतम न्यायालय ने भी यह निर्णय दिया था कि लम्बे पट्टे द्वारा कर-निर्धार्य भूमि का एक भाग अर्जित कर लेता है और भुगतान न तो भारक है और न स्वामिस्व बल्कि व्यापार की स्थायी लाभ की पूंजी अस्तियां प्राप्त करने के लिये किश्तों में एक साथ भुगतान है ।

[डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी]

इस आधार पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया है कि जिस स्वामिस्व का हिसाब खनिज उत्पादन के आधार पर लगाया जाता है, वह पूंजी-व्यय है और इसलिये वह कटौती किये जाने वाला व्यय नहीं माना जाना चाहिये ।

इस निर्णय के परिणामस्वरूप आय-कर विभाग, समूचे खनन उद्योग पर, इनकी वास्विक कठिनाइयां जाने बिना, टूट पड़ा । सौभाग्य से उच्चतम न्यायालय ने कुछ दिन पहले गोटन लाइम सिंडीकेट की एक अपील पर, उस विभाग द्वारा फैलाये गये सभी भ्रम तथा संदेह दूर कर दिये हैं । तथापि इस बीच खनन आयोग को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तथा कई राज्यों में इतनी बेकारी के होने के कारण यह लगभग समाप्त होने वाला है । इस सम्बन्ध में हज़ारों अभ्यावेदन दिये गये कि स्वामिस्व को राजस्व व्यय माना जाना चाहिये । विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने सरकार को इस बारे में लिखा, परन्तु सरकार ने सभी अभ्यावेदनों के बारे में उपेक्षा बरती । ऐसा प्रतीत होता है कि नौकरशाही इस समस्या को सुलझाना नहीं चाहती; ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार उत्तरदायी मंत्रियों द्वारा सभा में दिये गये आश्वासनों को भुला देना चाहती है । मैं वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इन अभ्यावेदनों की ओर उचित ध्यान दिया है? सरकार ने इतनी भी छूट नहीं दी कि जब तक मुकदमा चल रहा है, जुर्माने और निर्धारण को इस मामले पर निर्णय हो जाने के समय तक स्थगित रखा जाये। अब जबकि उच्चतम न्यायालय का निर्णय हो चुका है, इस मामले का अन्त हो जाना चाहिये। आशा की जाती है कि सरकार इस धन को सम्मानित ढंग से वापस कर देगी । कराधान जांच आयोग 1953–54 ने भी इस बारे में यही कहा है कि स्वामिस्व को राजस्व व्यय माना जाना चाहिये और इस पर कर नहीं लगना चाहिये । प्रत्यक्ष कर समिति ने 1958–59 में जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, उसमें उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया था । भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने भी इसका समर्थन किया था । श्री ति० त० कृष्णमाचारी ने कहा था कि यदि ऐसा कोई आश्वासन दिया गया है, तो वह उसका पालन करेंगे । अब उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का पालन होना चाहिये ताकि सम्बद्ध व्यक्तियों को कठिनाई न हो और खनि उद्योग को हानि न पहुंचे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आयकर अधिनियम, 1961 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री ब० रा० भगत : क्या मैं कह सकता .....

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : यदि वह कुछ कहते हैं तो मैं इस विधेयक को वापस लेता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर (मोंघीर) **:** आयकर विभाग ने एक परिपत्र जारी किया था कि इस प्रकार के स्वामिस्व, जिन पर कि विचार किया जा रहा है, किन परिस्थितियों में दिये जा सकते हैं । इसका अभिप्राय यह था कि यदि राजस्व आस्तियों, कच्चा माल तथा इसी प्रकार की दूसरी वस्तुओं के अर्जन के लिये स्वामिस्व दिया जाये तो ऐसी दशा में स्वामिस्व का दिया जाना अनुमति-योग्य है। वे विवादास्पद बात को सही मानते हैं । उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की दृष्टि में हम यह स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं कि स्वामिस्व के दिये जाने पर रोक नहीं लगाई जायेगी परन्तु यह कि ये स्वामिस्व इस विधेयक में किये गये उपबन्धों के अनुसार दिये जायेंगे ।

स्वामिस्व दिये जाने के बारे में कानून बहुत जटिल है तथा इसके अन्तर्गत चालाकी बरती जा सकती है । जिस कारण कि इस उद्योग में लगे हुये हज़ारों व्यक्तियों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे सरकार से टालमटोल का व्यवहार करें और यह कहें कि जिस प्रपत्र में उन्होंने पट्टे पर देना स्वीकार किया था वह उस दृष्टिकोण के अनुसार नहीं है जो वे उन अदायगियों के बारे में बाद में अपनायें । उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये स्पष्ट निर्णय की दृष्टि से मंत्री महोदय को यह आश्वासन देना चाहिये कि पट्टे

के सम्बन्ध में इन प्रपत्रों के शब्दों में परिवर्तन करके कोई धोखा नहीं किया जायेगा जिससे कि सरकार फिर सारे मामले को शक में डाल दे और जिससे कि यह विभाग इन लोगों को न्यायालय में न ले जाये। यदि मंत्री महोदय यह आश्वासन देते हैं तो मैं श्री सिंघवी से कहूंगा कि वह अपना विधेयक वापस ले लें।

श्री काशीराम गुप्त (अलवर) : मैं डा० सिंघवी को सराहना करता हूं कि वह यह विधेयक लाये हैं। मैंने यह विषय कई बार प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी बोर्ड तथा वित्त मंत्री के समक्ष लाया है। मैंने स्पष्ट रूप से पूछा था कि क्या 'एम० एम०' नियमों तथा एम० सी० पट्टेधारियों पर तथा स्वामित्व का भुगतान राजस्व खर्च समझा जायेगा या नहीं। बोर्ड के सचिव ने लिखा है कि आयकर विभाग इस बारे में निर्णय करेगा। फिर उन्होंने इसे खान मंत्रालय को भेज दिया। खेद की बात यह है कि उन्होंने पुराने मामलों को फिर से उठा लिया है और उनके बारे में ब्यौरे मांगे जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य केवल यही है कि लोगों का धन ले लिया जाये।

वित्त मंत्रालय तथा उपरोक्त बोर्ड ने सभी कानून अपने हाथ में ले लिये हैं और वे मनमानी कर रहे हैं। इस के फलस्वरूप बहुत से लोगों को करों के भुगतान करने में बहुत कठिनाई हो रही है।

वित्त मंत्री ने कहा था कि इस में 3 करोड़ रुपये का प्रश्न है। जब पुराने मामले उठाये गये हों तो 3 करोड़ का प्रश्न तो होगा ही। आधारभूत बात यह है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा 'एम० सी०' नियमों और राज्यों द्वारा 'एम० एम०' नियमों द्वारा प्रशासित पट्टेदारियों पर स्वामित्व का भुगतान राजस्व व्यय समझा जाये।

मैंने उन सब बातों की ओर माननीय वित्त मंत्री का ध्यान दिलाया था। वह मेरे पत्रों को प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी बोर्ड के पास भेज देते थे। वहां से सदैव यही उत्तर आता है कि यह विषय विचाराधीन है।

जैसे डा० सिंघवी ने कहा है यह प्रश्न कुछ पूंजीपतियों का नहीं बल्कि पूरे औद्योगिक क्षेत्र का है। इससे मजदूर वर्ग तथा सहकारी समितियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। इससे उद्योग पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह आगामी वित्त विधेयक में इस बात की व्यवस्था करें या अभी से एक आदेश जारी कर दें।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं डा० सिंघवी द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक का समर्थन करता हूं। जब मैं अपने राज्य के मंत्रिमंडल का सदस्य था तो मुझे वहां का अनुभव है। वहां पर मैंने इसी आशय का एक विधेयक प्रस्तुत किया था परन्तु जब से जम्मू तथा काश्मीर राज्य में केन्द्र का कानून लागू हुआ है वहां पर ऐसी ही स्थिति हो गई है। एक तो राजस्व में कमी होती जा रही है और दूसरे योग्य व्यक्ति खानों का काम करने के लिये आगे नहीं आ रहे हैं। सरकार को खानों की खुदाई के कार्य को प्रोत्साहन देना चाहिये जैसे डा० सिंघवी ने कहा है जितनी जल्दी इस कार्य को किया जायेगा उतना ही अधिक देश के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

सरकार को यह विधेयक स्वीकार कर लेना चाहिये या आश्वासन देना चाहिये कि इसी उद्देश्य का एक विधेयक शीघ्र ही प्रस्तुत किया जायेगा।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : इस विषय पर रामगढ़ राज के मामले में प्रिवी कौंसिल ने और लाहौर उच्च न्यायालय ने निर्णय दिये थे। उनके अनुसार पट्टेदारी के विषय में स्वामित्व का भुगतान राजस्व व्यय माना जाना चाहिये। उच्चतम न्यायालय ने भी यही बात स्पष्ट कर दी है।

राजस्थान के उच्च न्यायालय के निर्णय पर मुझे बहुत हैरानी हुई है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है। खेद की बात यह कि सरकार के आश्वासन के होते हुए भी खान उद्योग में लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा है। स्वामित्व के भुगतान को करों के भुगतान समय बिल्कुल ही

[श्री नि० चं० चटर्जी]

ध्यान में नहीं रखा गया। सरकार को यह विषय विधि मंत्रालय को उन की सलाह जानने के लिये भेजना चाहिये था। त्यागी समिति ने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा है वह भी युक्तिसंगत बात है। खान उद्योग को वास्तव में ही बहुत हानि हुई है।

सरकार ने आश्वासन भी दिया था परन्तु आयकर विभाग ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। विश्व के सभी सभ्य देशों में स्वामित्व को खर्च समझा जाता है। इसे आप पूंजी व्यय नहीं कह सकते। मैं डा० सिंघवी से कहना चाहता कि वह अपना विधेयक तभी वापिस लें जब मंत्री महोदय इस बारे में आश्वासन दे दें।

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : इस विषय में देश के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दे दिया है और पहले की स्थिति फिर से लागू कर दी गई है। मैं आश्वासन देता हूं कि हम उस निर्णय का हर प्रकार से पालन करेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के कारण स्थिति कुछ अस्पष्ट सी हो गई थी। इसीलिये इसे उच्चतम न्यायालय के पास ले गये। अब पहले किये गये निर्धारणों को पुनरीक्षित किया जायेगा। खानों के पट्टों के बारे में नियमों में परिवर्तन करना अन्य मन्त्रालय का काम है। हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अध्ययन कर रहे है। उसका हम शब्दशः तथा उसकी भावना के अनुसार पालन करेंगे।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है और इसका समर्थन किया है।

इस प्रकार के विषयों में सरकार को व्यापक रूप से ध्यान देना चाहिये। इस देश के खान उद्योग तथा उसमें लगे हज़ारों लोगों का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। बड़े बड़े लोग तो करों का भुगतान कर सकते है परन्तु छोटे लोगों के वर्ग को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मेरा व्यक्तिगत रूप से खान उद्योग से कोई सम्बन्ध नहीं है।

मुझे आशा है सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हर प्रकार से पालन करेगी। करारोपण जांच आयोग तथा प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति द्वारा दी गई सलाह पर भी ध्यान देना चाहिये। माननीय मंत्री के आश्वासन तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय जो कि बाध्य हैं के होते हुए मैं अपना विधेयक वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

विधेयक, सभा की अनुमति से, वापिस लिया गया।/*The Bill was, by leave, withdrawn.*

अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम
(धारा 24 और 55 का संशोधन)
ADVOCATES (AMENDMENT) BILL
(Amendment of Sections 24 and 55)

श्री पाराशर (शिवपुरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में एक त्रुटि है। उस कानून के अन्तर्गत मुख्तार को एक अधिवक्ता के लगभग बराबर ही अधिकार दिये गये परन्तु राजस्व अभिकर्ता (रेवेन्यू एजेंटस) को वंचित कर दिया गया है। ये अभिकर्ता मुख्तारों की भांति ही कार्य करते थे। राजस्व अभिकर्ता देश के किसानों की सहायता करता है। वह उन वर्गों की सहायक है जो अधिवक्ताओं को अधिक धन नहीं दे सकते। पहले राजस्व अभिकर्ताओं को बहुत अधिकार प्राप्त थे। इन्हें कानून का बहुत ज्ञान होता है। मैं चाहता

हूं कि इन को भी मुख्तारों की भान्ति देश के उच्चतम न्यायालय में पेश होने का अधिकार होना चाहिये। संविधान के अनुच्छेद 19 (जी) के अनुसार राजस्व अभिकर्ता तथा मुख्तार के बीच यह भेदभाव अनुचित है। संविधान के अनुच्छेद 13(ii) के अनुसार यह कानून असंवैधानिक है।

राजस्व अभिकर्ता लोग हमारे देश के निर्धन लोगों की सहायता करते है। वह मुख्तार की भान्ति बहुत लाभदायक हैं। मेरे संशोधन का आशय यही है कि जैसे मुख्तार को देश के उच्चतम न्यायालय तक जाने का अधिकार है उसी प्रकार राजस्व अभिकर्ता को भी राजस्व के मामलों में अधिकार दिये जायें। मेरा अनुरोध है कि इस वर्ग के साथ न्याय किया जाये और मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये। धारा 24 तथा 55 में राजस्व अभिकर्ता (रेवेन्यू एजेन्ट) जोड़ दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : I support the Bill moved by Shri Parashar. The revenue agent should be given equal rights as that of a Mukhtar. There should not be any discrimination. Government should accept this Bill.

श्री अ० त्रि० शर्मा (छतरपुर) : मैं श्री पाराशर के विधेयक का समर्थन करता हूं। यदि राजस्व अभिकर्ता को भी शामिल कर लिया जाता है तो देश के निर्धन वर्ग को बहुत सुविधा हो जायेगी। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री हेमराज (कागड़ा) : श्री पाराशर ने बहुत महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किया है। अधिवक्ता अधिनियम में अधिवक्ताओं की सूची में राजस्व अभिकर्ताओं को शामिल न करके उनसे भेदभाव किया गया है। यह हमारे संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध हैं। इस त्रुटि को समाप्त किया जाना चाहिये। एक राजस्व अभिकर्ता को व्यवहार विधि तथा राजस्व विधि दोनों का ज्ञात होता है। इस लिये उसे एक अधिवक्ता की तरह कार्य करने का अधिकार होना चाहिये। मेरा अनुरोध है कि श्री पाराशर का विधेयक स्वीकार कर लिया जाये।

श्री हे० बी० कौजलगी (बलगांव) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। अंग्रेज़ों के समय में यहां पर मान्यता प्राप्त वकील थे। वे पूरे देश में वकालत का काम कर सकते थे। देशी राज्यों में प्रशिक्षित वकील नहीं थे। वहां पर मुकदमेबाज़ी बहुत कम थी। राजा लोग कुछ लोगों को सनदें दिया करते थे और वे ही वकीलों का कार्य करते थे। देशी राज्यों के विलय के बाद भी ये एजेंटस कार्य कर रहे थे परन्तु अधिवक्ता अधिनियम 1961 के बाद उन्हें वंचित कर दिया गया है। मुखतारों को तो यह अधिकार फिर भी दे दिये गये है। इस प्रकार राजस्व अभिकर्ताओं से भेदभाव किया गया है। और उन्हें जो अधिकार देशी राज्यों में मिले हुए थे वे छीन लिये गये हैं। इस के अलावा वे लोग देश के निम्नवर्ग की सहायता करते ह। छोटे छोटे लोग बड़े बड़े वकीलों की फीस नहीं दे सकते। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस विधेयक पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करे और इसे स्वीकार कर ले।

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : राजस्व अभिकर्ताओं के बारे में भारत की विधिजीवी परिषद (दि बार काउंसिल आफ़ इंडिया) ने विचार किया है। इस बारे में इस को एक समिति ने सिफारिश की थी कि राजस्व अभिकर्ताओं को अधिवक्ताओं की भान्ति मान्यता नहीं दी जा सकती। मुख्तारों तथा राजस्व अभिकर्ताओं की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। यह पहले से ऐसे ही चली आ रही है। मुखतारों को पहले से ही अधिक अधिकार प्राप्त थे। इसी लिये अधिवक्ता अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें अधिक अधिकार दिये गये हैं।

[श्री हजरनवीस]

आजकल वकील थोड़ी फ़ीस पर उपलब्ध हो जाते हैं। हमें देखना चाहिये कि वकील कानूनों को जानने वाला होना चाहिये और केवल सस्ता ही नहीं। मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह इस विधेयक को वापिस ले लें नहीं तो हम इस का विरोध करते हैं।

Shri Parashar : I am glad that all the hon. Members except the hon. Minister have supported this Bill. The hon. Minister has said that the Bar Council has opposed this. I feel that Bar Councils of all the states including that of Bihar should have been consulted. There my point of view has been supported. I want that revenue agents should be allowed to go upto the Supreme Court in the case of revnue cases only. The hon. Minister should reconsider and help this poorer section of our society.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961, में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

क्या आप इस पर मतविभाजन होने पर आग्रह कर रहे हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में गणपूर्ति नहीं है अतः सभा की बैठक सोमवार तक स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, 22 नवम्बर, 1965/1 अग्रहायण, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, November 22, 1965/Agrahayana 1, 1887 (Saka).

भा०स०मु०ना०—वि 2—2 लोक-सभा/66—7-9-66—600.